

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण 2006–2007



सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड
(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी)
गोन्दवाना प्लेस, काँके रोड
राँची – 834 008

विषय-वस्तु

क्रम संख्या

पृष्ठ संख्या

1. 2006–2007 के दौरान प्रबन्धन
2. वर्तमान प्रबन्धन
3. सूचना
4. निदेशक मंडल का प्रतिवेदन
5. सांविधिक अंकेक्षक प्रतिवेदन और प्रबंधन का उत्तर
6. अनुच्छेद 619(4) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियाँ और प्रबंधन के उत्तर
7. लेखे का अंकेक्षित विवरण
8. अनुच्छेद 217 (2ए) के तहत निदेशक-मण्डल के प्रतिवेदन की अनुसूची

वर्ष 2006 – 2007 के दौरान प्रबंधन

पूर्णकालिक :

1. श्री एस.चौधुरी : अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक
2. श्री पी.के.कंचन : निदेशक
3. श्री एन.सी.झा : निदेशक (31.12.2006 तक)
4. श्री एस.चक्रवर्ती : निदेशक (31.3.2007 तक)
5. श्री एस.आर.घोष : निदेशक

अंशकालिक

6. श्री प्रदीप कुमार : निदेशक (23.10.2006 तक)
7. श्री एस.पी.सेठ : निदेशक (31.12.2006 से)
8. प्रो० ए.के.घोष : निदेशक
9. श्री संजीव मित्तल : निदेशक
10. श्री लक्ष्मण झा : निदेशक (31.12.2006 तक)
11. श्री एन.सी.झा : निदेशक (01.01.2007 से)

कम्पनी सचिव : श्री उदयन चक्रवर्ती

बैंकर्स : स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया
बैंक ऑफ इण्डिया
केनरा बैंक
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स
इण्डियन ओवरसीज बैंक
स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
यू.को. बैंक

अंकेक्षक : मेसर्स यू . नारायण एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
राँची,

निबंधित कार्यालय : गोंदवाना प्लेस : काँके रोड,
राँची- 834 008
झारखण्ड, भारत

वर्तमान प्रबंधन

(31.10.2007 के अनुसार)

पूर्ण-कालिक :

1. श्री एस. चौधुरी : अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
2. श्री एन.खुराना : निदेशक
3. श्री ए.के.देवनाथ : निदेशक
4. श्री एस. के मित्रा : निदेशक

अंश-कालिक :

5. डा0 एस.पी.सेठ : निदेशक
6. प्रो0 ए.के.घोष : निदेशक
7. श्री एन.सी. झा : निदेशक
8. श्री शरद घोड़के : निदेशक
9. श्री ए.के. कुन्द्रा : निदेशक
10. प्रो. भी.आर. शास्त्री : निदेशक
11. डा0 एस.भण्डारी : निदेशक

३२ वीं वार्षिक आम बैठक के लिए

सूचना

संदर्भ सं. : सीएस/एजीएम-32/2007/6478

दिनांक : 13.08.2007

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड के सभी शेयर धारकों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि करोबार के संचालन के लिए कम्पनी के निबंधित कार्यालय, गोनदवाना प्लेस, कॉकें रोड, रॉंची में 16 अगस्त, 2007 दिन गुरुवार को पूर्वाह्न 11.30 बजे कम्पनी की 32 वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित की जाएगी :

1. वार्षिक लेखे का अंगीकरण :

31 मार्च, 2007 के अनुसार तुलन-पत्र तथा उसके साथ संलग्न अनुसूची सहित उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा और प्रबंधन द्वारा दिये गये जवाब के साथ अंकेशकों की रिपोर्ट को प्राप्त करना एवं अंगीकार करना।

2. निदेशकों के रिपोर्ट का अंगीकरण :

वर्ष 2006-2007 के लिए निदेशक मण्डल की रिपोर्ट को प्राप्त एवं अंगीकार करना।

3. अंशकालिक निदेशकों की नियुक्ति :

शेयरधारक द्वारा अधोलिखित संकल्प को संशोधन सहित या संशोधन रहित (संशोधन के बिना) स्वीकृत किया जा सकता है।

1. डा0 एस.पी.सेठ के बदले में एक ऐसे निदेशक की नियुक्ति करना जो कम्पनी की विधि नियमावली के अनुच्छेदों के (खण्ड) भाग 34 (1) ई (III) की शर्तों से सेवानिवृत्त हुए हैं और पुनर्नियुक्ति के योग्य हैं।
2. श्री संजीव मित्तल के बदले में एक ऐसे निदेशक की नियुक्ति करना जो कम्पनी की विधि नियमावली के अनुच्छेदों के (खण्ड) भाग 34 (1) ई (III) की शर्तों से सेवानिवृत्त हुए हैं और पुनर्नियुक्ति के योग्य हैं।
3. प्रो0 ए.के.घोष के बदले में एक निदेशक की नियुक्ति करना जो कम्पनी की विधि नियमावली के अनुच्छेदों के (खण्ड) भाग 34 (1) ई (III) की शर्तों से सेवानिवृत्त हुए हैं और पुनर्नियुक्ति के योग्य हैं।

4. श्री एन.सी. झा के बदले में एक निदेशक की नियुक्ति करना जो कम्पनी की विधि नियमावली के अनुच्छेदों के (खण्ड) भाग 34 (1) ई (।।।) की शर्तों से सेवानिवृत्त हुए हैं और पुनर्नियुक्ति के योग्य हैं।

निदेशक-मण्डल के आदेशानुसार
वास्ते सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

(उदयन चक्रवर्ती)
कम्पनी सचिव

नोट : वैसा सदस्य जो बैठक में शामिल होने तथा मत डालने का हकदार है, अपने बदले किसी दूसरे व्यक्ति को बैठक में शामिल होने तथा मत डालने के लिए एवजी नियुक्त कर सकता है तथा उक्त एवजी को कम्पनी का सदस्य होना जरूरी नहीं है।

प्रति : कम्पनी के सभी सदस्य एवं अंकेक्षक

निदेशक - मंडल का प्रतिवेदन

सेवा में,
अंशधारक,

सज्जनों,

31 मार्च 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हिसाब - किताब तथा उस पर अंकेक्षकों के प्रतिवेदन सहित आपकी कम्पनी के क्रिया - कलापों पर आधारित 32 वीं वार्षिक प्रतिवेदन पेश करते हुए आपके निदेशकगण को आपार हर्ष हो रहा है।

भाग-क

निगमित पर्यवलोकन :

आपकी कंपनी राँची स्थित अपने मुख्यालय तथा आसनसोल, धनबाद, राँची, नागपुर, बिलासपुर, सिंगरौली तथा भुवनेश्वर स्थित अपने साथ क्षेत्रीय संस्थानों के साथ कार्य कर रही है। सातों क्षेत्रीय संस्थानों को क्षे0 सं0-1 से क्षे0सं0-7 तक का नाम दिया गया है जो कोल इंडिया लिमिटेड की 7 संगत कोयला कंपनियों जैसे ईसीएल (क्षे0सं0-1), बीसीसीएल (क्षे0सं0-2), सीसीएल (क्षे0सं0-3), डब्ल्यूसीएल (क्षे0सं0-4), एसईसीएल(क्षे0सं0-5), एनसीएल(क्षे0सं0-6) तथा एमसीएल (क्षे0सं0-7)को अपनी समर्पित सेवाएँ प्रदान करते रहे। एससीसीएल, टाटा स्टील, एनटीपीसी, सेल, एमओआईएल, नाल्को, ओएमसी, एनएलसी, हिन्डालको, सीएमडीसीएल, सीएसईबी इत्यादि जैसे कोल इंडिया (मुख्यालय) एनईसी तथा गैर-सीआईएल ग्राहकों के लिए सीएमपीडीआई मुख्यालय के माध्यम से मुख्य रूप से परामर्शी सेवाएँ प्रदान की गई। सीएमपीडीआई कोयला मंत्रालय तथा कोल इंडिया के लिए विशेषज्ञता वाले कार्यों को भी संचालित करता रहा।

प्रदत्त प्रमुख सेवाएँ :

भू-वैज्ञानिक गवेषण एवं ड्रिलिंग :

खनन परियोजना रिपोर्ट बनाने के लिए विश्वसनीय भू-वैज्ञानिक एवं भू-इंजीनियरिंग डाटा तथा स्वस्थाने (इन-सिटु) कोयला भंडार के मूल्यांकन करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय तौर पर गवेषित खनिखंड (ब्लॉक)का विस्तृत भू-वैज्ञानिक गवेषण, मल्टी प्रोप भू-भौतिकी लॉगिंग के जरिए भू-भौतिकी सर्वेक्षण, हाइ रिज्योलुशन सिसमिक सर्वेक्षण, जल भू-वैज्ञानिक अन्वेषण तथा कोल बेड मिथेन संसाधन की पहचान।

● **परियोजना आयोजन एवं डिजाइन :**

भूमिगत एवं खुली खदानों, कोयला एवं खनिज परिष्करण एवं उपयोग संयंत्रों, कोल हैंडलिंग प्लांटों, कर्मशालाओं, वशवर्ती (केप्टिव) ताप-विद्युत संयंत्रों तथा अन्य अनुषंगी इकाइयों के लिए संभाव्यता रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तथा विस्तृत इंजीनियरिंग ड्राईंग तथा विभिन्न योजनाओं का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन सहित आधारभूत सुविधाओं तथा निर्णय के लिए परियोजना रिपोर्ट की तैयारी।

○ **अभियंत्रण सेवाएँ :**

खानों, परिष्करण तथा उपयोग संयंत्रों, कोल हैंडलिंग संयंत्रों, विद्युत आपूर्ति प्रणाली, कर्मशालाओं एवं अन्य इकाइयों, वास्तुशास्त्रीय (आर्किटेक्चरल)प्लानिंग एवं डिजाइन के लिए प्रणाली एवं उप-प्रणाली का विस्तृत डिजाइन।

○ **अनुसंधान एवं विकास :**

कोयला मंत्रालय द्वारा वित्त प्रदत्त सभी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजनाओं तथा कोल इंडिया लिमिटेड के अनुसंधान एवं विकास बोर्ड द्वारा वित्त प्रदत्त सभी अनुसंधान एवं विकास योजनाओं के लिए नॉडल एजेंसी के रूप में सेवा प्रदान करना। खनन, परिष्करण, उपयोग पर्यावरण, गवेषण आदि के क्षेत्र में अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास का कार्य भी सीएमपीडीआई खुद करता है।

○ प्रयोगशाला सेवाएँ

○ पर्यावरणिक सेवाएँ

○ सूचना प्रौद्योगिकी

○ मानव संसाधन विकास

○ विशेषज्ञता प्राप्त सेवाएँ

✓ जियोमेटिक्स

✓ खानों में संवातन एवं गैस सर्वेक्षण

✓ नियंत्रित विस्फोटन

✓ नए विस्फोटकों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन

✓ खनन इलेक्ट्रानिक्स

✓ खान की क्षमता का मूल्यांकन

✓ खान थम्हाल का डिजाइन, रॉक मास रेटिंग(आरएमआर)

✓ अनाशक परीक्षण(एनडीटी)

✓ प्रबंधन प्रणाली परामर्श

○ **वशवर्ती खनन खनिखंडों (ब्लॉक) के आवंटन के लिए कोयला मंत्रालय को सेवा प्रदान करना**

वशवर्ती कोयला खनि-खण्डों की सूची को बढ़ाने तथा इसके आवंटन को सरल बनाने के लिए विवेच्य वर्ष के दौरान सीएमपीडीआई ने वर्तमान तथा अतिरिक्त वशवर्ती (कोप्टिव) खनन खनिखंडों की प्रारंभिक भू-वैज्ञानिक सूचना कोयला मंत्रालय को उपलब्ध कराई है। विद्युत, स्टील तथा अन्य इन्डयूज के लिए अपेक्षित गवेषित तथा अगवेषित कोयला खनिखण्डों, दोनों की सूचना इसमें शामिल है।

- आपकी कंपनी ने कोयला खनन तथा इससे संबंधित क्रिया-कलापों के लिए इन्डो-ई यू, इन्डो-आस्ट्रेलिया, इन्डो-चीन इत्यादि जैसे विदेशी देशों के विभिन्न कार्यकारी दलों के पहचान की गई परियोजनाओं के पहचान, विवेचनात्मक परीक्षण तथा मूल्यांकन में सक्रिय रूप से लगी रही है और है ताकि कोल इंडिया लिमिटेड की खानों में उत्पादन, उत्पादकता तथा संरक्षण में सुधार लाया जा सके।

वित्तीय कार्य-परिणाम :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने 258.19 लाख रुपये (कर के बाद) शुद्ध लाभ अर्जित किया है। कंपनी का कार्य परिणाम नीचे दिया गया है :

		(लाख रुपये में)
बिक्री		16,032.11
घटाकर : कुल निवल व्यय		15,196.80
सकल लाभ		835.31
घटाकर :मूल्य हास	219.62	
व्याज	28.95	
प्रावधान	126.14	374.71

वर्ष के लिए (पीपी समायोजन एवंकर के पूर्व लाभ (+)/हानि (-)		460.60
घटाकर : पूर्व अवधि समायोजन कर के पूर्व लाभ		13.32
घटाकर : कर के लिए प्रावधान	542.20	447.28
घटाकर : फ्रिंज बेनिफिट कर के लिए प्रावधान	71.00	613.20
प्रावधान के बाद लाभ (+)/हानि (-)		- 165.92
जोड़ कर : आस्थगित कर के लिए प्रावधान		424.51
वर्ष के लिए कर पश्चात् लाभ		258.59

विशिष्टताएँ :

विवेच्य वर्ष के दौरान सीएमपीडीआई के कार्य निष्पादन की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :-

- भारत के 17 कोयला क्षेत्रों के 84 ब्लॉकों/खानों "प्रमाणित" कोयला भंडारों के लिए गवेषणात्मक ड्रिलिंग 1,99,000 मीटर लक्ष्य के मुकाबले 2,05,746 मी0 ड्रिलिंग का कार्य पूरा किया गया।
- कोयला गवेषण ऑकड़े पर आधारित 17 भू-वैज्ञानिक रिपोर्टें तैयार की गईं जो 1.30 विलियन टन प्रमाणित तथा 0.47 वि.ट. सूचित (इंडीकेटेड) श्रेणी को प्रमाणित करते हुए अतिरिक्त स्वस्थाने (इनसिटू) कोयला संसाधनों का 1.78 बि0ट0 अनुमानित था।
- करीब 110 मि.ट. वर्ष के अतिरिक्त क्षमता पर विचार करते हुए 27 परियोजना रिपोर्ट/संशोधित परियोजना रिपोर्ट/विस्तारण परियोजना रिपोर्ट/ संशोधित लागत प्राक्कलन तैयार किया गया।
- कोयला खनन परियोजनाओं के लिए 32 फर्म -। के साथ-साथ 33 पर्यावरणिक प्रबंधन योजनाएँ (इएमपीएस) तैयार की गईं हैं।

- 3.24 करोड़ रुपये मूल्य के कोल इंडिया लिमिटेड से बाहर के 21 परामर्शी कार्य हासिल किये गये हैं।
- भू.ग. कोयला गैसीकरण (यूसीजी) से संबंधित विभिन्न मुद्दों के विस्तृत परिक्षण के लिए अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, सीएमपीडीआई की अध्यक्षता में सीएमपीडीआई, ओएनजीसी, डीजीएच, एनएलसी तथा एमईसीएल के प्रतिनिधियों से बनी एक समिति ने कोयला मंत्रालय को यूसीजी के लिए रेगुलेटरी फ्रेम वर्क हेतु अनुशंसाए सुपुर्द की।
- भारत में सीबीएम/सीएमएम क्लीयरिंग हाऊस की स्थापना के लिए एमओसी तथा यूनाइटेड स्टेट्स इनवारमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी (यूएसईपीए) के बीच समझौता-संलेख (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया।
- कोल इंडिया से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद कास्ता ब्लॉक, रानीगंज कोयला क्षेत्र के लिए यूसीजी विशिष्ट अतिरिक्त आँकड़े का जेनरेशन प्रारंभ किया जा चुका है।

दृष्टिकोण :

वर्ष 2006-07 के दौरान देश का कोयला उत्पादन 431 मि.ट. था, जिसमें से कोल इंडिया लिमिटेड ने 361 मि.ट. (शेयर 84%) उत्पादन किया। अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक, सिंगरेनी कोलियरिज कम्पनी लिमिटेड (एससीसीएल), टाटा स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, बंगाल ईएमपीए, माउन्ट स्पात लिमिटेड इत्यादि थे। कोयला सेक्टर जिनका दो चरणों (1971 तथा 1973) में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। धीरे-धीरे आंशिक रूप से विनियंत्रित हो गए। कोयला सेक्टर निजी निवेश के प्रवाह को प्रमाणित कर रहे हैं जो पावर, आयरन एण्ड स्टील, सिमेंट सेक्टरों में कार्य में लगे कम्पनियों के पिछड़े एकीकरण के रूप में समा गये हैं।

वर्ष 2006-07 (केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार) में भारतीय अर्थव्यवस्था ने 9.4% का सकल घरेलू उत्पादक (जीडीपी) विकास पंजीकृत किया तथा ग्रोथ प्रोसपेक्ट्स मजबूत मौलिकता के कारण लगातार द्युतियमान रहा। यह कोयला सेक्टर के द्रुत विकास की अपेक्षा करेगा। देश में कोयला उत्पादन 11 वीं योजना के अन्त तक 680 मि.ट. पहुँच जाने की संभावना है जो प्रति वर्ष के लिए 40 मि.ट. अतिरिक्त कोयला उत्पादन क्षमता स्थानांतरित करता है। केवल कोल इंडिया से प्रति वर्ष 32 मि.ट. की दर पर प्रति वर्ष उत्पादन करने की आशा की जाती है। 11 वीं योजना अवधि के दौरान, सीएमपीडीआई लगभग 119 परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप, जिनमें लगभग 256 मि.ट. की अतिरिक्त क्षमता होगी।

कोल इंडिया का गृह परामर्शदाता होने के नाते कोल इंडिया को गवेषण, योजना तथा डिजाइन सपोर्ट मुहैया कराने के लिए सीएमपीडीआई का उत्तरदायित्व है। देश में द्रुत गति से बढ़ते हुए कोयले की मांग को पूरा करने के लिए कोयला संसाधन आधार के विस्तार तथा कोयला संसाधन के फास्टर प्रूविंग की आवश्यकता है। सीएमपीडीआई ने गृह ड्रिलों तथा आउट सोसिंग के माध्यम से 10वीं योजना के दौरान किए गये लगभग 10 लाख मी० ड्रिलिंग के मुकाबले 11वीं योजना के अवधि के पांच वर्षों में 22.60 लाख मी० ड्रिलिंग सम्पन्न करने का विचार किया है।

कोयला सेक्टर में कोल बेड मिथेन(सीबीएम), भूमिगत कोयला गैसीकरण(यूसीजी) तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईएंडसीटी) जैसे उभरते हुए क्षेत्रों में विकास का स्थान लेते हुए ये सभी फोकस में उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ आने वाले वर्षों में सीएमपीडीआई के लिए अतिरिक्त अवसर वाला क्षेत्र उपस्थित करेगी।

खंड : आ

वार्षिक उपलब्धि का पर्यवलोकन :

1.0 भूवैज्ञानिक गवेषण एवं वेधन :

सीएमपीडीआई ने वर्ष 2006-07 में अपना कोयला गवेषण कार्यक्रम जारी रखा। विवेच्य वर्ष के दौरान विभागीय ड्रिलिंग के माध्यम से सीबीएम गवेषण किया गया। तथापि इसका मुख्य क्षेत्र कोल इंडिया का गवेषण गैर-सीआईएल तथा प्रमोशनल ब्लॉक था। कोल इंडिया की सहायक कंपनियों में परियोजना योजना / उत्पादन सपोर्ट का प्रबंध करने के लिए कोल इंडिया के खनि खंडों (ब्लॉकों) में गवेषण का कार्य किया गया है, जबकि वशवर्ती खनन के लिए परिपेक्ष्य उद्यमियों हेतु कोयला का आवंटन सरल बनाने के लिए गैर-सीआईएल/वशवर्ती खनन ब्लॉकों में गवेषण किया गया। नये कोयला संसाधनों की पहचान करने के लिए प्रमोशनल (क्षेत्रीय) गवेषण किया गया। कोयला मंत्रालय गैर-सीआईएल/वशवर्ती खनन तथा प्रमोशनल ब्लॉकों में गवेषण का कार्य करने के लिए कोष उपलब्ध करा रहा है जबकि कोल इंडिया की सहायक कंपनियां सीआईएल ब्लॉकों में गवेषण का खर्च प्राप्त करती है।

1.1 वेधन उपलब्धि :

1.1.1 सीएमपीडीआई के विभागीय संसाधनों को सीआईएल/गैर-सीआईएल/प्रमोशनल/सीबीएम ब्लॉकों में गवेषण के लिए लगाया गया। इसके अलावा कोल इंडिया के खनिखंडों में नाम मात्र के वेधन कार्य के लिए मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा राज्य सरकार के भूविज्ञान एवं खनन निदेशालय का इस्तेमाल किया गया।

1.1.2 वर्ष 2006-07 के दौरान सीएमपीडीआई तथा इसके संविदात्मक एजेंसियों में 17 कोयला क्षेत्रों में फैले 84 ब्लॉकों/माइन्स में गवेषणात्मक ड्रिलिंग का कार्य किया। ये कोयला क्षेत्र हैं :

रानीगंज (9 ब्लॉक/माइन्स), झरिया (1), नार्थ कर्णपूरा (6), साउथ कर्णपूरा (2), तावा वैली (2), पाथाखेरा (4), पंचकान्हान (7), कम्पटी (4) उमरेरबंदेर (2), वर्धा (8), सोहागपुर (13), मांद रायगढ़ (3), कोरबा (4), बिश्रामपुर (3), सिंगरौली (5), तालचर (7) और ईब घाटी (4)। ऐसे 84 खनिखंडों/खानों में से 11 गैर-सीआईएल/वशवर्ती खनिखंड, 3 प्रमोशनल खनिखंड तथा 70 सीआईएल के खनिखंड/खान के थे। सीएमपीडीआई के विभागीय ड्रिलों के माध्यम से 71 खनिखंडों/खानों में गवेषण का कार्य किया गया जबकि 13 खनन क्षेत्रों में संविदात्मक एजेंसियों द्वारा ड्रिलिंग का कार्य किया गया।

1.1.3 वर्ष 2006-07 के दौरान सीएमपीडीआई तथा इसकी संविदात्मक एजेंसियों द्वारा गवेषणात्मक वेधन की संपूर्ण उपलब्धि नीचे दी गई है :

एजेन्सी	वर्ष 2006-2007 का वार्षिक लक्ष्य (मी0)	वर्ष 2006-2007 के दौरान गवेषणात्मक वेधन (ड्रिलिंग) की एजेंसीवार उपलब्धि			वर्ष 2005-2006 में प्राप्त (मी0)
		उपलब्धि (मी.)	उपलब्धि (प्रतिशत)	+/- (मी0)	
सीएमपीडीआई	192000	198496	103%	+ 6496	192296
एमईसीएल	अनियत	715	—	+ 715	2029
राज्य सरकार	7000	6535	93%	- 465	5795
कुल	199000	205746	103%	+ 6746	200120

198496 मी० के विभागीय वेधन में कोल इंडिया के खनिखंडों में 136754 मी० में, 51774 मी० गैर-सीआईएल/वशवर्ती खनन खनिखंडों में, 6879 मी० प्रमोशनल खनिखंडों में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त रानीगंज कोयला क्षेत्रों के लिए कोल इंडिया-ओएनजीसी संयुक्त वेंचर खनिखंडों में 3089 मी० ड्रिलिंग का कार्य किया गया है। राज्य सरकारों के भूविज्ञान निदेशालय तथा एमईसीएल ने केवल कोल इंडिया के खनिखंडों में वेधन का कार्य किया है।

वर्ष 2006-07 में सीएमपीडीआई ने प्रत्येक मामले में अपने विभागीय तथा वेधन लक्ष्य द्वारा 103 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष विभागीय वेधन की उपलब्धि 3.2 प्रतिशत की उपलब्धि सहित 6200 मी० रही। 374 मी. वेधन/माह के स्तर पर पहुंचने के लिए सीएमपीडीआई के ऑपरेशनल ड्रिल की औसतन उत्पादकता 15 मी० प्रति ड्रिल, प्रतिमाह बढ़ी है। राज्य सरकार ने पिछले वर्ष से अधिक 740 मी. वेधन का कार्य किया है। हालांकि लक्षित वेधन प्राप्त कर लिया गया है। फिर भी राज्य सरकारों के वेधन में सीमांत कमी आयी है। क्योंकि डीजीएम (छत्तीसगढ़) ने कार्य नहीं किया है।

1.1.4 गैर-सीआईएल/वशवर्ती खनिखंडों में वेधन कार्य

वर्ष 2006-07 में गैर-सीआईएल ब्लॉक में विस्तृत वेधन के सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत सीएमपीडीआई द्वारा कुल 51774 मी० गवेषणात्मक वेधन का कार्य निष्पादित किया गया है। 6 कोयला क्षेत्रों में कुल 11 गैर-सीआईएल/वशवर्ती खनन ब्लॉकों को इस उद्देश्य के लिए लिया गया। कोयला मंत्रालय ने 10वीं योजना में 2.83 लाख मी० ड्रिलिंग का कार्य करने के लिए 93.84 करोड़ ₹० (मूल 70.66 करोड़ ₹०) का संसोधित लागत प्राक्कलन का अनुमोदन कर दिया है। आरसीई में विस्तार किए गये 10वीं योजना के ड्रिलिंग लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2006-07 में संपादित कार्यों में सीएमपीडीआई को समर्थ बनाया। इस प्रकार 2.83 लाख मी. लक्ष्य के मुकाबले कुल 2.84 लाख मी. वेधन का कार्य किया गया है।

वर्ष 2006-07 में कोयला क्षेत्रवार तथा ब्लॉकवार ड्रिलिंग की उपलब्धि नीचे दी गयी है:

एजेंसी / अधिकार वाले क्षेत्र	कोयला क्षेत्र	खनिखण्ड (ब्लॉक)	वर्ष 2006-2007 में ड्रिलिंग (मी०)
सीएमपीडीआई :			
सीसीएल	उत्तरी कर्णपुरा	राउतपारा	360
		बाबुपारा	331
		केरनडारी बी एंड सी	9751
	साउथ कर्णपुरा	टोकीसूद- II	10298
डब्ल्यूसीएल	कम्पटी	भरतवाडा	1230
एसईसीएल	सोहागपुर	बतुरा	2346
		मनपुरा	1994
		धनपुरा	6095
एनसीएल	सिंगरौली मेन	छत्रसाल	2829
एमसीएल	तालचर	मच्छकुता	9254
		महानदी	7286
गैर-सीआईएल खनिखंडों में वेधन का कार्य संपूर्ण योग			51774

उपरोक्त गवेषण कार्य के अतिरिक्त सीएमपीडीआई ने वशवर्ती कोयला खनिखंडों की सूची को बढ़ाने के लिए तथा इसके आवंटन को सरल बनाने के लिए कोयला त्रालय को वर्तमान तथा अतिरिक्त वशवर्ती खनिखंडों की प्रारंभिक भू-वैज्ञानिक सूचना उपलब्ध करायी है। इसमें विद्युत, स्टील तथा अन्य इन्ड्यूज के लिए अपेक्षित गवेषित तथा अगवेषित कोयला खनिखंडों दोनों की सूचना शामिल है। सीएमपीडीआई ने वशवर्ती खनिखंडों के परिप्रेक्ष्य उद्यमियों को उनके इन्ड्यूज के लिए उपयुक्त खनिखंडों के चयन तथा उन्हें समर्थ बनाने के लिए वर्तमान जीआरएस की प्रतियाँ उपलब्ध कराई है। आवंटन की प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद गवेषण की कुल लागत के भुगतान हो जाने पर आवंटी को मूल भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट उपलब्ध करायी जाती है।

1.1.5 सीएमपीडीआई द्वारा उन्नायक (प्रमोशनल) गवेषण :

वर्ष 2006-07 में कोयला संसाधनों की पहचान करने के लिए 10वीं योजना में कोयला एवं लिग्नाइट में प्रमोशनल गवेषण की सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत प्रमोशनल(क्षेत्र) वेधन का कार्य सीएमपीडीआई ने जारी रखा। इस उद्देश्य के लिए सीएमपीडीआई ने नार्थ कर्णपूरा कोयला क्षेत्र के अशोक करकेट्टा वेस्ट ब्लॉक में तथा तावा वैली कोयला क्षेत्र के चिरीमिरी ब्लॉक में प्रमोशनल ड्रिलिंग का कार्य जारी रखा। विवेच्य वर्ष के दौरान तावा वैली कोयला क्षेत्र में एक नये खनिखंड विष्णुपुर में भी ड्रिलिंग का कार्य किया गया।

कुल मिलाकर सीएमपीडीआई ने वर्ष 2006-07 में कुल 6879 मी0 प्रमोशनल ड्रिलिंग का कार्य किया जिसका व्यौरा नीचे दिया गया है :

एजेंसी / कम्पनी के अधिकार वाले क्षेत्र	कोयला क्षेत्र	खनिखण्ड	वर्ष 2006-2007 में वेधन (मी0)
सीएमपीडीआई :			
सीसीएल	उत्तरी कर्णपूरा	अशोक करकेट्टा पश्चिमी	3639
डब्ल्यूसीएल	तावाघाटी	चिमिरी	1010
		विष्णुपुर	2230
सीएमपीडीआई द्वारा किया गया कुल प्रमोशनल ड्रिलिंग			6879

सीएमपीडीआई ने इसी योजना के अंतर्गत कोयला सेक्टर में एमईसीएल द्वारा किए गये प्रमोशनल गवेषण का तकनीकी पर्यवेक्षण भी किया है।

1.2 भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट :

1.2.1 वर्ष 2006-07 में कोयले की गवेषणा पर कुल 17 भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार की गई है। इसमें से 5 रिपोर्टें गैर-कोल इंडिया / वशवर्ती खनिखंडों के विस्तृत गवेषण पर तैयार की गई तथा शेष कोल इंडिया के खनिखंडों के लिए तैयार की गई।

1.2.2 12 नये जीआरएस से अतिरिक्त कोयला संसाधनों का 1.78 बिलियन टन प्राक्कलित किया गया था। अन्य 5 जीआरएस के संसाधन कोल इंडिया की परियोजना के लिए वर्तमान जीआरएस का पुर्नएकीकरण / पुर्नसर्वांगीकरण था। उपर्युक्त प्राक्कलित संसाधनों में से 1.30 बिलियन टन कोयला संसाधन ' प्रमाणित ' श्रेणी तथा 0.47 बिलियन टन ' निर्दिष्ट श्रेणी ' के थे।

1.3 भू-भौतिक सर्वेक्षण :

1.3.1 भू-भौतिक लॉगिंग :

बोर होल में सामना किए गये विभिन्न संस्तर के स्वस्थानें सूचना प्राप्त करने हेतु प्राप्त किए गये दो नये एमटी स्पारीज लॉगर्स तथा वर्तमान पुराना भू-भौतिकी लॉगिंग इन्स्ट्रुमेंट्स द्वारा गवेषणात्मक ड्रिलिंग के लिए वेधन किए गये बोर होल को भू-भौतिकी रूप से लॉग किया गया। वर्ष 2006-07 के दौरान सीएमपीडीआई ने मल्टीपारा मैट्रिक भू-भौतिक लॉगिंग के साथ 60 बोर होलो का अध्ययन किया है। कोल इंडिया, गैर-सीआईएल, प्रमोशनल, यूएनडीपी, सीबीएम प्रोजेक्ट तथा कोल इंडिया- ओएनजीसी, जेबीसीबीएम परियोजना क्षेत्रों में इस उद्देश्य के लिए कुल 19081 गहरे मी0 का भू भौतिकी लॉगिंग किया गया। लॉगिंग की क्षमता को बढ़ाने के लिए और तीन लॉगर्स प्रक्रिया के अंतर्गत है।

1.3.2 सतही भू-भौतिकी सर्वेक्षण :

सीएमपीडीआई ने कोयला सीमों के इनक्राप्स के निर्धारण, खनिखंड की ज्यामिति के मूल्यांकन तथा अन्य कार्य जैसे: सतही जल निरीक्षण जैसे अन्य उद्देश्यों के लिए कोल इंडिया लि0, गैर-कोल इंडिया लिमिटेड तथा प्रमोशनल खनि खंडों में विद्युत प्रतिरोधकता तथा चुम्बकीय सर्वेक्षण भी किये हैं। वर्ष 2006-07 में ऐसे उद्देश्यों के लिए 122 लाइन कि0मी0 प्रतिरोधकता प्रोफाइलिंग, 151 संख्या भर्टिकल, इलेक्ट्रीकल साउंडिंग, 4763 सं0 स्टेशन का चुम्बकीय सर्वेक्षण किए जा चुके हैं। अपनी समर्थता को बढ़ाने के लिए सीएमपीडीआई द्वारा दो डिजीटल प्रोटोन प्रिसिसन मग्नेटो मीटर तथा 48 चैनल सिस्मोग्राफ की प्राप्ति प्रक्रिया के अंतर्गत है।

1.4 भू-प्रणाली :

1.4.1 माइनेक्स सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए कुल 12 भूवैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार की गईं। घरेलू सॉफ्टवेयर सीईएमपीडीआईओडीओसी तथा एसएसएसएलआईएनटी के उपयोग को क्षेत्रीय संस्थान तथा कैम्प स्तर पर प्रमोट किया गया।

1.4.2 सरकार द्वारा वित्त प्रदत्त परियोजना " समेकित कोयला संसाधन सूचना प्रणाली " प्रमोशनल गवेषण योजना के अंतर्गत वर्ष 2006-'07 में भी जारी रही। सीएमपीडीआई के सात क्षेत्रीय संस्थानों तथा एक सीएमपीडीआई, (मुख्यालय) में तथा एससीसीएल, कोठगोदाम में स्थित नौ डाटा सेंटर के माध्यम से परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। 2.21 करोड़ रुपये मूल्य के विभिन्न प्रकार के साफ्टवेयर तथा हार्डवेयर उपलब्ध कराये गये तथा परियोजना की गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न डाटा सेंटरों में स्थापित किए गये। लगभग 1.87 करोड़ रु. के व्यय वाले शेष तीन आइटमों के प्राप्त करने की कारवाई कम समय में समाप्ति की ओर है। विभिन्न एजेंसियों (जीएसआई, आईबीएम, एनसीडीसी, सीआईएल, एमईसीएल, राज्य सरकार इत्यादि) द्वारा तैयार किए गये गवेषित कोयला खनिखंडों/ खानों की भूवैज्ञानिक रिपोर्ट से बोरहोल डाटा कैप्चर बाहरी पार्टियों द्वारा ले लिया गया। (कुल 1250 में से) 1091 जीआरएस का सभी मूल आंकड़ा विक्रेता कौ सौंप दिया गया। जिसने अब तक लगभग 900 जीआरएस का कार्य समाप्त कर दिया है। कोलियरी प्लान से मैप डाटा कैप्चर तथा भूवैज्ञानिक रिपोर्ट से की मैप लिया जा चुका है तथा (कुल 5000 में से) 550 प्लान बाहरी पार्टियों को विकटेराइजेशन/ डिजीटेशन का कार्य करने के लिए सुपुर्द कर दिया गया है। सिंगल ओरिजन के लिए सर्वे रिफरेंस प्वाइंट का एकीकरण, कोयला खनिखंडों/ कोयला क्षेत्र के संबंध में

भूवैज्ञानिक सूचना का अद्यतनीकरण सभी डाटा केंद्रों से निष्पादित किया जा रहा है। माइनेक्स शाफ्टवेयर इस्तेमाल करते हुए प्रत्येक कोयला भंडार के लिए भूवैज्ञानिक मॉडल का निर्माण प्रगति में है। डाटा बेस डिजाइन से संबंधित प्रारंभिक कार्य तथा जीआईएस प्रयोग के इसका एकीकरण एवं समर्थ बनायी गयी वेब सेवा शुरू की जा चुकी है।

1.5 जल-भूविज्ञान :

1.5.1 सीजीडब्ल्यूए अनुमोदन तथा ईएमपी क्लीयरेंस के लिए " ग्राउण्ड वाटर क्लीयरेंस अप्लीकेशन " की तैयारी हेतु कुछ खनन परियोजनाओं का जल भू-वैज्ञानिक अध्ययन किया गया। वर्ष 2006-07 के दौरान ईसीएल,सीसीएल,डब्ल्यूसीएल,एसईसीएल,एनसीएल में 25 परियोजनाओं के लिए जल भू-वैज्ञानिक अध्ययन पूरा कर लिया गया। कुछ अन्य परियोजनाओं के लिए अध्ययन जारी है। एसईसीएल के अधिकार वाले क्षेत्र में 15 परियोजनाओं के लिए अस्थाई वर्क परमीट से संबंधित अध्ययन भी किया गया।

1.5.2 विवेच्य वर्ष के दौरान डब्ल्यूसीएल की सात परियोजनाओं में विशेष जल भू-भौतिकी अध्ययन तथा एसईसीएल की परियोजनाओं में जल समस्या/उत्पादन सपोर्ट अध्ययन किया गया। 3 डब्ल्यूसीएल परियोजना तथा सभी एसईसीएल परियोजनाओं का कार्य पूरा किया जा चुका है। इस विवेच्य अवधि के दौरान 15 डब्ल्यूसीएल परियोजनाओं के सतही जल कंडीशन पर जल-भू-वैज्ञानिकी टिप्पणी पूरी की जा चुकी है। सीएमपीडीआई ने भी डब्ल्यूसीएल एरिया में 38 एमओईएफ अनुमोदित परियोजनाओं का सतही जल मानिट्रिंग किया।

1.5.3 इसके अतिरिक्त, वर्ष 2006-07 में जल भू-वैज्ञानिकी तथा बोकारो कोयला क्षेत्र के वाटर शेड मॉडल की तैयारी पर आरएंडडी कार्य जारी रहा तथा कार्य पूरा होने के एडवांस स्टेज में है।

1.5.4 सीएमपीडीआई ने उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन के लिए उड़ीसा में टिस्को तथा लांजीगढ़ बाक्साइड माइन्स हेतु बेस्ट बोकारो कोयला क्षेत्र में कोटरे बसंतपुर तथा पंचमो वशवर्ती कोयला खनिखंडों का जल भू-वैज्ञानिक परीक्षण भी किया। टिस्को का कार्य प्रगति में है, जबकि बाक्साइड माइन्स पर रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है।

1.6 कोल बेड मिथेन (सीबीएम)/कोल माइन मिथेन (सीएमएम)/भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी)।

1.6.1 यूएनडीपी/वैश्विक पर्यावरण सुविधा(जीईएफ)- जीओआई परियोजना : रिकवरी एवं कमर्शियल उपयोगिता :

झारिया कोयला क्षेत्र में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के मुनीडीह तथा सुदामडीह में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) तथा वैश्विक पर्यावरण सुविधा (ग्लोबल इनवायरमेंट फैंसिलिटी), के सहयोग से भारत सरकार द्वारा कोल बेड मिथेन रिकवरी एंड कमर्शियल यूटिलाइजेशन' नामक प्रदर्शन परियोजना हाथ में ली गयी है। यूएनडीपी द्वारा कार्य में लगाये गये विशेषज्ञों द्वारा परियोजना दस्तावेज तैयार किया गया। 5 वर्षों की परियोजना अवधि के साथ सितम्बर, 1999 में 76.85 करोड़ (यूएलडी 18,082 मिलियन) वाली परियोजना की मंजूरी भारत सरकार द्वारा दी गई। कोयला मंत्रालय ने दिसम्बर, 2007 की पूर्णता तिथि के साथ 92.427 करोड़ रुपये के लिए जून, 2004 में संशोधित लागत प्राक्कलन का अनुमोदन कर दिया। सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड तथा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड जीओआई की ओर से कार्यान्वयन एजेंसी है।

वर्ष 2006-07 के दौरान निम्नलिखित कार्य किए जा चुके हैं या किए जा रहे हैं :

- (i) यूनिडो के तहत अन्तर्राष्ट्रीय सीबीएम निष्कर्षण (रिकवरी) उपकरण की प्राप्ति : यूनिडो द्वारा प्राप्ति के तहत भूतल ड्रिलिंग के लिए सभी बड़े महत्वपूर्ण उपकरण पहुँच गये हैं। भूमिगत ड्रिलिंग के लिए बड़े उपकरण पैकेज का आदेश दे दिया गया है। लॉग होल ड्रिल आधारित हारिजेंटल बीम फरवरी, 06 में पहुँच गया है। एक पैकेज अर्थात् लॉग होल ड्रिल के लिए स्टेयरिंग टूल्स यूनिडो द्वारा प्राप्ति के चरण में है। यूनिडो द्वारा कई बार पुर्ननिविदा जारी किए जाने के कारण कई पैकेज उपकरण प्राप्त करने में देरी हो गई है, फलस्वरूप परियोजना की अवधि बढ़ाई गई है।
- (ii) **सीएमआरआई द्वारा प्रयोगशाला उपकरण की प्राप्ति प्रक्रियाधीन :**

परियोजना लागत पर दो प्रयोगशाला उपकरण यथा : फील्ड डिजोर्पसन अपरेटस तथा गैस क्रोमेटोग्राफी सिस्टम अपग्रेड, सीएमपीडीआई में स्थापित कर चालू कर दिया गया है। परियोजना लागत पर प्राप्त " तीसरे पैकेज चेचीस पर मोबाइल फील्ड डिजोर्पसन लैबोरेटरी" के लिए बॉडी बिल्डिंग एक्टिविटी की जा चुकी है। चौथे लैब उपकरण अर्थात् एड्जोमर्सन इसोथरेम एप्राक्ट्स (नया) सीएमपीडीआई द्वारा निविदा करने के स्टेज में है।

III. **सीबीएम यूटिलाइजेशन उपकरण :**

सीबीएम/सीएमएम,1 एमडब्ल्यू (250 के डब्ल्यू x 4) से प्राप्त मुनीडीह कार्य स्थल में सीबीएम गैस आधारित पावरजेनरेटिंग उपकरण के माध्यम से यूटिलाइजेशन डिमांस्ट्रेट करने के लिए आदेश दिये जा चुके हैं। सुदामडीह कार्य स्थल में माइन ट्रक के रूप में बदले गये ईंधन के रूप में सीबीएम/सीएमएम का इस्तेमाल करने के लिए (1) रिफ्यूइलिंग स्टेशन तथा (2) कन्वर्सन किट्स की प्राप्ति टेंडरिंग के स्टेज में है।

IV. **कार्यस्थल की गतिविधियां :**

- i. मुनीडीह में चालू किया गया वर्टिकल ड्रिलिंग यूनिट 1059 मी0 की गहराई की पूर्णता के साथ पहले वर्टिकल वेल के वेधन का कार्य पूरा कर लिया गया है। दूसरे वर्टिकल वेल में 784 मी0 की गहराई वेधन का कार्य किया गया है।
- ii. बीम आधारित लॉग होल ड्रिल (यूजी) के लिए क्रियात्मक रूप से जांच सतही स्तर पर पूरा कर लिया गया है। मेसर्स डीबीटी ने डीजीएमएस को वांछित सूचना दी है तथा डीजीएमएस ने खान में कार्यत्मक रूप से तथा कार्य निष्पादन जांच के लिए भूमिगत खानों यूनिट को शिफ्ट करने की सहमति दे दी है। डीबीटी के तकनीकी कार्य निष्पादन जांच कार्मिक तथा शिफ्टिंग करने के लिए 21 मार्च, 2007 को कार्यस्थल पर पहुँचे। स्टेयरिंग टूल्स की प्राप्ति होने पर तत्काल सुदामडीह में भूमिगत ड्रिलिंग का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
- iii. गैस पाइप लाइन मार्ग(रूट) सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया है। गैस पाइप लाइन बिछाने का कार्य संबंधित क्षेत्रों द्वारा निविदा के अंतर्गत है। फ्यूजन मशीन पर प्रशिक्षण के बाद लाइन बिछाने का कार्य तत्काल शुरू कर दिया जायेगा जिस 7 मार्च, 2007 तक कार्य स्थल पर भेज दिया गया है।

1.6.2 **सीआईएल तथा ओएनजीसी के संघ(कंसोर्टियम)द्वारा झरिया तथा रानीगंज कोयला क्षेत्र में सीबीएम पूर्वक्षेपण का सहयोगात्मक विकास**

भारत सरकार की सीबीएम नीति के अनुसार कोल इंडिया तथा ओएनजीसी के संघ को सीबीएम के विकास के लिए एक रानीगंज तथा एक झरिया कोयला क्षेत्र में कुल 2 ब्लॉक

आवंटित किया गया है। इस परियोजना में कोल इंडिया लिमिटेड की ओर से सीएमपीडीआई कार्यान्वयन एजेंसी है।

1.6.2.1 झरिया की सीबीएम खनिखंड (ब्लॉक) :

झारखंड सरकार ने झरिया सीबीएम ब्लॉक हेतु अगस्त, 2003 में इस संघ के लिए पेट्रोलियम गवेषण लाइसेंस (पीईएल) स्वीकृत किया है। विस्तृत अध्ययन तथा सीएमपीडीआई एवं ओएनजीसी की संयुक्त सीबीएम टीम द्वारा सभी उपलब्ध भू-वैज्ञानिक एवं भू-भौतिकी आंकड़ों के आधार पर 8 सीम होलों का स्थान निर्धारित किया गया।

स्लीम होल का वेधन दिनांक : 30 दिसम्बर, 2004 में शुरू कर दिया गया तथा अब तक सभी 8 बोर होलों में वेधन का कार्य पूरा किया जा चुका है। कुल 8703 मी० का ड्रिलिंग ब्लॉक में किया जा चुका है। वर्ष 2006-07 के दौरान ड्रिल किया गया कुल मीटरज 141.04 मी० है। सीबीएम से संबंधित जांच की जा चुकी है तथा डिजोपर्सन जांच के लिए सीएमपीडीआई को तथा अन्य जांच के लिए सीएमपीडीआई लैब को नमूने भेजे जा चुके हैं। भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट की तैयारी के लिए भू-वैज्ञानिक आंकड़ों का प्रोसेसिंग तथा पूर्णता का कार्य जारी है। ओएनजीसी ने सीएमपीडीआई के सहयोग से गवेषणात्मक वेल का ड्रिलिंग किया है।

1.6.2.2 रानीगंज सीबीएम खनिखंड :(ब्लॉक)

दिनांक : 9.04.06 को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा रानीगंज सीबीएम ब्लॉक के लिए पेट्रोलियम गवेषण लाइसेंस मंजूर कर दिया गया तथा रानीगंज सीबीएम ब्लॉक में ड्रिल किए जाने वाले स्लीम होल/बेल का स्थान निर्धारित करने के लिए सीएमपीडीआई, ओएनजीसी द्वारा गवेषण का कार्य किया जा चुका है। उसके बाद उपर्युक्त कार्य स्लीम होल के निर्धारण कार्य को अंतिम रूप दिया जा चुका है।

स्लीम होल का ड्रिलिंग दिनांक : 23 मार्च, 06 को प्रारंभ किया जा चुका है। वेधन के लिए विचार किये गये 8 स्लीम होलों में से 5 स्लीम होल मार्च, 07 तक पूरे किए जा चुके हैं, तथा 1 स्लीम होल पर कार्य जारी है। वर्ष 2006-07 के दौरान ड्रिलिंग की प्रगति 5225.50 मी० है तथा संचित प्रगति प्रारंभ से मार्च, 07 तक 5374.50 मी० है।

1.6.3 दसवीं X वीं योजना के दौरान उन्नायक (प्रोमोशनल) गवेषण के तहत सीबीएम से संबंधित अध्ययन

सीएमपीडीआई ने भारत सरकार द्वारा वित्त प्रदान की जाने वाली कुल 8.83 करोड़ रुपये परियोजना व्यय सहित उन्नायक (प्रोमोशनल) गवेषण के तहत ड्रिल किए जा रहे बोर होलों के जरिए ' एसेसमेंट ऑफ कोल बेड मिथेन गैस 'इन'प्लेस रिसोर्सज ऑफ इन्डियन कोलफील्ड्स ' से संबंधित अध्ययन का कार्य किया है।

सितम्बर, 2004 में भारत सरकार से इस परियोजना का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद प्रोमोशनल गवेषण के अंतर्गत खनिखंडों (ब्लॉकों) को प्राथमिकता दी गई तथा सीबीएम से संबंधित अध्ययन किया गया। वर्ष 2006-07 के दौरान भिन्न-भिन्न कोयला क्षेत्रों में फैले 9 बोर होलों से डिजोपर्सन अध्ययन के लिए नमूने एकत्र किये जा चुके हैं जबकि सीबीएम से संबंधित परीक्षण, इसकी शुरुआत होने की तिथि से 21 बोर होलों में निष्पादित किये जा चुके हैं।

1.6.4 बड़े ओपेन कास्ट माइन्स से संबंधित सीएमएम की संभावना के निर्धारण के लिए परियोजना प्रस्ताव :

(1) 1.91 करोड़ रुपये की परियोजना लागत पर एनसीएल, सिंगरौली कोयला क्षेत्र के मोहरे सब बेसिन में बड़े ओपेन कास्ट माइन्स से संबंधित सीएमएम की संभावना का निर्धारण तथा (2) 1.76 करोड़ रुपये की परियोजना लागत पर कोरबा कोयला क्षेत्र में बड़े ओपेन कास्ट माइन्स से जुड़े सीएमएम की संभावना का निर्धारण के लिए प्रोजेक्ट प्रपोजल एनसीएल तथा एसईसीएल को क्रमशः सुपूर्द किया जा चुका है। इन परियोजनाओं को लेने के लिए कार्यादेश/अनुमोदन अब तक प्राप्त किया जा चुका है।

1.6.5 भारत में सीबीएम/सीएमएम क्लियरिंग हाउस की स्थापना

भारत में सीबीएम/सीएमएम क्लियरिंग हाउस की स्थापना करने के लिए दिनांक : 16 नवम्बर, 2006 को कोयला मंत्रालय, भारत सरकार तथा संयुक्त राज्य पर्यावरणिक सुरक्षा एजेंसी(यूएसईपीए) के बीच समझौता संलेख (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया। कोयला मंत्रालय ने सीएमपीडीआई में क्लियरिंग हाउस को स्थापित करने का निर्णय लिया है। अनुवर्ती कार्यवाही अंडर वे में है।

1.6.6 कास्ता ब्लॉक के लिए यूसीजी, विशिष्ट अतिरिक्त आंकड़ा का सृजन, कोल इंडिया से अनुमोदन प्राप्त हो जाने के बाद रानीगंज कोयला क्षेत्र में कार्य शुरू किया जा चुका है :

कोल इंडिया ने यूसीजी परियोजनाओं को संयुक्त रूप से जारी रखने के लिए ओएनजीसी के साथ एमओयू किया है। इस क्षेत्र में तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराने के लिए स्कोचिनस्की इन्स्टीट्यूट ऑफ माइनिंग (एसआईएम) चीन के साथ ओएनजीसी ने एमओयू में प्रवेश किया है। कोल इंडिया लि0/सीएमपीडीआई ने 5 खनिखंडों की पहचान की है तथा ओएनजी/एसआईएम द्वारा आपूर्ति किए गये फार्मेट के आधार पर इन खनिखंडों के लिए डाटा पैकेज तैयार किए गये हैं। आपूर्ति किए गये डाटा की जांच सोवितय विशेषज्ञों के द्वारा की गई तथा रानीगंज कोयला क्षेत्र में केवल एक ब्लॉक कास्ता का पायलट स्केल अध्ययन करने के लिए इसकी उपयुक्ता पर विचार करने हेतु अतिरिक्त आंकड़े का सृजन करने के लिए चयन किया गया। अपेक्षित आंकड़ा सृजित करने के लिए कार्रवाई की जा चुकी है।

2.0 परियोजना आयोजना (प्लानिंग) एवं डिजाइन :

वर्ष 2006-07 के दौरान अतिरिक्त कोयला उत्पादन क्षमता बनाने हेतु नए/विस्तारण/पुनर्गठन खानों की परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम कोल इंडिया लिमिटेड की कोयला उत्पादक कम्पनियों की प्राथमिकता के अनुसार किया गया। 11वीं योजना तथा परियोजना की रिपोर्ट की तैयारी के लिए विशेष बल दिया गया।

उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य भी किए गए :-

- परियोजना रिपोर्ट/लागत प्राक्कलन का संशोधन।
- कोकिंग/गैर-कोकिंग कोयला वाशरियों के लिए संभाव्यता रिपोर्ट
- वर्तमान बीसीसीएल वाशरियों के सुधार/आधुनिकीकरण पर अध्ययन
- बड़े ओसी माइन्स के लिए परिचलनात्मक योजनाएं

- इन्क्रीमेंटल उत्पादन के लिए कार्योत्तर पर्यावरणिक क्लियरेंस हेतु ईएमपी सहित पर्यावरणिक प्रबंधन योजना(ईएमपी)
- आग एवं धँसान तथा पुर्नवास से निपटने के लिए विशेष रिपोर्ट
- विस्तृत डिजाइन एवं ड्राईंग, एनआईटी, निविदा संवीक्षा इत्यादि
- कोल इंडिया के भू0ग0 तथा खुली खदानों की खान क्षमता का मूल्यांकन
- ओपेन कास्ट तथा अंडरग्राउंड माइन्स के परिचालन (ऑपरेशन) से संबंधित खान की क्षमता का मूल्यांकन
- कोल इंडिया की खानों में एसडीएलएस तथा एलएचडीएस का इस्तेमाल करते हुए खुली खानों (ओसी माइन्स), पार्वड सपोर्ट लॉगवॉल फेसेस तथा इन्टरमिडिएट प्रोद्योगिकी में लगाये गये एचईएमएम का कार्य-निष्पादन मूल्यांकन।
- कोल इंडिया की भूमिगत खानों में लॉगवाल तथा कंटीन्यूअस माइन प्रौद्योगिकी की पहचान के लिए ग्लोबल बिड दस्तावेज की तैयारी।

वर्ष 2006-07 के दौरान कोयला नमूने, कोयला कोर प्रोसेसिंग तथा विश्लेषण, वाशबिलिटी परीक्षण इत्यादि पर पर्यावरणिक प्रबंधन प्रबोधन, सुदूर संवेदन, ऊर्जा अंकेक्षण (डीजल एवं इलेक्ट्रीकल), डीजल एवं इलेक्ट्रीकल की खपत का बेंचमार्किंग तथा ओपेन कास्ट एवं अंडर ग्राउंड माइन्स में डीजल एवं इलेक्ट्रीकल खपत मानकों का निर्धारण, रॉक एवं कोयला नमूनों पर भूभौतिकी यांत्रिकी परीक्षण, धँसान अध्ययन, संस्तर नियंत्रण, अनाशक परीक्षण (एनडीटी) नियंत्रित विस्फोटन एवं कंपनी अध्ययन, तथा विस्फोटकों का इस्तेमाल, संवातन, भूमिगत खानों का गैस सर्वेक्षण, खनन इलेक्ट्रानिक्स, स्लोप स्टेबिलिटी, पेट्रोग्राफी, क्लीट अध्ययन (क्लीट स्टडी) के क्षेत्र में कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनियों को विशेषज्ञ परामर्शी सेवाएं भी उपलब्ध कराई गईं।

वर्ष 2006-07 के दौरान कोल इंडिया तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों के लिए कुल 242 रिपोर्ट तैयार की गई है।

तैयार की गई रिपोर्टों का विवरण नीचे दिया गया है :-

रिपोर्ट	संख्या
भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट	17
परियोजना रिपोर्ट	23
संशोधित परियोजना रिपोर्ट	2
संशोधित लागत प्राक्कलन(इंटीमेंट)	2
विशेष रिपोर्ट	2
परिचालनात्मक योजनाएं	12
अन्य अध्ययन	151
इ.एम.पी.*	33*
कुल	242*

33 ईएमपी के अतिरिक्त, फार्म 1भी 32 परियोजनाओं के लिए जमा किया जा चुका है।

वर्ष 2006-07 की अवधि में तैयार की गई रिपोर्टों का विस्तृत विवरण परिषिष्ट-1 में संलग्न है।

2.1 परिप्रेक्ष्य आयोजना एवं परियोजना मूल्यांकन :

- 1) 11वीं (XI) योजना के दौरान कोल इंडिया द्वारा लिये जाने के लिए कोयला खनन परियोजनाओं की पहचान।
- 2) 10वीं (X) योजना कोयला खनन परियोजना रिपोर्ट की तैयारी तथा अनुमोदन की स्थिति का अद्यतनीकरण।
- 3) सचिव (कोयला) के पुनरीक्षण बैठक के संबंध में 100 करोड़ रु0 से अधिक जारी परियोजना लागत के कार्यान्वयन की स्थिति का अद्यतनीकरण।
- 4) पावर (यूटिलीटिज), पावर (वशवर्ती), सीमेंट, स्पंज आयरन इत्यादि के संबंध में कोयला लिंकेज का अद्यतनीकरण।

2.2 कोयला एवं खनिज परिष्करण :

सीएमपीडीआई कोयला वाशरियों/खनिज परिष्करण संयंत्र तथा वर्तमान संयंत्रों के रूपांतरण/आधुनिकीकरण में अवधारणा से संस्थापन तक के कार्यों में अपनी सेवाएँ देता है। विस्तृत प्रौद्योगिकीय सेवाओं में प्रयोगशाला अध्ययन, परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, विस्तृत डिजाइन, निर्माण प्रबंधन तथा विकास क्रिया-कलाप शामिल हैं। वर्ष 2006-07 के दौरान निम्नलिखित मुख्य कार्य पूरे किए जा चुके हैं :

- (i) दिपिका वाशरी के आद्योपान्त क्षमता का मूल्यांकन।
- (ii) बीओओ के आधार पर मानगुरु में कोयला वाशरियों की स्थापना के लिए संभाव्यता रिपोर्ट (एफआर) की तैयारी।
- (iii) वर्ष 2005-06 के लिए कोल इंडिया लिमिटेड की वाशरियों हेतु डाटा बैंक का विकास।
- (iv) (लोदना एवं बारोरा वाशरियों को छोड़कर) (मई 2000) बीसीसीएल की वाशरियों में फायर फाइटिंग की व्यवस्था पर रिपोर्ट का अद्यतन लागत प्राक्कलन।
- (v) सिंगरौली टाउनशिप के लिए एसटीपी के स्थापन की रिपोर्ट हेतु विद्युत एवं इसकी लागत के "बीओओ" सहित विद्युत अध्ययन की तैयारी।
- (vi) ✓ टर्न की के आधार पर धोरी वाशरी
✓ नन्दन वाशरी में स्पायरल कन्सनट्रेटर की स्थापना द्वारा चूर्ण (फाइन) कोयले का परिष्करण तथा
✓ नन्दन वाशरी के कोमांगजिग की मरम्मती के लिए निविदा विनिर्देशन दस्तावेज की तैयारी।
- (vii) मैग्नेटिक पार्टिकल का इस्तेमाल करते हुए कोयला वाशरी के लिए "डवलपमेंट ऑफ प्रोसे फॉर क्लीयरिफिकेशन ऑफ इन लेट वेस्ट वैरियर" शीर्षक के अन्तर्गत एस एण्ड टी परियोजना के लिए पूर्णता रिपोर्ट।

3.0 अभियंत्रण सेवाएँ :

कोल हैंडलिंग प्लांट, कर्मशाला, विद्युत आपूर्ति वितरण एवं नियंत्रण प्रणाली, पंपिंग और ड्रेनेज प्रणाली, औद्योगिक एवं आवासीय भवन, सड़क एवं रेलवे साइडिंग, टाउनशिप के लिए परामर्शी सेवा देने के अलावे निम्नलिखित सेवाएँ उपलब्ध करायी गईं :

3.1 विद्युत एवं यांत्रिक अभियंत्रण सेवाएँ :

3.1.1 ऊर्जा अंकेक्षण प्रबंधन :

पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संगठन (पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन) भारत सरकार ने सीएमपीडीआई को ऊर्जा अंकेक्षक के रूप में पीसीआरए के पैनल में सूचीबद्ध किया है।

सीसीएल की एक खान, एनसीएल के दो खानों के लिए डीजल की खपत तथा डीजल की खपत मानदंडों के निर्धारण के बेंच मार्किंग पर तथा एनसीएल के 3 खानों तथा डब्ल्यूसीएल की एक खान के लिए विद्युत ऊर्जा खपत मानदंडों के निर्धारण तथा ऊर्जा की खपत पर रिपोर्ट तैयार की गई।

3.1.2 निरीक्षण सेवाएँ :

सीएमपीडीआई ने कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कम्पनियों द्वारा खरीदे गए उपकरणों के प्री डिस्पैच निरीक्षण के लिए तृतीय पक्ष निरीक्षण सेवाएँ जारी रखी। विवेच्य वर्ष के दौरान इस सेवा से कुल राजस्व 80.20 लाख रुपये अर्जित किए गए।

3.1.3 विद्युत आपूर्ति, वितरण एवं नियंत्रण प्रणाली :

- (i) एनसीएल के लिए 33केवी मोड्यूलर सब- स्टेशन हेतु एनआईटी।
- (ii) वीणा उप स्टेशन, एनसीएल के ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के शिपिंग तथा डाइभरसिफिकेशन के लिए एनआईटी।
- (iii) ब्लॉक बीएनसीएल के 33 केवी उप स्टेशन के लिए एनआईटी।

3.1.4 अन्य अध्ययन :

- (i) गेवरा एसईसीएल के अस्पताल में वातानुकूलन प्रणाली के लिए निविदा दस्तावेज की तैयारी।
- (ii) जयन्त सीएचपी, एनसीएल में वर्तमान फायर फाइटिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण/उन्नयन के लिए योजना।
- (iii) एनसीएल (मुख्यालय) के कम्प्यूटर रूम के लिए अग्निशामक व्यवस्था।
- (iv) कृष्णशीला ओसीपी, एनसीएल के लिए वर्कशॉप तथा स्टोर के निर्माण हेतु एनआईटी।
- (v) खादिया सीएचपी, एनसीएल के आटो सेम्पलिंग सिस्टम के लिए एनआईटी।

3.2 सिविल अभियंत्रण सेवाएँ :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण सेवाएँ पूरी की गईं :

- (i) तावा, उमरेर, नीलगई तथा चरगाँव ओपेन कास्ट परियोजनाओं में डब्ल्यूसीएल के लिए चार नए सीएचपी का संरचनात्मक अभिकल्पन।
- (ii) एमसीएल के लिंगराज सीएचपी के छः सर्किट के लिए सुधार एवं संरचनात्मक पर्याप्तता अध्ययन।
- (iii) एमसीएल के ठीक उसी प्रकार के कार्य के लिए निर्मित वीयर साइट तथा इनटेक वेल पर बसुन्धरा नदी के दोनों किनारों से बाढ़ सुरक्षा कार्य जैसे जल संसाधन अभियांत्रिकी से संबंधित विभिन्न संरचनाओं का सिविल/संरचनात्मक डिजाइन।

- (iv) डब्ल्यूसीएल के बल्लारपुर क्षेत्र के लिए समेकित जल आपूर्ति योजना (आईडब्ल्यूएसएस)।
- (v) विष्णुधारा नदी के ऊपर प्रस्तावित सड़क पुल के टर्न की कार्यान्वयन के लिए निविदा दस्तावेज।
- (vi) एनसीएल के लिए कृष्णशीला परियोजना पर प्रस्तावित उत्खनन वर्कशॉप के लिए निविदा दस्तावेज तैयार किया गया।
- (vii) जागृति विहार, सम्बलपुर में एमसीएल की आवासीय कॉलोनी में प्रस्तावित स्टेट ऑफ द आर्ट स्वीमिंग पुल का वास्तु शिल्पीय डिजाइन एवं प्राक्कलन।
- (viii) पाथाखेरा क्षेत्र, डब्ल्यूसीएल के विभिन्न वर्तमान संरचनाओं के लिए सुधार तथा रीफरविशमेंट कार्य।
- (ix) जयन्त, एनसीएल में रोज गार्डन के लैंड स्केपिंग विकास कार्य के लिए टर्न की निविदा दस्तावेज।
- (x) सीसीएल के जवाहर नगर में नेहरू सांस्कृतिक केन्द्र के लिए मरम्मती का कार्य।

4.0 अनुसंधान एवं विकास :

4.1.1 कोयला मंत्रालय के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुदान के अन्तर्गत अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ

कोयला क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास की गतिविधियाँ, एपेक्स बॉडी तथा इसके अध्यक्ष के रूप में सचिव (कोयला)के साथ स्टैंडिंग साइनेटिफिक रिसर्च कमेटी (एसएसआरसी) के माध्यम से संचालित की जाती है। इस एपेक्स बॉडी में कोल इंडिया के अध्यक्ष, सीएमपीडीआई, एससीसीएल तथा एनएलसी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, सीएसआईआर प्रयोगशाला के निदेशक, एस.एण्ड टी. विभाग के प्रतिनिधि, योजना आयोग तथा शैक्षणिक संस्थान शामिल रहते हैं। एसएसआरसी का मुख्य कार्य योजना, कार्यक्रम, बजट तैयार करना तथा अनुसंधान परियोजनाओं के कार्यान्वयन का निरीक्षण करना एवं किये गये अनुसंधान एवं विकास की उपलब्धियों के क्रिया-कलापों का पता लगाना होता है। कोल इंडिया की गृह अनुसंधान एवं विकास के कार्यों के लिए कोल इंडिया के अध्यक्ष की अध्यक्षता में अनुसंधान एवं विकास बोर्ड भी कार्य कर रहा है।

एसएसआरसी को तीन स्टैंडिंग उपसमितियों द्वारा सहयोग किया जा रहा है। इनमें से प्रत्येक अनुसंधान के तीन प्रमुख क्षेत्रों यथा : 1- उत्पादन, उत्पादकता एवं सुरक्षा 2- कोयला परिष्करण एवं उपयोगिता 3- पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में कार्य कर रहा है।

कोयला क्षेत्र में अनुसंधान की गतिविधियों के समन्वयन के लिए सीएमपीडीआई नॉडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इस कार्य में अनुसंधान की गतिविधियों के लिए दबाव वाले क्षेत्र की पहचान, एजेंसियों की पहचान शामिल है जो निधि के वितरण, बजट प्राक्कलन की तैयारी, परियोजना के विकास की मॉनीटरिंग, सरकारी अनुमोदन के लिए प्रोसेसिंग इत्यादि तथा पहचान किये गये क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य ले सकता है।

4.1.1 फिजिकल कार्य निष्पादन :

- (अप्रैल 2002से मार्च, 07 तक) 10वीं योजना अवधि के दौरान विभिन्न एजेंसियों द्वारा कुल 51 परियोजनाएँ पूरी की जा चुकी हैं।
 - 11वीं योजना के अंतर्गत कोयला एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी की स्थिति इस प्रकार रही :
- | | | |
|----|--|----|
| 1. | 1.4.2007 के अनुसार जारी परियोजनाएँ | 36 |
| 2. | वर्ष 2006-07के दौरान जीओआई द्वारा स्वीकृत परियोजनाएँ | 06 |
| 3. | वर्ष 2006-07 के दौरान पूरी की गई परियोजनाएँ | 10 |
| 4. | 1.5.2007 के अनुसार चालू परियोजनाएँ | 42 |

4.1.2 वर्ष 2006-07 के दौरान निम्नलिखित कोयला एसएंडटी परियोजनाएँ पूरी की गई :

1. नवेली डीमसीटेड एक्वीफायर्स के लिए रिचार्ज एरिया में रिचार्ज संभावना की वृद्धि पर रिपोर्ट।
2. खनन क्षेत्रों में आवासीय संरचना के लिए ब्लास्ट वाइब्रेशन डैमेज थ्रस होल्ड का मानीकीकरण
3. कोयला खानों में बालू भराई द्वारा पिलर निष्कर्षण के दौरान उन्नत सपोर्ट का एवेटमेंट लोडिंग ट्रेंड तथा डिजाइन का विस्तार में अध्ययन।
4. बोल्ट तथा अनुषंगियों का चयन करने के लिए हाई स्ट्रैम क्रासन प्रतिरोधकता रूफ बेस्ड तथा गाइड लाइन्स का विकास
5. बड़े ओपेन कास्ट माइन्स के लिए समेकित खान संचालन प्रबंधन प्रणाली का विकास
6. भूमिगत कोयला खानों में भूवैज्ञानिक दोष तथा जल निकायों का पता लगाने तथा मैपिंग के लिए संभाव्यता रिपोर्ट।
7. पलुराइज्ड बेड का इस्तेमाल करते हुए पलुराइज्ड लिग्नाइट से माकेसाइट का पृथक्करण।
8. विभिन्न प्रकार के राख स्तरों पर ज्वलनशील प्रकृति का मूल्यांकन
9. औद्योगिक प्रयोग में प्राकृतिक कोक (झामा) की संभावित उपयोगिता के लिए प्रक्रिया का विकास
10. उष्मा प्रभावित झरिया कोयला क्षेत्र के लाभप्रद औद्योगिक उपयोग के लिए आरएंडडी का सहयोग

4.1.3 विवेच्य अवधि के दौरान वास्तविक कोष (फंड) की तुलना में बजट का प्रावधान नीचे दिया जा रहा है :

(करोड़ रुपये में)

2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
आरई	वास्तविक	आरई	वास्तविक	आरई	वास्तविक	आरई	वास्तविक	आरई	वास्तविक
9.50	6.04	10.04	9.82	9.50	6.04	10.04	9.82	6.0	7.63

4.2 कोल इंडिया लिमिटेड अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ :

कोल इंडिया लि0. के घरेलू अनुसंधान एवं विकास का कार्य करने के लिए अध्यक्ष, कोल इंडिया लि0 की अध्यक्षता में अनुसंधान एवं विकास बोर्ड कार्य कर रहा है। सीएमपीडीआई नॉडल एजेंसी के रूप में, कोल इंडिया अनुसंधान एवं विकास बोर्ड द्वारा निधित अनुसंधान की गतिविधियों के समन्वयन के लिए भी कार्य करता है।

4.2.1. वर्ष 2006-07 के दौरान कोल इंडिया अनुसंधान एवं विकास बोर्ड परियोजनाओं की स्थिति इस प्रकार रही :

- | | | | |
|-----|---|---|----|
| (1) | 01.04.2006 के अनुसार चालू परियोजनाएँ | — | 15 |
| (2) | 2006-2007 के दौरान अनुमोदित परियोजनाएँ | — | 02 |
| (3) | वर्ष 2006-2007 के दौरान पूरी की गई परियोजनाएँ | — | 02 |
| (4) | 01.04.2007 के अनुसार चालू परियोजनाएँ | — | 15 |

4.2.2 वर्ष 2006-07 के दौरान अनुसंधान एवं विकास कार्यों के लिए फंड का भुगतान 8.66 करोड़ रुपये किया गया।

5. ईएमपीडीआई योजनाओं का समन्वयन :

सीएमपीडीआई “ पर्यावरणिक उपायों एवं धंसान नियंत्रण ” शीर्षक के अधीन कोयला मंत्रालय द्वारा स्वीकृत चालू पर्यावरणिक उन्नयन योजनाओं के समन्वयन एवं मॉनीटरिंग हेतु एक नोडल एजेंसी है। सीएमपीडीआई नये प्रस्तावों की तकनीकी समीक्षा, परियोजना स्थलों का मुआयना तथा कार्यन्वयक एजेंसियों को कोष वितरण करता है। 3 अग्नि नियंत्रक योजनाओं सहित 18 योजना कार्यान्वित की जा रही है।

6.0 प्रयोगशाला सेवाएँ :

6.1 रासायनिक प्रयोगशाला :

- (1) कोल इंडिया लि० की विभिन्न कम्पनियों में सीएमपीडीआई द्वारा गवेषित 21 खनिखण्डों में बोर होल कोयला कोर पर कोयला का गुण निर्धारण किया गया। विवेच्य वर्ष के दौरान कुल 5316 मी० कोयला कोर को संशाधित किया गया और गुणता मूल्यांकन एवं इसके डाउन स्ट्रीम यूटिलाइजेशन(अनुप्रवाह उपयोग) के लिए 14702 नमूनों का विश्लेषण किया गया।
- (2) गवेषण ब्लॉकों से स्पंज आयरन के लिए कोयले का गुण-निर्धारण अब नियमित रूप से किया जा रहा है। कुछ ब्लॉकों के संबंध में गुण-निर्धारण पहले से ही पूरा किया जा चुका है तथा अन्य के लिए यह जारी है।
- (3) एनसीएल के बीणा एवं दुधिचुआ ओसीपी से आरओएम तथा धुले हुए कोयले का विस्तृत गुण निर्धारण रिपोर्ट पूरा कर लिया गया।

6.2 कोयला शैलिकी (पेट्रोग्राफी) प्रयोगशाला :

इस प्रयोगशाला को आईएस 7404 के अनुसार वर्टिनाइट रिफ्लेक्टेंस और मेसरल विश्लेषण के लिए इंटरनेशनल कमेटी ऑफ कोल और आर्गेनिक पेट्रोलॉजी(आईसीसीपी) द्वारा मान्यता प्रदान किया गया है। वर्ष 2006-07 के दौरान निम्नलिखित कार्य किए गये :

- (1) 350 कोयला नमूनों के लक्ष्य के मुकाबले 530 कोयला नमूनों के लिए पेट्रोग्राफी अध्ययन (वर्टिनाइट रिफ्लेक्टेंस तथा मेसरल विश्लेषण), खनिजीकरण अध्ययन (एक्स आर डी तकनीकी के माध्यम से) तथा (एसईएम तकनीक के माध्यम से) खनिज एवं क्लिट विश्लेषण से शेष तथा साइज अध्ययन पूरा किया गया। इसमें शामिल क्षेत्रों में, कोल इंडिया के विभिन्न अनुषंगी कंपनियों से 10 गवेषण खनिखण्डों तथा बाहरी एजेंसियों से आयातित/देशी कोयले थे।
- (2) “स्पंज आयरन उद्योग के लिए गैर-कोकिंग कोयले का गुण निर्धारण अध्ययन और संसाधन मूल्यांकन” नामक कोल इंडिया लिमिटेड अनुसंधान एवं विकास निधित परियोजना प्रगति में है।

6.3 कोयला परिष्करण प्रयोगशाला :

कोयला परिष्करण प्रयोगशाला ने सीसीएल, ईसीएल, डब्ल्यूसीएल जैसी विभिन्न कोयला कंपनियों के कोयले के नमूनों का मूल्य निर्धारण तथा परिष्करण की विशेषता संबंधी अन्यअध्ययन किया है। विवेच्य वर्ष 2006-07 के दौरान निम्नलिखित अध्ययन किए गये :

- (1) सीसीएल के चार कोयला नमूनों मुख्यतः तेतरियाखार, उरिमारी, परेज इस्ट, कारो, ओसीपी तथा एक नमूना बीसीसीएल के कल्याणेश्वरी ब्लॉक से, की धोवन क्षमता का अध्ययन किया गया।
- (2) स्पंज आयरन उद्योग में इस्तेमाल में लाने के लिए नीलजई, डब्ल्यूसीएल का उकनी एवं, मुंगोली ओसीपी तथा राजमहल ओसीपी, ईसीएल से प्राप्त कोयला नमूनों की उपयुक्तता।
- (3) डब्ल्यूसीएल के नन्दन वाशरी के लिए कच्चे कोयले की फिड पर परिष्करण अध्ययन।

6.4 सीबीएम प्रयोगशाला :

- 1) विवेच्य वर्ष के दौरान सीबीएम ब्लॉक के लिए बोर होल कोयला कोरों से एकत्र किए गये टेस्ट सैम्पल का गैस कंपोजिशन अध्ययन पूरा कर लिया गया है।

6.5 खनन प्रयोगशाला :

- 1) खनन प्रयोगशाला, रॉक मेकनिक्स, संस्तर नियंत्रण तथा धँसान से संबंधित कार्यों को करता है। वर्ष 2006-07 के दौरान निम्नलिखित कार्य किये गये :

6.5.1 रॉक मेकनिक्स :

- (1) भौतिक-यांत्रिक विशेषताओं के निर्धारण के लिए ड्रिल कोर नमूने की 1633.58 मी० की लंबाई हेतु परीक्षण किया गया।
- (2) सीआईएल की विभिन्न खानों से प्राप्त 56 रूफ रॉक नमूनों का स्ट्रेंथ प्रोपार्टिज, स्लेक ड्यूरैबिलिटी इंडेक्स तथा डेंसीटी के निर्धारण के लिए परीक्षण किया गया।
- (3) झांझरा भूमिगत परियोजना, ईसीएल के क्षे. सं. 6 सीम का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निर्धारित किया गया।

7.0 पर्यावरणिक सेवाएँ :

7.1 ईआईए/ईएमपी

विवेच्य वर्ष के दौरान सीएमपीडीआई ने कोल इंडिया की सहायक कंपनियों की परियोजनाओं के लिए 33 ईएमपी तैयार किया। इसके अतिरिक्त 14 सितम्बर, 2006 की नई ईआईए की अधिसूचना के टर्म में टीओआर के साथ फार्म नं० 1 कोयला कंपनियों की 32 परियोजनाओं के लिए एमओईएफ को सुपूरद किया जा चुका है।

7.2 वायु, जल और ध्वनि के लिए पर्यावरणिक मॉनीटरिंग :

एमओईएफ, खनन परियोजनाओं के लिए एक बार यदि पर्यावरणिक स्वीकृति दे देता है तो प्रदूषण नियंत्रण उपायों की क्षमता, उनमें अपरेशनल फेज के दौरान परियोजना स्तर पर पता लगाने के लिए रूटिन पर्यावरणिक मॉनीटरिंग जरूरी हो जाता है।

वर्ष 2006-07 के दौरान, सीएमपीडीआई के द्वारा कोल इंडिया (ईसीएल: 16, सीसीएल: 59 डब्ल्यूसीएल: 80 एसईसीएल: 50, एनसीएल: 9 तथा एमसीएल: 24) की 238 परियोजनाओं के पर्यावरणिक मॉनीटरिंग कार्य, आसनसोल, जयंत, कुसमुंडा, हसदेव, नागपुर और राँची स्थित 6 पर्यावरणिक प्रयोगशालाओं के जरिए सम्पन्न किया गया।

7.3 विशेष अध्ययन :

- (1) "विभिन्न खनन मशीनरियों के लिए इमिशन फैक्टर का विकास तथा खुली कोयला खदानों में परिचालन" नामक एक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना को 78.01 लाख रुपये प्राक्कलित लागत के लिए अप्रैल 2002 में कोयला मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- (2) 287.684 लाख रुपये के प्राक्कलित मूल्य के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा 'खान रिक्ति पुररूद्धार के लिए फ्लाइऐश का गुण-निर्धारण' नामक शीर्षक वाली विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना अनुमोदित कर दी गई। इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- (3) दिनांक : 23.2.04 को आयोजित " एसएसआरसी " की 37वीं बैठक में कोयला मंत्रालय द्वारा 78.62 लाख रुपये के आकलित राशि वाली " कोयला परियोजनाओं के एसिड माइन ड्रेनेज के ट्रीटमेंट हेतु निर्मित वेटलेंड्स के जरिये समुचित जैविकीय गंदे जल के उपचार के लिए प्रौद्योगिकी के विकास " पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना अनुमोदित की गई है। इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है।

7.4 अरावली पहाड़ियों के पर्यावरणिक समस्याओं का अध्ययन एवं उदयपुर तथा चित्तौड़गढ़ जिलों के पर्यावरणिक गुणता के रिस्टोरेशन के लिए कार्य योजना की तैयारी :

पर्यावरणिक डिग्रेडेशन की समस्या का समाधान खोजने तथा अरावली पहाड़ी क्षेत्र में विकास को बनाये रखने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राजस्थान के उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ जिले में पर्यावरणिक गुणता के रिस्टोरेशन के लिए कार्य योजना तैयार करने तथा अरावली पहाड़ियों के पर्यावरणिक समस्याओं के अध्ययन का कार्य सीएमपीडीआई को सौंपा है।

विभिन्न स्टेक होल्डरों के साथ बेस लाइन आंकड़ा का प्रतिपादन/संचयन तथा इन्टरैक्शन पर आधारित मसौदा रिपोर्ट तैयार कर फरवरी, 2006 में सीपीसीबी को सुपुर्द कर दी गई है। बैठक में प्राप्त निवेश पर रिपोर्ट संशोधित किया गया तथा मार्च, 2007 में विभिन्न स्टेक होल्डरों के बीच विचार-विमर्श किया गया। स्टेक होल्डरों के टिप्पणियों की प्रतिक्षा है।

7.5 अलवर जिले का पर्यावरणिक मास्टर प्लान :

राजस्थान के अलवर जिले, जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी अरावली अधिसूचना के तहत आता है, का विकास निरंतर बनाये रखने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राकृतिक संसाधन आधार का अध्ययन, वर्तमान पर्यावरणिक परिदृश्य का अध्ययन संसाधनों के उपयोग के परम्परागत तरीके, औद्योगिक, खनन, टूरिस्टों के क्रिया-कलापों आदि द्वारा इस पर दबाव और स्टेनेबिलिटी क्राईटेरिया पर आधारित पर्यावरणिक मास्टर प्लान तैयार करने के उद्देश्य सहित जिले के पर्यावरणिक मास्टर योजना तैयार करने के लिए कार्य सीएमपीडीआई को सौंपा है।

अंतिम रिपोर्ट राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सौंप दिया गया है तथा आगे पर्यावरण विभाग द्वारा राजस्थान सरकार से विचार-विमर्श किया गया है। उनकी टिप्पणियाँ भी प्राप्त हो गई हैं। सुपुर्दगी के लिए रिपोर्ट तदनुसार संशोधित की जा रही हैं।

7.6 ढोरी वाशरी, सीसीएल के लिए ईआईए/ईएमपी का अध्ययन :

दिसम्बर, 2006 में सीसीएल, रांची ने ढोरी वाशरी(2.5 मी0ट0प्र0व0) के ईआईए/ईएमपी की तैयारी का कार्य प्रदान किया गया है। टीओआर सहित फार्म-1 एमओईएफ को देने के लिए सीसीएल को सुपूर्द कर दिया गया है।

7.7 कृष्णशीला कोयला परिवहन, रेणुसागर पावर प्रभाग, हिन्डालको के लिए द्रुत ईआईए :

मेसर्स हिन्डालको ने अप्रैल, 06 में रेणुसागर पावर प्रभाग के लिए कृष्णशीला कोयला परिवहन हेतु द्रुत ईआईए की तैयारी का कार्य प्रदान किया है। मेसर्स हिन्डालको के द्वारा उपलब्ध कराया गया पर्यावरणिक बेस लाईन डाटा पर आधारित द्रुत ईआईए की तैयारी जारी है।

7.8 सीवेज ट्रीटमेंट स्कीम/ इफ्लूएन्ट ट्रीटमेंट स्कीम :

सिंगरौली टाउनशिप में 1.5 एमएलडी एसटीपी तथा अपपलो एनोरोबिक स्लज ब्लाकेट (यूएसएसबी) ट्रीटमेंट पर आधारित सीआईटीआई कॉलोनी के लिए योजना की तैयारी हेतु अंतिम रिपोर्ट सौंप दी गई है।

8.0 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्य पूरे किए गये :

- (1) सीसीएल सूचना प्रणाली के लिए स्थानिक आंकड़ा ।
- (2) सीसीएल के लिए जीआईएस समर्थ भूखनन डाटा बेस का उन्नयन
- (3) कोल इंडिया लिमिटेड के लिए कार्यपालक सूचना प्रणाली।
- (4) धँसान पूर्वानुमान प्रणाली की वृद्धि।
- (5) बीसीसीएल कैम्पस के लिए लीड सर्किट का विस्तार।
- (6) बीसीसीएल मुख्यालय में लोकल एरिया नेटवर्क का विस्तार।
- (7) कोल नेट फेज-2 एमसीएल के कोलियरी स्तर के लिए परियोजना रिपोर्ट।

9.0 मानव संसाधन विकास :

आपकी कंपनी विश्वास करती है कि मानव संसाधन की ताकत एवं गुणवत्ता गतिशील एवं गुंजायमान संगठन के लिए रीढ़ की हड्डी होती है। कंपनी ने कंपनी के संचालन का प्रबंधन करने के लिए अपने पेशेवर प्रकृति को जारी रखा तथा नेतृत्व एवं तकनीकी-प्रबंधकीय निवेश उपलब्ध करवाया। ज्ञान पर आधारित कंपनी होने के कारण, व्यक्तिगत ज्ञान की ताकत को पहचानने का तथा मजबूत संरचना में उन्हें गूँथने का प्रयत्न किया गया है। सीएमपीडीआई में मानव संसाधन विकास कार्यक्रम या तो स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज (एसटीसी) या आईआईसीएम सहित देश के प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों के सहयोग से पूरा करवाता है।

वर्ष 2006-07 के दौरान विभिन्न स्थानों पर तथा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से 900 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इन कार्यक्रमों को पाँच श्रेणियों यथा (1)- प्रबंधकीय/सामान्य (2)- तकनीकी/फंक्शनल (3)क्रॉस फंक्शनल (4) कम्प्यूटर/सूचना प्रौद्योगिकी तथा (5) अन्य के अंतर्गत संचालित किया गया।

कंपनी की कोर गतिविधियों में ग्लोबल सक्षमता लाने के लिए कंपनी ने अन्य देशों में दौरा(विजिट) करने हेतु कर्मचारियों के लिए अधिक संख्या में अवसर पैदा की है। 11 अधिकारियों को प्रशिक्षण/ बैठक (सम्मेलन इत्यादि के लिए विदेश भेजा गया)।

निम्नलिखित क्षेत्रों में अपने कर्मचारियों को विशेष रूप से एक्सपोज किया गया :

- भूमिगत कोयला खानों का यांत्रिकीकरण-चुनौतियाँ तथा प्रौद्योगिकी संचालन।
- संपोषित करने योग्य ऊर्जा के लिए कोयला-स्वस्थ विकास तथा जलवायु परिवर्तन।
- खनन के संचालन में पर्यावरण पहलू।
- सूचना एक्ट के लिए अधिकार।
- सतही जल गवर्नेंस।
- परियोजना योजना, मॉनीटरिंग तथा नियंत्रण प्रणाली।
- रिजर्व स्टीमेंट के लिए यूएनएफसी वर्गीकरण।
- एनसीपी कोलकाता की सहायता से ऊर्जा अंकेक्षण।
- आटोकेड तथा एआरसी जीआईएस के सहयोग से मैप की तैयारी।
- एक्सप्लोसिव तथा ब्लास्टिंग प्रौद्योगिकी में विकास।
- विद्युत ऊर्जा का संरक्षण।
- पूर्ण एवं मिट्टियों के लिए डिजाइन

10.0 विशेषीकृत सेवाएं :

10.1 जियोमेटिक्स :

सीएमपीडीआई के द्वारा थिमेटिक मानचित्र, भू-संरचनात्मक मानचित्र, पावर स्टेशन की सिटिंग, पर्यावरणिक बेस लाइन डाटा जेनेरेशन इत्यादि स्थलीय सर्वेक्षण, खान सर्वेक्षण, अधिभार (ओवरबर्डन) तथा कोयला उत्खनन सर्वेक्षण भूग.खान सह सम्बद्ध सर्वेक्षण की तैयारी के लिए एरियल फोटो तथा सेटेलाइट आंकड़ा के माध्यम से सुदूर संवेदन अध्ययन जैसी सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

10.1.1 सुदूर संवेदन :

वर्ष 2006-07 के दौरान निम्नलिखित कार्य पूरे किये गये हैं जो इस प्रकार हैं :

- (i) पर्यावरणिक प्रबंधन योजना (ईएमपी) की तैयारी के लिए सीआईएल (ईसीएल-6, बीसीसीएल-6, सीसीएल-9, एसईसीएल-6 तथा एमसीएल-3) के 30 कोयला खनन योजनाओं हेतु सेटेलाइट आंकड़ा पर आधारित 10 कि०मी० रेडियस के बफर जोन का भू-उपयोग/आच्छादन मानचित्रण।
- (ii) पर्यावरणिक प्रबंधन योजना (ईएमपी) की तैयारी के लिए टिस्को की कोटरे बसंतपुर कोयला खनन परियोजना हेतु सेटेलाइट आंकड़ा पर आधारित 10 कि०मी० रेडियस के बफर जोन का भू-उपयोग/आच्छादन मानचित्रण।
- (iii) ईएमपी पर लागू एमओईएफ की शर्त का अनुपालन करने के लिए डब्ल्यूसीएल की तीन कोयला खनन परियोजना तथा सीसीएल की 2 कोयला खनन परियोजनाओं के पट्टेधारी क्षेत्र (लिज्ड होल्ड एरिया) के लिए हाई रेजोल्यूशन सेटेलाइट डाटा पर आधारित बड़े पैमाने पर भू उपयोग/ आच्छादन मानचित्रण।

कोल इंडिया की एक अनुसंधान एवं विकास परियोजना " डब्लपमेंट ऑफ मेथाडोलाजी फार रैपिड वाल्यूमेट्रिक एनेलाइसिस आफ एक्सक्वेटेड इनसीटू ओवरबर्डेन इंटीग्रेटिंग हाई रेज्यूलेशन सेटेलाइट, एयरबोर्न लेशर स्कैनर डाटा सपोर्टेड विथ ईटीएस थ्रो डिजिटल फोटोमैट्रिक टेकनिक" कार्यान्वयन के अंतर्गत है।

10.1.2 सर्वेक्षण एवं आरेखन :

विवेच्य वर्ष के दौरान निम्नलिखित सर्वेक्षण कार्य पूरे किए गये :

- (i) 45 खुली खदानों (ईसीएल में 2, बीसीसीएल में 4, डब्ल्यूसीएल में 8, एसईसीएल में 10, एनसीएल में 8, एमसीएल में 10, एनईसी में 2 तथा सीसीएल में 1) के लिए नियमित आधार पर ओबीआर चेक मेजरमेंट का कार्य किया गया।
- (ii) 46 ओसी पैचों (ईसीएल में 22, बीसीसीएल में 9, सीसीएल में 3 तथा एसईसीएल में 10, एनसीएल में 1 तथा एमसीएल में 1) के लिए आउट सोर्सिंग पैच सर्वेक्षण किया गया।
- (iii) मुडिडीह कोलियरी, बीसीसीएल के चार पीट्स पर बैच मार्क का भूमिगत सर्वेक्षण-स्थानांतरण
- (iv) 4 खान परियोजनाओं (एफपीएस से एमकेएस तक) का पैमाना परिवर्तन।
- (v) जीपीएस-डीआरडी परियोजना द्वारा नैशनल ग्रिड कार्डिनेट में स्थानीय कार्डिनेट का परिवर्तन।
- (vi) निलांचल ब्लॉक से एमसीएल के साउथ गोपाल प्रसाद तक 500 केवी डीसी पावर की स्थिति का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण कार्य।
- (vii) 11 कैम्पों में बोर होल सर्वेक्षण।
- (viii) 13 खरिखंडों में गवेषण सर्वेक्षण
- (ix) बोर होल कार्डिनेट सर्वे(88)

भूमिगत खानों के "सह-सम्बद्ध सर्वेक्षण की ठीक तथा द्रुत प्रणाली का विकास" शीर्षक वाली अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ कार्यान्वयन के अंतर्गत हैं।

10.2 विस्फोटन :

सीएमपीडीआई विस्फोटकों और विस्फोटक सहायकों का परीक्षण, विस्फोटन से संबंधित समस्याओं का समाधान, नये उत्पादकों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन आदि के लिए कोल इंडिया की सहायक कम्पनियों तथा अन्य कम्पनियों के लिए विशेषीकृत तकनीकी सेवाएँ प्रदान कर रहा है। विवेच्य वर्ष 2006-07 के दौरान कोल इंडिया की विभिन्न सहायक कम्पनियों एवं इससे बाहर की एजेन्सियों को निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान की गई :-

- (i) बीसीसीएल, सीसीएल तथा एमसीएल की विभिन्न खानों के लिए कुल चार नियंत्रित विस्फोटन एवं कंपनी अध्ययन किए गये।
- (ii) त्रिपक्षीय सदस्य के रूप में सीसीएल, बीसीसीएल, एमसीएल, एनईसीएल तथा एनसीएल की सभी खानों में पाउडर फैक्टर का अध्ययन किया गया।
- (iii) बीससीएल, सीसीएल एनसीएल एवं एनईसी की खानों/मैगनीजों में विस्फोटकों और विस्फोटक सहायकों का रैन्डम सैम्पलिंग, परीक्षण और विश्लेषण सम्पन्न किया गया।
- (iv) सीएमआरआई, धनबाद के सहयोग से सीएमपीडीआई द्वारा " खुली खदान विस्फोटन में अनुकूलतम विस्फोटक ऊर्जा उपयोग के लिए विस्फोटक पारामीटर

और रॉक का गुण निर्धारण " नामक एक कोयला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

10.3 खनन इलेक्ट्रानिक्स :

सीएमपीडीआई, कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न अनुषंगी कंपनियों में संचार नेटवर्क की स्थापना के लिए निविदाओं, संभाव्यता रिपोर्ट, विस्तृत डिजाइन रिपोर्टों को तैयार करने में कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनियों को सेवाएं प्रदान करता है। आयातित/स्वदेशी एचईएमएम कार्डों की मरम्मत के साथ-साथ सुरक्षा उद्देश्य के लिए भूमिगत खानों में प्रयुक्त गैस डिटेक्टर की मरम्मत और अंशशोधन में अनुषंगी कंपनियों को महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करता है। विवेच्य वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्य पूरे किए गये :

10.3.1 प्रतिवेदन/योजना/निविदा आमंत्रण सूचना की तैयारी :

- i) बिना डेसालिंग प्लांट, एनसीएल के लिए पीएससी नियंत्रण हेतु योजना
- ii) ईसीएल के सोनपुर बाजारी तथा कुनौस्तोरिया क्षेत्र के लिए हाई स्पीड हेतु योजना।
- iii) ईसीएल के चिनाकुरी-। एवं नरसामुंडा खान हेतु पर्यावरणिक मॉनिटरिंग सिस्टम(ईएमएस) के लिए एन.आई.टी.
- iv) आरडीसीआईएस के सहायोग से "भूमिगत खानों के लिए कन्वेयर नियंत्रण" नामक एक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजना कार्यान्वित की जा रही है।

10.3.2 इलेक्ट्रॉनिक कार्डों/गैस मानीटरों की मरम्मत/अंशशोधन परीक्षण

170 मीथेनोमीटर की मरम्मत एवं अंशशोधन और 175 एचईएमएम कार्डों की मरम्मत एवं परीक्षण किये गये।

10.4 अनाशक परीक्षण (एनडीटी) :

विवेच्य वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्यों के लिए अनाशक परीक्षण किए गये :

- (i) खादिया ओसीपी, एनसीएल तथा हंसदेव एरिया, एसईसीएल के सीएचपी संरचना कॉलम का अनाशक परीक्षण।
- (ii) डब्ल्यूसीएल तथा एमसीएल के तीन ड्रग लाइन्स
- (iii) चूर्चा इस्ट माइन, एसईसीएल तथा सुदामडीह माइन, बीसीसीएल के काटघोरी साफ्ट का वाईडर, केज तथा सस्पेंशन गियर्स।
- (iv) मुनीडीह, बीसीसीएल के आपात केज, वाइडर्स एवं केज तथा सस्पेंशन गियर्स का महत्वपूर्ण घटक।
- (v) मैगनीज ओर (भारत), बलारपुर खान(डब्ल्यूसीएल) तथा बास्ताकोला खान बीसीसीएल के विभिन्न खानों का वाइन्डर्स

10.5 कोयला प्रौद्योगिकी :

विवेच्य वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्य पूरा किए गये :

- (i) कोल यूटिलाइजेशन से संबंधित विभिन्न एसएंडटी परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन।
- (ii) स्पंज आयरन का उत्पादन करने के लिए कोल इंडिया की सभी कोयला उत्पादक के अधिकार वाले क्षेत्र में गैर कोकिंग कोयला संसाधन की पहचान।

सीएफआरआई, धनबाद की सहयोग से निम्नलिखित एसएंडटी परियोजनाएँ जारी हैं।

- (i) स्टील/मेटलर्जिकल का इस्तेमाल करने के लिए हार्ड कोक के उत्पादन हेतु सस्ते ऊर्जा बहुल उत्पादक कोक ओवन का विकास।
- (ii) स्टाम्प चार्जिंग के इस्तेमाल के द्वारा हार्ड कोक बनाने के लिए कम परिपक्व, गैर-कोकिंग कोयला की उपयोगिता के लिए प्रक्रिया/ तकनीक का विकास।

10.6 प्रबंधन प्रणाली परामर्श (मैनेजमेंट सिस्टम कंसल्टेंसी) :

सीएमपीडीआई वर्ष 1998 में प्रबंधन प्रणाली परामर्शी सेवा में परिवर्तित हुआ। आईएसओ, 9001 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) और आईएसओ 14001 पर्यावरणिक प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) के लिए परामर्शी सेवा देते समय इसने आईएसओ 9001 अर्थात् आईएसओ 17025, आईएसओ 16949 आदि के सिक्स सिग्मा अप्लीकेशन तथा इन्डस्ट्री स्पेसिफिक ट्रांसलेशन और ओएचएसएस 18001 व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा आश्वासन श्रृंखला के लिए परामर्शी सेवाएँ भी दिलवाई। इस प्रकार की परामर्शी सेवाओं में निम्नलिखित कार्यक्षेत्र सम्मिलित हैं :-

- (i) प्रबंधन प्रणाली का निर्माण
- (ii) प्रशिक्षण सहायता उपलब्ध कराना
- (iii) आरंभिक कार्यान्वयन और प्रमाणन सहायता तथा
- (iv) प्रमाणनोत्तर सहायता/मूल्यांकन आदि।

10.6.1 कोल इंडिया और इसकी सहायक कम्पनियों के लिए प्रबंधन प्रणाली परामर्श सेवा :

सीएमपीडीआई ने अपने परामर्शी सेवाओं के माध्यम से कुल 52 आईएसओ 9901 तथा/अथवा आईएसओ 14001 प्रमाणन को हासिल करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कम्पनियों को सहायता प्रदान की है। वर्तमान में सीएमपीडीआई कोल इंडिया के विभिन्न संस्थापनों में आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, तथा ओएचएसएस 18001 के अन्तर्गत 84 प्रमाणन के लिए प्रबंधन प्रणाली परामर्श सेवाएँ उपलब्ध करा रहा है जिसमें सभी मुख्य ओपेन कास्ट कोयला खनन परियोजनाएँ तथा कुछ मुख्य भू.ग. खानें शामिल हैं।

सम्पूर्ण कम्पनी के रूप में एनसीएल के आईएसओ 9001 तथा आईएसओ 14001 प्रमाणन को लिया जा रहा है जिसमें इसकी सभी खानें सपोर्ट स्टेबलिसमेंट तथा कॉरपोरेट क्रिया-कलाप शामिल हैं।

10.6.2 वर्ष 2006-07 के दौरान पूरे किए गए कार्य :

विवेच्य वर्ष के दौरान लगभग 40 लाख रुपये लागत वाली प्रबंधन प्रणाली परामर्श सेवाएँ पूरी की गई। जिसके परिणामस्वरूप 4 संस्थान (2 ओसीपी, 1 वाशरी, 1 अस्पताल) को आईएसओ 9001 प्रमाणन तथा, 4 संस्थान (3 ओसीपी, 1 वाशरी) को आईएसओ 14001 प्रमाणन मिला। इन सबके अतिरिक्त सीएमपीडीआई की परामर्शी सेवा के अन्तर्गत सबसे नवीनतम 2004 वर्सन में 3 ओपेनकास्ट माइन्सों के आईएसओ 14001 प्रमाणन का उन्नयन (अपग्रेडेशन) भी किया गया।

11.0 कोल इंडिया से बाहर के परामर्शी कार्य :

वर्ष 2006-07 के दौरान कोल इंडिया (परिशिष्ट-11) से बाहर के 12 संगठनों के लिए 19 परामर्शी कार्य किए गए। जिनके लिए कार्य किए गए उनमें से कुछ मुख्य ग्राहक/संगठन हैं :- नेशनल थर्मल पॉवर कारपोरेशन लि0, टाटा स्टील लि0, इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड, स्टील ऑथरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, छत्तीसगढ़ मिनिरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड, नेशनल अल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड, हरियाणा पॉवर जेनरेशन कारपोरेशन लि0, हिण्डालको इत्यादि।

वर्तमान में, सेन्ट्रल पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय), नेशनल थर्मल पॉवर कारपोरेशन लि0, टाटा स्टील लि0, भारतीय खनि विद्यापीठ, नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड, स्टील ऑथरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, छत्तीसगढ़ मिनिरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0, छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड, नेशनल अल्यूमिनियम कम्पनी लि0, हरियाणा पॉवर जेनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, हिण्डालको इत्यादि जैसे 12 संगठनों के लिए 15 बाह्य परामर्शी कार्य हाथ में हैं।

वर्ष 2006-07 के दौरान 12 संगठनों से 324.31 लाख रुपये वाले 21 परामर्शी कार्य सीएमपीडीआई द्वारा हासिल किए गए।

12.0 श्रमशक्ति और कल्याण संबंधी गतिविधियाँ :

12.1 श्रमशक्ति :

विवरण	31 मार्च 2006 के अनुसार	31 मार्च 2007 के अनुसार
अधिकारी	807	774
गैर-अधिकारी		
मासिक वेतनभोगी	1431	1390
दैनिक वेतनभोगी	996	963
	2427	2353
समग्र योग	3234	3127

12.2 कल्याण संबंधी क्रिया-कलाप :

- सीएमपीडीआई के पास इसके मुख्यालय तथा क्षेत्रीय संस्थानों में 100 प्रतिशत गृह आवासीय संतुष्टि के साथ 2518 क्वार्टर हैं।
- सीएमपीडीआई के कर्मचारियों को पीने के लिए जल की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध करवायी गयी है।
- सभी कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को कोल इंडिया की सहायक कंपनियों द्वारा संचालित अस्पतालों तथा इसकी डिस्पेंसरियों के माध्यम से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। आवश्यकतानुसार रोगियों को विख्यात संस्थानों में रेफर भी किया जाता है।
- सीएमपीडीआई, डीएवी पब्लिक स्कूल, गांधी नगर, रांची, बिरसा उच्च विद्यालय, हथियागोंदा, रांची को वित्तीय सहायता/अनुदान उपलब्ध कराता है जो केवल अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए है। कर्मचारियों के स्कूल जा रहे बच्चों के

लिए भाड़े पर लिए गये छोटे वाहनों सहित कुल 20 स्कूल बसें हैं। सीएमपीडीआई के कर्मचारियों के बच्चों के लिए कोल इंडिया के प्रावधान के अनुसार छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है।

- (v) कंपनी ने दिसम्बर, 2006 में 2006-07 का अंतर कोयला कैरम टूर्नामेंट भी आयोजित किया। विवेच्य वर्ष के दौरान इसकी टीम ने अंतर कोयला क्रिकेट, टेबुल टेनिस तथा एथलेटिक्स टूर्नामेंटों में भी भाग लिया।
- (vi) कैंटीन की सुविधाएँ सीएमपीडीआई मुख्यालय में तथा दो क्षेत्रीय संस्थानों—आसनसोल तथा भुवनेश्वर में उपलब्ध करायी गयी है। 50 प्रतिशत की आर्थिक सहायता पर इसके कर्मचारियों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
- (vii) ग्रेच्युटी तथा पेंशन के कागजात कर्मचारियों को उनकी सेवा-निवृत्ति के दिन दे दिये जाते हैं।
- (viii) सीएमपीडीआई में तीन को-ऑपरिटिव क्रेडिट सोसाइटियाँ हैं।

13.0 राजभाषा :

आपकी कम्पनी समीक्षाधीन अवधि में कोयला मंत्रालय, गृह मंत्रालय (राजभाषा) तथा कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशों तथा राजभाषा अधिनियम के सांविधिक प्रावधानों को लागू करने में सतत प्रयत्नशील रही और कार्यालयीन कार्य में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए इसके द्वारा बहुआयामी प्रयास किया गया।

इसके अलावे राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के दस्तावेज, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक/निदेशक के स्तर पर आयोजित विभिन्न बैठक के कार्यवृत्त, आपकी कम्पनी के मासिक और वार्षिक रिपोर्ट द्विभाषिक रूप में निरंतर तैयार किया गया। हिन्दी में रचनात्मक लेखन को बढ़ावा देने के लिए आपकी कम्पनी का एक प्रतिष्ठित एवं राष्ट्रीय स्तर की घरेलू पत्रिका "देशकाल सम्पदा" का प्रकाशन भी लगातार जारी है जिसे सारे देश से प्रशंसा मिल रही है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार तिमाही बैठकें आयोजित की गईं। इस बैठक की अध्यक्षता करने के लिए जून, 06 के अंतिम तिमाही में आयोजित की गई राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में डा० माता प्रसाद, (भूतपूर्व राज्यपाल, अरुणाचल प्रदेश) हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्य, कोयला मंत्रालय तथा सीएमपीडीआई के पर्यवेक्षक को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। उन्होंने राजभाषा नीति के क्षेत्र में कंपनी की उपलब्धियों/ तथा किये गये प्रयासों की भूरि-भूरि प्रशंसा की। उन्होंने निरीक्षण किया कि वर्ष 2006-07 के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गये वार्षिक कार्यक्रमों में निर्धारित हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में सीएमपीडीआई ने कई लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं। हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए तिमाही के दौरान आयोजित की गई हिन्दी प्रतियोगिताओं में प्रथम से लेकर पांच श्रेणी तक स्थान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को इस अवसर पर आदरणीय सदस्य एवं कंपनी के निरीक्षक द्वारा नकद पुरस्कार तथा इतने ही मूल्य की पुस्तकें प्रदान की गईं। शेष तीन बैठकों की अध्यक्षता कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गये निदेशों तथा वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार आपकी कंपनी के विभिन्न विभागों में राजभाषा की तिमाही की प्रगति का पुनरीक्षण करने के लिए किया गया।

कोयला मंत्रालय के निदेशों के अनुसार सितम्बर माह को हिन्दी माह के रूप में मनाया गया। कम्पनी के कर्मचारियों के बीच हिन्दी को लोकप्रिय बनाने के लिए हिन्दी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। विवेच्य माह के दौरान आयोजित सभी प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया और विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इसके अतिरिक्त दो विभागों

को जिन्होंने हिन्दी में अधिकांश कार्य किया है, को अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, सीएमपीडीआई द्वारा विजेता एवं उप-विजेता को अध्यक्षीय राजभाषा शील्ड प्रदान किया गया।

दिन-प्रति दिन के कार्यालयीन कार्य में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को सरल बनाने के लिए एसटीसी (एचआरडी) के तत्वावधान में चार हिन्दी कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया। दिन-प्रतिदिन के कार्य में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के क्षेत्र में कर्मचारियों की हिचकिचाहट को दूर करने में ये सभी हिन्दी कार्यशालाएँ प्रभावी हुईं।

14.0 निदेशक का उत्तरदायित्वपूर्ण उक्ति :

- 14.1 वार्षिक लेखा को तैयार करने के लिए सामग्रियों के विचलनों से संबंधित उपयुक्त व्याख्या सहित उपयोज्य लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है।
- 14.2 निदेशकों ने ऐसी लेखा-नीति का चयन किया और उसे लगातार व्यवहार में लाया, इससे निर्णय और आकलन किया जो यथोचित एवं बुद्धिपरक है ताकि यह वित्तीय वर्ष के अन्त में और इस अवधि के लिए कम्पनी की लाभ-हानि के विषय में कम्पनी मामलों की स्थिति का सत्य एवं स्पष्ट विचार दे सके।
- 14.3 निदेशकों ने लेखा रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा तथा बचाव, जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं से बचाव एवं इसका पता लगाने के लिए यथेष्ट और उपयुक्त ध्यान दिया।
- 14.4 निदेशकों ने प्रचलित आधार पर वार्षिक लेखा को तैयार किया।

अंकेक्षक :

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से मेसर्स यू.नारायण एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, रांची को वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिए कम्पनी का अंकेक्षक नियुक्त किया गया। उन्हें इस वर्ष के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 44(ए.बी.) के तहत आयकर अंकेक्षक भी नियुक्त किया गया।

आभारोक्ति :

आपके निदेशकगण, भारत सरकार, खासकर कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी सहायक कम्पनियों, राज्य सरकार और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, जिनके निकट सम्पर्क में आपकी कम्पनी ने काम किया है तथा कम्पनी के कार्यों को पूरा करने में जिन्होंने सहयोग एवं प्रोत्साहन दिया है, के प्रति आभारी हैं। हम अपने सम्मानित ग्राहकों, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड, सिंगरैनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, मैगनीज ओर (इंडिया) लि०, उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग लि०, कोलकाता, इंडियन स्कूल आफ माइन्स, नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि०, स्टील आथरिटी ऑफ इंडिया लि०, छत्तीसगढ़, स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड, नेशनल अल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड, हरियाणा पावर जेनरल कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिण्डालको आदि के प्रति कृतज्ञ हैं, जिन्होंने हममें विश्वास प्रकट किया और हमें संरक्षण प्रदान किया।

परिशिष्ट :

कम्पनी अधिनियम 1956 (शून्य रिपोर्ट) की धारा 217(2ए) के अन्तर्गत अपेक्षित कर्मचारियों का विवरण तथा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों संलग्न हैं।

निदेशक मंडल की ओर से वास्ते

(एस.चौधुरी)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

राँची

दिनांक :

अप्रैल,06 से अब तक पूरी की गई रिपोर्टों की सूची

क्षेत्रीय संस्थान भूवैज्ञानिक रिपोर्टें		रिपोर्टों के नाम ष
मुख्यालय	1	कल्यानेश्वरी
क्षे.सं.-1	1	बेलबेद
	2	मोहनपुर
क्षे.सं.-3	1	रोहने (गैर-सीआईएल)
	2	करेंदारी 'ए' (गैर सीआईएल)
	3	रामगढ़-II नार्थ
क्षे.सं.-4	1	साओनेर-IV
	2	पउनी-III
क्षे.सं.-5	1	जगन्नाथ (महान III एवं IV)
	2	गारे सेक्टर-3 (गैर सीआईएल)
	3	बतूरा ओसी (गैर सीआईएल)
क्षे.सं.-6	1	झिगूरदाह परियोजना
	2	मोहेर अमलोहरी विस्तारण
क्षे.सं.-7	1	तालाबिरा-II & III
	2	उत्कल 'ए' एवं गोपाल प्रसाद वेस्ट का वेस्टर्न पार्ट
	3	गोपाल प्रसाद इस्ट एण्ड इस्टर्न पार्ट ऑफ गोपाल प्रसाद वेस्ट
	4	बिजाहन
परियोजना रिपोर्टें		
क्षे.सं.-1	1	चित्रा ईस्ट ओसी
क्षे.सं.-3	1	मगध ओसीपी (20 मि.ट.प्र.वर्ष)
	2	अशोक ओसीपी ईपीआर(10 मि.ट.प्र.वर्ष)
	3	पिपरवार वि. ओसीपी
	4	पूर्णाडीह ओसी
	5	चूरी-बेंती यूजी में कन्टीन्यूअस माइनर के उपयोग कर उत्पादन बढ़ाने के लिए परियोजना रिपोर्ट
क्षे.सं.-4	1	मोटाघाट ओसी (1.0 एमटीवाई)
	2	साओनेर -1 वि.भू.ग.(0.75 एमटीवाई)
	3	बोरदा (घोंसा से उत्तर) यू.जी. ((0.96एमटीवाई)
	4	न्यू माजरी ओसी(भू.ग. से खु.ख. में परिवर्तन) (0.60 एमटीवाई)
	5	धूपतला ओसी (भू.ग. से ओसी में परिवर्तन) (0.60 एमटीवाई)
क्षे.सं.-5	1	दिपका ओसी वि. (25 मि.ट.प्र.वर्ष)
	2	गेवरा ओसी वि. (35 मि.ट.प्र.वर्ष)
	3	कुसमुंडा ओसी वि. (15 मि.ट.प्र.वर्ष)
	4	करताली ईस्ट ओसी (2 मि.ट.प्र.वर्ष)
	5	बरौद वि. (राय वेस्ट) ओसी (3 मि.ट.प्र.वर्ष)
क्षे.सं.-7	1	सामलेश्वरी ओसीपी वि. (7 मि.ट.प्र.वर्ष) (2 मि.ट.प्र.वर्ष इंकीमेंटल)

- 2 तलाबीरा- II & III संयुक्त (20 मि.ट.प्र.वर्ष)
- 3 अनंता सीएचपी सिलो का परियोजना रिपोर्ट
- 4 वसुंधरा वेस्ट ओसीपी (5 मि.ट.प्र.वर्ष) (2.6 मि.ट.प्र.वर्ष इंकीमेंटल)
- 5 गोपाल प्रसाद वेस्ट तथा उत्कल-ए संयुक्त ओसीपी (15 मि.ट.प्र.वर्ष)
- 6 हिंगुला-II वि. ओसीपी (15 मि.ट.प्र.वर्ष) (7 मि.ट.प्र.वर्ष इन्क्रीमेंटल)

मुख्यालय

- 1 एमसीएल के हिराखण्ड बुंदिया माइन में कन्टिन्यूअस माइनर डिप्लॉयमेंट हेतु परियोजना रिपोर्ट

संशोधित परियोजना प्राक्कलन

- क्षे.सं.-5 1 महान ओसी (0.36 मि.ट.प्र.वर्ष)
- 2 महामाया भू.ग.

संशोधित लागत प्राक्कलन

- क्षे.सं.-3 1 चुरी भू.ग. खान (0.16 मि.ट.प्र.वर्ष)
- क्षे.सं.-7 1 बसुंधरा (वेस्ट) ओसीपी (2.4 मि.ट.प्र.वर्ष)

विशेष रिपोर्ट

- क्षे.सं.-2 1 बीसीसीएल के पट्टे वाले जमीन में आग एवं पुनर्वास से निपटने के लिए संशोधित मास्टर प्लान
- 2 बीसीसीएल के सबसे अधिक खतरनाक क्षेत्र से लोगों के स्थानांतरण के लिए रूपांतरित संशोधित डिमांड ट्रेडेशन स्कीम

परिचालन योजना

- क्षे.सं.-1 1 सोनपुर बाजारी-ए (2007-08)
- क्षे.सं.-4 1 उमरेर ओसी
- 2 घुघुस ओसी
- 3 सास्ती ओसी
- क्षे.सं.-6 1 जयंत ओसीएम (2006-07)
- 2 वीणा ओसीएम (2006-07)
- 3 दुधिचुआ ओसीएम (2006-07)
- 4 अमलोरी ओसीएम (2006-07)
- 5 निगाही ओसीएम (2006-07)
- 6 खादिया ओसीएम (2006-07)
- 7 ककरी ओसीएम (2006-07)
- 8 झिंगुरदाह ओसीएम (2006-07)

अन्य रिपोर्टें

- क्षे.सं.-1 1 हरिआजम कोलियरी, ईसीएल के लिए विस्फोटन एवं कम्पन अध्ययन
- 2 बदजना पैच ओसीपी, ईसीएल के लिए विस्फोटन एवं कम्पन अध्ययन
- 3 नरसामुदा कोलियरी, ईसीएल में आर- X सीम का गैस सर्वे
- 4 खांदरा कोलियरी, ईसीएल के एनकेजे यूनिट का संवातन अध्ययन
- 5 चापापुर-II पैच ओसीपी पर वैचारिक टिप्पणी
- 6 माधवपुर पैच ओसीपी पर वैचारिक टिप्पणी
- 7 डालुरबंद (फेज-II) पैच ओसीपी पर वैचारिक टिप्पणी
- 8 खास शामपुर ओसी पैच पर वैचारिक टिप्पणी
- 9 बंकोला ओसी पैच पर वैचारिक टिप्पणी
- 10 खुदिया ओसी पैच पर वैचारिक टिप्पणी

	11	खुदिया कोलियरी में विस्फोटन एवं कम्पन अध्ययन
	12	सिदुली माइन में उर्जा अंकेक्षण स्कीम
क्षे.सं.—2	1	ब्लॉक— II ओसीपी में I/II सीम बेस के साथ खुली खदान की क्षमता की संभाव्यता पर रिपोर्ट ।
	2	बेगुनिया कोलियरी में लेकडीह सीम के वर्किंग पोटेंशियलिटी पर टिप्पणी
	3	विक्टोरिया वेस्ट कोलियरी में खनन संभावना का मूल्यांकन
	4	आरएसपी कॉलेज, झरिया को आइसोलेट करने के लिए ट्रेंचकटिंग की तकनीकी संभाव्यता पर रिपोर्ट
क्षे.सं.—3	1	कथारा हाईवाल माइनर लागू करने के लिए वैचारिक रिपोर्ट
	2	गेवरा ओसीपी (हाईवाल) का स्लोप स्टेबिलिटी अध्ययन
	3	जयन्त ओसीपी (ओबी डम्प) का स्लोप स्टेबिलिटी अध्ययन
	4	नार्थ उरीमारी ओसीपी का वर्षा जल संचयन (रेनवाटर हार्वेस्टिंग)
	5	गिद्दी वाशरी का वर्षा जल संचयन (रेनवाटर हार्वेस्टिंग)
	6	कारो ओसीपी का वर्षा जल संचयन (रेनवाटर हार्वेस्टिंग)
	7	अमलो ओसीपी का पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट
	8	उरिमारी ओसीपी का पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट
	9	खास महल ओसीपी का पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट
	10	केरेन्दारी ब्लॉक में चुम्बकीय प्रतिरोधकता एवं भूकम्पीय रिफ्लेक्शन सर्वेक्षण पर रिपोर्ट
	11	माइनेक्स के माध्यम से पिपरवार ओसीपी का माइन मॉडलिंग
	12	रोहिणी ओसीपी (वि.) की पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट
	13	केदला ओसीपी की पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट
	14	करमा ओसीपी की पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट
	15	हुरीलौंग भू.ग. खान की पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट
	16	तरमी ओसीपी की पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट
क्षे.सं.—4	1	छतरपुर भू.ग. विस्तार हेतु योजना
	2	एचएलसी ग्रुप के खानों के लिए बेंचमार्किंग सहित उर्जा अंकेक्षण
	3	अगले तीन वर्षों के लिए पिम्पलगाँव ओसीपी वर्किंग के लिए योजना
	4	माइनलीज का नवीनीकरण करने के लिए खान योजना की तैयारी हेतु खनन योग्य, निष्कर्षणीय तथा भू-वैज्ञानिक भंडारों का मूल्यांकन
	5	उमरेर ओसीपी तथा दुर्गापुर ओसीपी के लिए संशोधित स्ट्रीपिंग अनुपात पर अध्ययन
	6	साओनेर भू.ग. खदान—I का संवातन सर्वेक्षण
	7	आदासा भू.ग. खान, डब्ल्यूसीएल के सीम IV एम का गैस सर्वेक्षण
	8	गोंदेगाँव ओसी के बेंच मार्किंग के साथ (इलेक्ट्रीकल) उर्जा अंकेक्षण रिपोर्ट
	9	डब्ल्यूसीएल की परित्यक्त खदानों में छोड़े गये कोयले का निर्धारण
	10	घुघुस ओसी के विस्तार पर संशोधित तकनीकी रिपोर्ट
	11	शोभापुर भू.ग. के बेंच मार्किंग के साथ (इलेक्ट्रीकल) उर्जा अंकेक्षण रिपोर्ट
	12	गोंदेगाँव ओसी के बेंच मार्किंग के साथ (डीजल) उर्जा अंकेक्षण रिपोर्ट
	13	सरनी भू.ग. में कन्टिन्यूअस माइनर टेक्नो. शामिल करने के लिए तकनीकी आर्थिक अध्ययन
	14	गौरी—I एवं II ओसी हेतु संशोधित तकनीकी नोट
	15	टांडसी भू.ग. के बेंचमार्किंग सहित उर्जा अंकेक्षण रिपोर्ट (इलेक्ट्रीकल)
	16	पतनस्वांगी खान हेतु गैस सर्वेक्षण
	17	डब्ल्यूसीएल की सात खानों के खनन पट्टे के रिन्चूअल हेतु खनन

		योजना
	18	धाउ नार्थ ब्लॉक के विकास के लिए योजना
	19	डब्ल्यूसीएल में मैनराइडिंग सिस्टम के प्रकारों पर संभाव्यता रिपोर्ट
	20	उमरेर ओसी की बेंच मार्किंग सहित उर्जा अंकेक्षण रिपोर्ट (डिजल)
क्षे.सं.-5	1	बेहराबंद भू.ग. के लिए मैन राइडिंग योजना
	2	बेहराबंद भू.ग. के सीम-V टी का डिपिलिरिंग
	3	भू.ग. ट्रांसपोर्ट ले-आउट का पुनर्गठन
	4	वेस्ट चिरिमिरी कोलियरी में नियंत्रित विस्फोटन के लिए विस्फोटन पैटर्न
	5	अमाडौंड भू.ग. में पंखा लगाना
	6	राजेन्द्र भू.ग., एसईसीएल में लौंगवॉल के लिए भविष्य की नीति
	7	कपिलधारा भू.ग. में दो एलएचडी की प्राप्ति के लिए योजना
	8	निष्कर्षण के तरीकों के साथ पालकीमारा इन्क्लाइन में पृथक इन्ट्री का तकनीकी आर्थिक अध्ययन
	9	बीरसिंहपुर भू.ग. के लिए नियंत्रित विस्फोटन रिपोर्ट
	10	एसईसीएल के सभी खानों में पाउडर फ़ैक्टर मूल्यांकन
	11	अमाडौंड भू.ग. खान में पाउडर फ़ैक्टर में सुधार
	12	राजनगर आर.ओ. में वाइड एवं स्टॉल पध्दति द्वारा 7 ए1 सीम के निष्कर्षण (एक्सट्रैक्टिंग) के लिए मार्जिनल योजना
	13	राजनगर आरओ भू.ग. में नियंत्रित विस्फोटन अध्ययन पर रिपोर्ट
	14	एनसीसी (देवा इन्क्लाइन) भू.ग. में नियंत्रित विस्फोटन अध्ययन पर रिपोर्ट
	15	बरौद ओसी की योजना (1 मि.ट.प्रति वर्ष से 2 मि.ट.प्रति वर्ष)
	16	बागदेवा भू.ग. खान का उत्पादन बढ़ाने के लिए योजना
	17	चिरिमिरी ओसी, एसईसीएल में नियंत्रित विस्फोटन अध्ययन पर रिपोर्ट
	18	माणिकपुर ओसी, एसईसीएल में नियंत्रित विस्फोटन अध्ययन की रिपोर्ट
	19	कंचन ओसी के उत्पादन संवर्धन (0.32 मि.ट.प्रति वर्ष से 0.65 मि.ट. प्रति वर्ष) के लिए योजना
	20	सीम 'सी' द्वारा एक अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट कोयले का निष्कर्षण कर कपिलधारा भू.ग. में उत्पादन संवर्धन(0.32 मि.ट.प्रति वर्ष से 0.65 मि.ट. प्रति वर्ष) के लिए योजना
क्षे.सं.-6	1	झींगुरदा (बॉटम सीम) पर रिपोर्ट
क्षे.सं.-7	1	भरतपुर साइडिंग की सिलो लोडिंग व्यवस्था
मुख्यालय	1	10 क्यूबिक मी. रोप शॉवेल के साथ कार्यरत 85 टन, 100टन,120 टन एवं 150 टन रियर डम्पर के वर्किंग का तुलनात्मक तकनीकी-आर्थिक अध्ययन रिपोर्ट
	2	थेसगोरा माइन, पेंच एरिया, डब्ल्यूसीएल में संवातन अध्ययन
	3	लोअर सेमाना सीम, सयाल 'डी' कोलियरी (खान सं.3) सीसीएल के लिए आरएमआर तथा सपोर्ट ले-आउट पर रिपोर्ट
	4	ईसीएल के झांझरा एरिया के 3 एवं 4 इनक्लाइन माइन (आर-VII सीम) तथा मुगमा एरिया के कुमारधुबी कोलियरी (बी.पी. बॉटम सीम) के लिए आरएमआर तथा रॉक लोड पर रिपोर्ट
	5	बीसीसीएल की डब्ल्यू जे एरिया के मुनीडीह परियोजना (XV सीम) तथा कुस्तौर एरिया के शिमला बहल कोलियरी (IX / X सीम बॉटम सेक्शन) के लिए आरएमआर तथा रॉक लोड पर रिपोर्ट
	6	मारा-II महान ब्लॉक की ओपेन कास्ट संभाव्यता पर रिपोर्ट

- 7 चित्रा ओसी संयुक्त तथा भुवनेश्वरी ओसी के बफर जोन का भूमि उपयोग/आच्छादन मान चित्रण।
- 8 ईसीएल के मुगमा क्षेत्र के लखीमाता कोलियरी (मेटाडीह सीम) तथा मंदमान कोलियरी (मेटाडीह सीम) के लिए आरएमआर तथा रॉक लोड पर रिपोर्ट
- 9 छेंदीपाड़ा ओसीपी, एमसीएल में नियंत्रित विस्फोटन एवं कम्पन अध्ययन
- 10 रानीगंज कोयला क्षेत्र के सोनपुर बजारी ओसी संयुक्त खनन परियोजना के बफर जोन का भू-उपयोग/आच्छादन मानचित्रण
- 11 एमसीएल के गोपाल प्रसाद तथा उत्कल 'ए' ओसीपी बफर जोन का भू-उपयोग/आच्छादन मानचित्रण
- 12 कतरास छोट्टूडीह कोलियरी बीसीसीएल का गैस सर्वेक्षण
- 13 डब्ल्यूसीएल के लिए कोल इंडिया माइन्स तथा सम्बन्धित क्रिटिकल एप्राइजल (2004-05) हेतु पीएसएलडब्ल्यू, एसडीएल /एलएचडी तथा सीएम फेसों का कार्य निष्पादन विश्लेषण
- 14 ईसीएल के लिए कोल इंडिया माइन्स तथा सम्बन्धित क्रिटिकल एप्राइजल (2004-05) हेतु पीएसएलडब्ल्यू, एसडीएल/एलएचडी तथा सीएमफेसों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन
- 15 बीसीसीएल के लिए कोल इंडिया माइन्स तथा सम्बन्धित क्रिटिकल एप्राइजल (2004-05) हेतु पीएसएलडब्ल्यू, एसडीएल/एलएचडी तथा सीएम फेसों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन
- 16 एमसीएल के लिए कोल इंडिया माइन्स तथा सम्बन्धित क्रिटिकल एप्राइजल (2004-05) हेतु पीएसएलडब्ल्यू, एसडीएल/एलएचडी तथा सीएम फेसों का कार्य निष्पादन विश्लेषण
- 17 सीसीएल के लिए कोल इंडिया माइन्स तथा सम्बन्धित क्रिटिकल एप्राइजल हेतु पीएसएलडब्ल्यू, एसडीएल/एलएचडी तथा सीएम फेसों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन
- 18 एसईसीएल के लिए कोल इंडिया माइन्स तथा सम्बन्धित क्रिटिकल एप्राइजल हेतु पीएसएलडब्ल्यू/एसडीएल/एलएचडी तथा सीएमफेसों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन
- 19 धनकाशा भू.ग. खदान डब्ल्यूसीएल के लिए धँसान पूर्वानुमान रिपोर्ट
- 20 सोनाचोरा (आर-VIII) बॉटम सीम, नाबा काजोरा कोलियरी, ईसीएल के आरएमआर तथा रॉक लोड पर रिपोर्ट
- 21 सारूबेरा ईस्ट कोलियरी, II ए सीम सीसीएल के आरएमआर तथा सपोर्ट प्लान पर रिपोर्ट
- 22 वास्ताकोला ओसीपी बीसीसीएल में नियंत्रित विस्फोटन एवं कम्पन अध्ययन
- 23 एनसीपीएच आर-6 माइन, एसईसीएल के लिए गैस सर्वे रिपोर्ट
- 24 मोहन कोलियरी, माओरी इन्क्लाइन-1 सीम(टॉप), डब्ल्यूसीएल के आरएमआर तथा सपोर्ट डिजाइन पर रिपोर्ट
- 25 एमसीएल के ओरिएन्ट माइन नं. 1 एवं 2 (एचआर सीम-6) तथा ओरिएन्ट माइन नं.4 (एचआर,सीम बॉटम) के आरएमआर तथा सपोर्ट ले-आउट पर रिपोर्ट
- 26 सामलेश्वरी ओसीपी, एमसीएल के बफर जोन का भू-उपयोग/आच्छादन मानचित्रण
- 27 बीसीसीएल की गोलूकडीह (एनसी)ओसीपी के बफर जोन का भू-उपयोग/आच्छादन मानचित्रण
- 28 सीसीएल की अशोका ओसीपी के बफर जोन का भू-उपयोग/आच्छादन मानचित्रण
- 29 एनसीएल के निगाही खान में डीजल की खपत तथा डीजल की खपत

- के निर्धारण का बेंचमार्किंग
- 30 भू.ग. खान उपकरण को सर्वे ऑफ करने के लिए मानकों का विकास
31 तालचर कोलियरी,सीम-1 (टॉप) में तीन डिस्ट्रिक्टों के आरएमआर तथा
रॉक लोड पर रिपोर्ट
- 32 गोलूकडीह ओसीपी बीसीसीएल मे नियंत्रित विस्फोटन एवं कम्पन
अध्ययन
- 33 कोटरे बसंतपुर ओसी, सीसीएल के बफर जोन का
भू-उपयोग/आच्छादन मानचित्रण
- 34 गेवरा वि. ओसी, एसईसीएल के बफर जोन का भूउपयोग/आच्छादन
मानचित्रण
- 35 बसंधरा ओसी, एमसीएल के बफरजोन का भूउपयोग/आच्छादन
मानचित्रण
- 36 कोल इंडिया की भू.ग. खानों की खान क्षमता मूल्यांकन (2006-07),
तथा खान उपयोगिता (2005-06)
- 37 चूरी भू.ग. खान, सीसीएल के लिए संवातन सर्वेक्षण डिजाइन
38 बीसीसीएल के पाँच खानों/डिस्ट्रीक्टों के आरएमआर तथा रॉक-लोड
पर रिपोर्ट
- 39 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सिंगरौली
- 40 न्यू गिददी 'सी' ओसी, सीसीएल के बफर जोन का
भू-उपयोग/आच्छादन मानचित्रण
- 41 दिपका वि., ओसी तथा कुमुण्डा की, ओसी एसईसीएल के बफर जोन
का भू-उपयोग/आच्छादन मानचित्रण
- 42 खनन उपकरण हेतु मानक मूल्य सूची
- 43 उरीमारी III एवं IV भू.ग. खान, सीसीएल के सेक्टर-3 में हाथीडारी
सीम को गैस सर्वेक्षण
- 44 हीराखंड बुंदिया खान और हिंदगीर रामपुर कोलियरी एमसीएल का
आरएमआर और सपोर्ट ले-आउट पर रिपोर्ट
- 45 झींगुरदाह खान, एनसीएल में डिजल एवं इलेक्ट्रीकल खपत के
मानदण्डों का निर्धारण और डीजल एवं इलेक्ट्रीकल खपत का बेंच
मार्किंग
- 46 सिरका भू.ग. खान सीसीएल में इलेक्ट्रीकल खपत का बेंच मार्किंग
- 47 जयंत सीएचपी, एनसीएल में वर्तमान अग्नि शमन प्रणाली के
रूपांतरण/अद्यतन हेतु योजना
- 48 2005-06 के दौरान कोल इंडिया की खुली खानों के लिए क्षमता एवं
क्षमता उपयोगिता का निर्धारण
- 49 दहीबारी बसंतीमाता ओसी एवं शताब्दी ओसी, बीसीसीएल के बफर
जोन का भू-उपयोग/भू-आच्छादन मानचित्रण
- 50 सीसीएल के पूरनाडी ओसी, के बफर जोन का
भू-उपयोग/भू-आच्छादन
- 51 गौरांगडीह ओसी, ईसीएल के बफर जोन के भूउपयोग/भूआच्छादन
मानचित्रण
- 52 2005-06 के लिए खुली खदानों में एचईएमएम प्रचालन के
कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन
- 53 ईसीएल के कुनस्तोरिया ओसी के बफर जोन का भू-उपयोग/
आच्छादन
- 54 बीसीसीएल के चापतोरिया ओसी के बफर जोन का
भू-उपयोग/आच्छादन
- 55 ईसीएल के सेन्द्रल काजोरा, माधवपुर एवं बहुला कोलियरी का रॉक
लदान और आरएमआर पर रिपोर्ट

- 56 गेवरा क्षेत्र के सीएचपी का संरचनात्मक पर्याप्तता अध्ययन
 57 दिपका क्षेत्र के सीएचपी का संरचनात्मक पर्याप्तता अध्ययन
 58 लिंगराज सीएचपी के 6 नं. सर्किट का संरचनात्मक पर्याप्तता अध्ययन
 59 अंगारपथरा कोलियरी, बीसीसीएल का गैस सर्वे
 60 बीसीसीएल की मूनिडीह खान में XV सीम के लिए विस्तृत संवातन
 योजना (भेन्टिलेशन प्लानिंग)
 61 तिलाबोनी भू.ग.(ईसीएल),अमलो ओसी (सीसीएल) एवं महन
 ओसी(एसईसीएल) के बफर जोन का भू-उपयोग/आच्छादन
 मानचित्रण
 62 वर्ष 2005-06 के दौरान सीआईएल की खुली खदान में विस्फोटकों
 (एक्सप्लोसिव),डीजल एवं बिजली की विशिष्ट खपत (इलेक्ट्रिक पावर
 स्पेंसिफिक)
 63 उरीमारी, हाथीडारी सीम, इन्क्लाइन नं.1 एवं 2 सीसीएल का गैस सर्वे
 64 कपिलधारा भू.ग. खान, एसईसीएल के लिए संवातन सर्वे एवं डिजाइन
 65 उरीमारी भू.ग. परियोजना तथा अरगडा भू.ग. खान, सीसीएल के
 आरएमआर तथा रॉक लोड पर रिपोर्ट
 66 एमसीएल के नन्दिरा कोलियरी के तालचर सीम-1 (टॉप) तथा
 तालचर सीम 1 (बॉटम) में तीन डिस्ट्रीक्टों के आरएमआर तथा सपोर्ट
 ले-आउट पर रिपोर्ट
 67 नारायणकुरी भू.ग. तथा मोहनपुर ओसी, ईसीएल के बफर जोन का
 भू-उपयोग/कवर-मैपिंग
 68 बीसीसीएल के शताब्दी ओसी,, ब्लाक-2 ओसी तथा दमुदा ओसी के
 बफर जोन का भू-उपयोग/आच्छादन मानचित्रण (कवर-मैपिंग)
 69 लिडो ओसीपी के लिए खनन योजना
 70 गोविन्दपुर परियोजना स्वांग 'सी' सीसीएल का गैस सर्वेक्षण
 71 बीसीसीएल की 4 खानों के आरएमआर तथा शैलभार की रिपोर्ट
 72 चुरचा पुनर्गठन परियोजना एसईसीएल के लिए धँसान पूर्वानुमान रिपोर्ट
 73 बोरदा भू.ग. खान, डब्ल्यूसीएल के लिए धँसान पूर्वानुमान रिपोर्ट
 74 सीसीएल की पिपरवार खान में डीजल एवं बिजली की खपत की बेंच
 मार्किंग तथा डीजल की खपत के मानक का निर्धारण
 75 एसईसीएल की अमगाँव तथा धानपुरी ओसीपी के बफर जोन का
 भू-उपयोग/भू-आच्छादन मानचित्रण
 76 सीसीएल की करमा, तापिन, खासमहल, उरीमारी,तरमी, रोहिणी तथा
 केदला ओसीपी के बफर जोन का भू-उपयोग/भू-आच्छादन
 मानचित्रण
 77 एमसीएल की हिंगुला, तालाबिरा तथा लाजकुरा ओसीपी के बफर जोन
 का भू-उपयोग/भू-आच्छादन मानचित्रण

पर्यावरणिक प्रबंधन योजना (ईएमपी)

- | | | |
|----------|---|--|
| मुख्यालय | 1 | बेहराबंद भू.ग., एसईसीएल (कार्योत्तर) |
| | 2 | अशोक वि. ओसी (10मि.ट.प्र.वर्ष) |
| | 3 | हुरा 'सी' ईसीएल |
| | 4 | पांडवपाड़ा भू.ग., एसईसीएल (पूर्व कार्योत्तर) |
| | 5 | झिलमिली भू.ग.,एसईसीएल (पूर्व कार्योत्तर) |
| | 6 | अम्बा भू.ग., एसईसीएल (पूर्व कार्योत्तर) |
| | 7 | शिवानी भू.ग.एसईसीएल (पूर्व कार्योत्तर) |
| | 8 | कल्याणी भू.ग. एसईसीएल (पूर्व कार्योत्तर) |
| | 9 | नकराकोन्डा 'बी' ओसीपी ईसीएल |

क्षे.सं.-2	1	गोलुकडीह (एनसी)ओसीपी
क्षे.सं.-3	1	मगध ओसीपी
क्षे.सं.-4	1	दुर्गापुर डीप ओसी (लोकल सुनवाई के पहले)प्री-पब्लिक हियरिंग) (Xप्लान)
	2	येकोना- II ओसी (लोकल सुनवाई के पहले)(पोस्ट-पब्लिक हियरिंग) (Xप्लान)
	3	कोलार पिम्परी वि. ओसी (लोकल सुनवाई के पहले)(पोस्ट-पब्लिक हियरिंग) (X प्लान)
	4	गोकुल ओसी (XI प्लान) (लोकल सुनवाई के पहले)(प्री-पब्लिक हियरिंग)
	5	दुर्गापुर रायतवारी भू.ग. (6, 7, एवं 8 इन्क्लाइन) (इन्क््रीमेंटल प्रोडक्शन)
	6	रावरणवारा खास भू.ग.(पोस्ट पब्लिक हियेरिंग)(लोकल सुनवाई के बाद)
	7	गणपति भू.ग. .(पोस्ट पब्लिक हियेरिंग)(लोकल सुनवाई के बाद)
	8	बरकुई ओसी (पोस्ट पब्लिक हियेरिंग) (लोकल सुनवाई के बाद)
	9	शिवपुरी ओसीपी (इन्क्लाइन 7 एवं 8)
	10	न्यू सेठिया ओसी पैच
क्षे.सं.-5	1	बागदेवा भू.ग.
	2	कुसमुण्डा वि. ओसी
	3	भद्र भू.ग.
	4	बालगी भू.ग.
क्षे.सं.-7	1	सामलेश्वरी ओसीपी (टीडब्ल्यूपी-ईएमपी)
	2	हीराखण्ड बुन्दिया इन्क्लाइन (टीडब्ल्यूपी-ईएमपी)
	3	ओरिएन्ट माइन नं. 3 (टीडब्ल्यूपी-ईएमपी)
	4	कानिहा-II ओसी (10 मी.ट.प्र.वर्ष)
	5	लखनपुर वि. ओसी (15 मी.ट.प्र.वर्ष)
	6	भूवनेश्वरी ओसीपी (20 मी.ट.प्र.वर्ष)
	7	ओरिएन्ट माइन नं. 4 (टीडब्ल्यूपी-ईएमपी)
	8	हिंगुला-2 ओसीपी

बाहरी परामर्शी कार्य (कोल इंडिया से बाहर)

- 1 मेसर्स टाटा स्टील लिमिटेड के लिए वेस्ट बोकारो हेतु चार ऋतुओं के बेस लाइन पर्यावरणिक डाटा पर आधारित विस्तृत ईआईए/ईएमपी की तैयारी
- 2 मेसर्स नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन हेतु एनसीएल के अमलोरी एरिया में वाशरी के विकास के लिए बिड प्रोसेस प्रबंधन हेतु परामर्शी कार्य
- 3 मेसर्स नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन हेतु तालचर एरिया में वाशरी के विकास के लिए टीईएफआर की तैयारी हेतु परामर्शी कार्य
- 4 टाटा स्टील लिमिटेड के लिए 22 कोयला नमूनों का शैलिकी (पेट्रोग्राफिक) विश्लेषण (पहली खेप)
- 5 मेसर्स नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए तालचर एरिया एमसीएल में वाशरी के विकास के लिए बिड प्रोसेस मैनेजमेंट हेतु परामर्शी कार्य ।
- 6 मेसर्स इलेक्ट्रॉस्टील कास्टिंग लिमिटेड के लिए प्रभापुर सेन्ट्रल ब्लॉक का सीमांकन
- 7 मेसर्स आर्यन कोयला परिष्करण प्राइवेट लिमिटेड के लिए दिपका वाशरी का क्षमता मूल्यांकन

- 8 बीओओ बाधार पर मानुगुरु में कोयला वाशरी की स्थापना के लिए संभाव्यता रिपोर्ट की तैयारी , ग्राहक: मेसर्स सिंगरैनी कोलियरीज कम्पनी लि०
- 9 मेसर्स मैंगनीज ओर (इंडिया) लि. के लिए बालाघाट माइन्स में दो चाणकों (शाफ्टों) के डिपलिरिंग के लिए निविदा दस्तावेज की जाँच करना तथा अन्तिम रूप देना
- 10 मेसर्स उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए उड़ीसा के कालाहांडी तथा रायगडा डिस्ट्रिक्ट में लिंगराज बाक्साइट में भू-वैज्ञानिकी अध्ययन।
- 11 मेसर्स टाटा स्टील हेतु कोटरे बसंतपुर और पचमों कोल ब्लॉक के लिए खनन योजना की तैयारी।
- 12 मेसर्स तमिलनाडू न्यूज प्रिंट एण्ड पेपर लिमिटेड के लिए दो कोयले के नमूनों का विश्लेषण
- 13 मेसर्स स्टील लिमिटेड के लिए कोयले के नमूनों (दूसरी खेप) का प्रोटोग्राफिक विश्लेषण।
- 14 मेसर्स एस्सार स्टील लि० के लिए आउटकोर्ष (2 नमूनों) से लिए गए कोयला नमूनों का विश्लेषण
- 15 मेसर्स मैंगनीज ओर (इंडिया)लि० कलने हेतु एनओआईएल के खानों में 7 वाइन्डरों का गैर-विध्वंसक परीक्षण (एनडीटी)
- 16 मेसर्स तमिलनाडू न्यूज प्रिंट तथा पेपर लि० के लिए दो कोयला नमूनों का विश्लेषण
- 17 मेसर्स जिन्दल स्टील तथा पावर लि० के लिए गारे-IV/ क्यू ब्लॉक में कोयला गवेषण के लिए भू-वैज्ञानिक पर्यावेक्षण।
- 18 महल कोकिंग कोल ब्लॉक की पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट की तैयारी, ग्राहक – मेसर्स विशाखापट्टनम् स्टील प्लांट, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
- 19 रामगढ़ एवं गोला सब-स्टेशन, डीवीसी कॉलोनी में भूमिगत जल की संभावना के मूल्यांकन के लिए प्रतिरोधकता सर्वेक्षण

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट :

प्रबंधन का जवाब

सेवा में,

सदस्यगण,
सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड,
रॉची,, झारखण्ड।

1. हमने सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड, रॉची,, झारखण्ड के 31 मार्च 2007 के संलग्न तुलन-पत्र और उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए कम्पनी की लाभ और हानि लेखा तथा नकद प्रवाह (केश फ्लो) विवरण जिसपर हमने इस रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षर किया है, की परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण कम्पनी के प्रबन्धन की जिम्मेदारी है। हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना विचार (मत) अभिव्यक्त करना है।

2. हमने भारत में सामान्यतः स्वीकृत अंकेक्षण मानक के अनुसार अंकेक्षण किया है। उन मानकों में अपेक्षित है कि हम यह पता लगाने के लिए अंकेक्षण की योजना बनाए एवं इसे पूरा करें कि वित्तीय विवरण भौतिक गलत बयानी से मुक्त है। इस अंकेक्षण में परीक्षण के तौर पर रकम के पक्ष में साक्ष्यों तथा वित्तीय विवरण में इसका उल्लेख शामिल है। अंकेक्षण में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा सिद्धान्तों के मूल्यांकन तथा तैयार किये गये महत्वपूर्ण प्राक्कलनों के साथ-साथ सम्पूर्ण वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारे विचार के लिए हमारा अंकेक्षण पर्याप्त आधार उपलब्ध करायेगा।

3. कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 227 की उपधारा (4ए) के रूप में भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी कम्पनी (अंकेक्षकों के प्रतिवेदन) आदेश 2003, जो कंपनीज (अंकेक्षकों के प्रतिवेदन) (संशोधित आदेश) 2004 द्वारा जैसा कि अपेक्षित है, हम कथित आदेश के अनुच्छेद 4 एवं 5 में उल्लेखित मामले पर इसमें एक विवरण संलग्न करते हैं :

4. उपर्युक्त अनुच्छेद 3 में उद्धृत परिशिष्ट में हमारी टिप्पणियों के आगे, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

अ – लेखे पर टिप्पणियाँ

I. फुटकर देनदार में विभिन्न पार्टियों से काटे गये टीडीएस भी शामिल हैं। फुटकर देनदार के असमायोजन तथा फुटकर देनदार से शेष की संपुष्टि नहीं होने के कारण भी फुटकर देनदार में शामिल टीडीएस की रकम की मात्रा बताने योग्य (क्वान्टीफाइबुल) नहीं है तथा टीडीएस की वसूली योग्य (रिलाजेबिलिटी) रकम भी निर्धारित करने योग्य नहीं है।

ग्राहकों से टीडीएस सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाने पर टीडीएस की रकम की गणना की जाती है।

II. कोल इंडिया लिमिटेड की अन्य सहायक कम्पनियों की जमीन पर बने भवनों की लागत या डब्ल्यू.डी.वी में सम्मिलित 1050.58 लाख रुपये को कम्पनी के पक्ष में

कोई टिप्पणी नहीं

हस्तांतरित नहीं किया गया है। (अनुसूची 17 में उल्लिखित टिप्पणी सं. 1.1.3)।

III. हम कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कम्पनियों के पास पुराने बकाये 69.11 लाख रुपये, जो 31.3.93 से बकाया है, की वसूली की मात्रा के बारे में अपनी राय देने में असमर्थ हैं। (अनुसूची 17 में उल्लिखित टिप्पणी सं. – 3.1.2)

इसीएल ने 42.74 लाख रू. में से 26.21 लाख रू. भुगतान करने की सहमति दी है। अन्य सहायक कम्पनियों के पास शेष राशि के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है।

IV. जैसा कि अनुसूची-17 की नोट संख्या 3.1.3 में निर्दिष्ट है, देनदार में कुछ शेष को अभी तक संपुष्ट किया जाना है। ऋण एवं अग्रिम का शेष (बैलेंस) तथा फुटकर लेनदार भी संपुष्ट नहीं हैं।

कोई टिप्पणी नहीं।

V. जैसा कि अनुसूची –17 की नोट संख्या 9.2.1 में निर्दिष्ट है, औद्योगिक एवं अन्य विवाद से संबंधित कुछ मामले (सूट) न्यायालय में लम्बित है। इस संबंध में प्रबन्धन द्वारा आकस्मिक देयता की मात्रा निर्धारित नहीं की गई है।

कोई टिप्पणी नहीं

VI. लाभ/हानि या परिसम्पत्तियों/देयताओं पर उपर्युक्त I से IV तक की टिप्पणियों का प्रभाव सुनिश्चित नहीं किया गया है। इनमें से किसी पर टिप्पणी V का प्रभाव नहीं है।

कोई टिप्पणी नहीं

VII. एएस 22 के अनुसार कर के बाद लाभ में परिवर्तन- आय पर कर की गणना – आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निबल) गत वर्ष 1141.62 लाख रुपये के मुकाबले 1566.13 लाख रुपये (अनुसूची-17 की टिप्पणी संख्या-11.0) आता है। 424.51 लाख की अतिरिक्त रकम सहित लाभ एवं हानि लेखा क्रेडिट कर आवश्यक बुक समायोजन किया गया है।

कोई टिप्पणी नहीं

VIII. प्रबंधन ने ए.एस.-28 के अनुसरण में परिसंपत्तियों के नुकसान (इनपेयरमेंट ऑफ एसेस्ट्स) की जाँच की है और अनुसूची 17 की टिप्पणी संख्या 1.1.4 के अनुसार कोई हानि/कमी की रिपोर्ट नहीं की गई है।

कोई टिप्पणी नहीं

(आ) उपर्युक्त अनुच्छेद "अ" में हमारी टिप्पणी के संदर्भ में :

(1) हमने वैसी सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया है जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी में हमारी लेखा-परीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थी।

(2) जैसा कि हिसाब-किताब की हमारी जाँच से पता चला है, हमारे विचार में कम्पनी के पास कानून के अनुसार अपेक्षित लेखा की समुचित पुस्तिकाएँ उपलब्ध हैं।

(3) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखा तथा नकद प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण लेखा-पुस्तिका के अनुसार है।

(4) हमारी राय में इस रिपोर्ट से संबंधित लाभ एवं हानि लेखा, तुलन-पत्र तथा नकद प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण कम्पनी कानून 1956 की धारा 211 के उप अनुच्छेद (3सी) में उल्लिखित लागू लेखा मानकों की अपेक्षा के अनुरूप है, फिर भी खण्डवार (सिगमेंटवाइज) परिसम्पत्तियाँ एवं देयताएँ ए.एस.-17 के अनुसार स्पष्ट नहीं की गई हैं। (सिगमेंट रिपोर्टिंग)

(5) हमारे समक्ष प्रस्तुत अभिलेख तथा अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं कम्पनी सचिव के अभ्यावेदन के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि निदेशकों की अयोग्यताओं से संबंधित कम्पनी अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 274 के उप अनुच्छेद (1) के खण्ड (जी) के प्रावधान, प्राइवेट कम्पनी के लिए लागू नहीं है।

(6) हमारी राय तथा सर्वोत्तम जानकारी में और हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कथित लेखे के साथ-साथ उसकी अनुसूची तथा महत्वपूर्ण लेखा-नीति (अनुसूची-16) तथा लेखे पर टिप्पणी (अनुसूची-17) के साथ पठित लेखे से कम्पनी अधिनियम 1956 द्वारा अपेक्षित जानकारी उसी रूप में मिलती है तथा निम्नांकित के विषय में सही एवं स्पष्ट विचार देता है :

(क) तुलन-पत्र के मामले में 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार कम्पनी के मामले और

(ख) उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए कम्पनी के लाभ के लाभ एवं हानि लेखा के मामले में।

(ग) उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का नकद प्रवाह विवरण के मामले में।

वास्ते यू.नारायण एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

स्थान : राँची
दिनांक : 2 जुलाई, 2007

(सी.ए.अवधेश कु. पाण्डेय)
सदस्य
(सदस्यता संख्या 76407)

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की अनुसूची

प्रबंधन का जवाब

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की अनुसूची

(31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एवं डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड के लेखे पर आज की तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुच्छेद (3) में उल्लिखित)

1. अचल परिसम्पत्ति के मामले में

(क) कम्पनी ने सामान्य तौर पर अचल परिसम्पत्तियों की स्थिति तथा परिमाणात्मक विवरण समेत पूर्ण विवरण दर्शाते हुए सही रिकार्ड अपने पास रखा है तथापि एसएंडटी कोष तथा सीएमपीडीआई, मुख्यालय का फिटिंग एवं फर्निचर के मामले में अचल परिसंपत्तियों का रजिस्टर परिसंपत्तीवार के बदले वर्षवार मेंटेन किया जाता है।

कोई टिप्पणी नहीं।

(ख) कम्पनी द्वारा अपनाई गई जाँच के चरणवद्ध कार्यक्रम के अनुसार प्रबंधन द्वारा अधिक मूल्य वाले परिसम्पत्तियों के एक बड़े भाग की प्रत्यक्ष जाँच की गई है। जैसा कि हमें जानकारी दी गई है, ऐसी जाँच की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की भौतिक असंगति नहीं पाई गई। विवेच्य वर्ष के दौरान एसएंडटी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।

कोई टिप्पणी नहीं।

(ग) हमारी राय में विवेच्य वर्ष के दौरान कम्पनी ने अचल परिसम्पत्तियों के किसी बड़े भाग का निपटान नहीं किया गया है और कम्पनी की चालू संस्था (गोइंग कन्सर्न) की स्थिति प्रभावित नहीं हुई है।

कोई टिप्पणी नहीं।

2. इसकी वस्तु सूची (इन्वेंटरी) के मामले में :

(क) विवेच्य वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा ऊँचे मूल्य के भण्डारों एवं फालतू पाट-पुर्जों के स्टॉक की प्रत्यक्ष रूप से जाँच की गई है। परीक्षण के आधार पर कुछ कम मूल्य के आइटमों की भी जाँच की गई। हमारे विचार में जाँच की आवृत्ति यथोचित है।

कोई टिप्पणी नहीं।

(ख) हमारी राय में और हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधन द्वारा स्टॉक की प्रत्यक्ष जाँच के लिए अपनाया गया तरीका तर्क संगत है तथा कम्पनी के आकार एवं इसके कार्य व्यापार की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त है।

कोई टिप्पणी नहीं।

(ग) कम्पनी ने अपनी वस्तु-सूची का उचित रिकार्ड रखा है। जैसा कि हमें बताया गया है, पुस्तक अभिलेखों की तुलना में स्टॉक की प्रत्यक्ष जाँच पर पाई गई असंगति महत्वपूर्ण नहीं थी तथा इस पर लेखे की पुस्तक में उचित रूप से विचार किया गया है।

कोई टिप्पणी नहीं।

3. दि कम्पनीज एक्ट 1956 की धारा 301 के तहत रखे गए रजिस्टर में उल्लिखित किसी कम्पनी, फर्म या अन्य पार्टियों को/से कम्पनी द्वारा दिए गए/ लिए गए प्रतिभूत या अप्रतिभूत

ऋण के संबंध में :

- (क) कम्पनी ने इस कानून की धारा 301 के तहत बनाए गए रजिस्टर में दर्ज कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से प्रतिभूत या प्रतिभूत ऋण नहीं स्वीकृत किया है। कोई टिप्पणी नहीं।
- (ख) उपर्युक्त 3 (क) में हमारी टिप्पणी के विचार से इस कंपनी पर उपर्युक्त आदेश का खंड 3 (ख) लागू नहीं होता है। कोई टिप्पणी नहीं।
- (ग) उपर्युक्त 3 (क) में हमारी टिप्पणी के विचार से पूर्व कथित आदेश का खंड 3 (ग) इस कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- (घ) उपर्युक्त 3 (क) में हमारी टिप्पणी के विचार से पूर्व कथित आदेश का खंड 3 (घ) इस कंपनी पर लागू नहीं होता है। कोई टिप्पणी नहीं।
- (ङ) कम्पनी अधिनियम 1956 (दि एक्ट) की धारा 301 के तहत बनाए गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मों तथा अन्य पार्टियों को/से अप्रतिभूत या प्रतिभूत किसी प्रकार का ऋण स्वीकृत नहीं किया है/नहीं लिया है। कम्पनी ने अपनी नियंत्रक कम्पनी कोल इंडिया लिमिटेड से ऋण लिया है। कोई टिप्पणी नहीं।
- (च) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार अपनी नियंत्रक कम्पनी कोल इंडिया लिमिटेड से लिए गए ऋण पर ब्याज की दर तथा अन्य अनुबंध एवं शर्तें प्रथम दृष्टया कम्पनी के हित के प्रतिकूल नहीं हैं। कोई टिप्पणी नहीं।
- (छ) कोल इंडिया लिमिटेड से लिए गए ऋण के मामले में ब्याज का भुगतान नियमित किया जा रहा है तथा मूलधन माँग के अनुसार लौटाने योग्य है। कोई टिप्पणी नहीं।
4. हमारी राय में वस्तुओं तथा अचल परिसम्पत्तियों के क्रय तथा सामग्रियों एवं सेवाओं की बिक्री के मामले में इसके आंतरिक नियंत्रण की पद्धति कंपनी के आकार तथा इसके कार्य व्यापार की प्रकृति के अनुरूप है। अपनी लेखा-परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में हमने कोई बड़ी कमी नहीं पाई है। कोई टिप्पणी नहीं।
5. कम्पनी अधिनियम 1956 (दि एक्ट)की धारा 301 के तहत आने वाले लेन-देन (ट्रान्जक्शन)के संबंध में
- (क) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार संविदा या करार के अनुसरण में ऐसा कोई लेन-देन नहीं किया गया था जिसे कंपनी अधिनियम की धारा 301 के तहत रखे गए रजिस्टर में दर्ज करना आवश्यक है। कोई टिप्पणी नहीं।
- (ख) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार धारा 301 के तहत रखे गये रजिस्टर में दर्ज संविदाओं या व्यवस्थाओं के अनुसार विवेच्य वर्ष के दौरान 5 लाख रुपये मूल्य से अधिक का लेन-देन नहीं किया गया है जो संगत समय में प्रचलित बाजार मूल्य होने से यथोचित नहीं है। कोई टिप्पणी नहीं।
6. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 58 ए या 58 एए फंक्शनल कवरेज पहले ही बढ़ाया जा

तथा इस कानून के या किसी अन्य बाह्य प्रावधान के अर्थ में कंपनी ने जनता से किसी प्रकार का जमा स्वीकार नहीं किया है।

चुका है। और इसे अगले वर्ष में बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है।

7. कंपनी ने आसनसोल तथा धनबाद स्थित क्रमशः क्षे0सं06 तथा क्षे0सं07 को छोड़ कर शेष क्षेत्रीय संस्थानों तथा मुख्यालय के लिए चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स के बाहरी फर्मों को नियुक्त किया है। हमारी राय में अपने आकार तथा कार्य व्यापार की प्रकृति के अनुरूप कंपनी के पास आंतरिक अंकेक्षण की पद्धति मौजूद है। तथापि लोकेशनल एवं फंक्शनल कवरेज बढ़ाया जाना चाहिए।

कोई टिप्पणी नहीं।

8. हमें सूचित किया गया है कि केंद्र सरकार ने इस कंपनी के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा-209(1)(डी) के तहत लागत रिकार्ड के रख-रखाव का निर्धारण नहीं किया है।

कोई टिप्पणी नहीं।

9. सांविधिक बकाया के मामले में :

(1) कम्पनी के अभिलेख के अनुसार कम्पनी अविवादित सांविधिक बकाया जैसे भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष, आयकर, बिक्री कर, सम्पत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद कर, सेस तथा अन्य बकाया सक्षम प्राधिकारी के पास प्रायः नियमित रूप से जमा करा रही है। हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार इस कम्पनी में कर्मचारी राज्य जीवन बीमा योजना लागू नहीं है। हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कथित बकाए के मामले में कोई अविवादित बकाया 31 मार्च 2007 को उसके भुगतान योग्य होने की तिथि से 6 माह से अधिक अवधि के लिए बकाया नहीं है।

कोई टिप्पणी नहीं।

(2) उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष मामला लंबित रहने के कारण 61.02 लाख रुपये के जो विवादित सांविधिक बकाया जमा नहीं कराया गया है वह इस प्रकार है :-

कोई टिप्पणी नहीं।

क्र.सं.	सांविधि का प्रकार	बकाए की प्रकृति	रकम लाख रुपये	न्यायालय जहाँ मामला लम्बित है
1.	आयकर अधिनियम	आयकर लाभ(पर्क) पर टीडीएस	0.91	आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, राँची।
2.	सेवाकर अधिनियम	सेवा कर	19.23	उच्चतम न्यायालय
3.	बिक्री कर अधिनियम	सेवाकर	40.24	सेवाकर न्यायाधिकरण कोलकाता
			0.64	बिक्री कर प्राधिकारी
		कुल	61.02	लाख रुपये

10. कम्पनी ने 31 मार्च, 2007 के अनुसार कोई संचित हानि नहीं उठायी है तथा उसी तिथि को समाप्त वित्तीय वर्ष तथा गत वर्ष के अंकेक्षण के दौरान परिचालन क्रिया-कलाप से नकद हानि नहीं उठायी है।

कोई टिप्पणी नहीं

11. हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी राय यह है कि वित्तीय संस्थानों/बैंकों एवं डिवेन्चर होल्डर के पास कम्पनी का बकाया नहीं है। कोई टिप्पणी नहीं।
12. हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने शेयर, डिवेन्चर तथा अन्य प्रतिभूतियों के बंधक के रूप में प्रतिभूतियों के आधार पर किसी प्रकार का कर्ज या अग्रिम नहीं मंजूर किया है। कोई टिप्पणी नहीं।
13. कम्पनी कोई चिट फंड, निधि या म्यूचुअल बेनिफिट फंड/सोसाइटी नहीं है। इसलिए सीएआरओ का खण्ड-XIII इस कम्पनी पर लागू नहीं होता है। कोई टिप्पणी नहीं।
14. हमारी राय में कम्पनी शेयर, प्रतिभूति, डिवेन्चर तथा अन्य निवेश का कारोबार या व्यापार नहीं करती है। कोई टिप्पणी नहीं।
15. हमें दी गई सूचना तथा जानकारी के अनुसार कम्पनी ने बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से दूसरों द्वारा लिए गए ऋण के लिए कोई गारंटी नहीं दी है। कोई टिप्पणी नहीं।
16. विवेच्य वर्ष के दौरान कम्पनी ने कोई सावधिक ऋण नहीं उगाहा (रेज) किया है। कोई टिप्पणी नहीं।
17. हमारी राय में तथा हमें दी गयी जानकारी के अनुसार कम्पनी ने कोई अल्प अवधि का ऋण उगाही (रेज) नहीं किया है और न ही दीर्घकालीन उद्देश्य या विपरीत के लिए इसका उपयोग किया है। कोई टिप्पणी नहीं।
18. विवेच्य वर्ष के दौरान कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 1956 (दि एक्ट) की धारा 301 के तहत रखे गए रजिस्ट्र में आने वाली पार्टी या कम्पनी को शेयर का अधिमान्य आवंटन नहीं किया है। कोई टिप्पणी नहीं।
19. कम्पनी ने विवेच्य वर्ष के दौरान कोई डिवेन्चर जारी नहीं किया है। कोई टिप्पणी नहीं।
20. विवेच्य वर्ष के दौरान कम्पनी ने आम इश्यू द्वारा कोई धन नहीं उगाहा है। कोई टिप्पणी नहीं।
21. प्रबंधन से प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार विवेच्य वर्ष के दौरान, कम्पनी पर या द्वारा कोई धोखाधड़ी की रिपोर्ट नहीं की गई है। कोई टिप्पणी नहीं।

वास्ते यू नारायण एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

स्थान : राँची
दिनांक : 02 जुलाई, 2007

(सी.ए.अवधेश कु.पाण्डेय)
सदस्य
(सदस्यता सं० 76407)

**31 मार्च 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड
के लेखे पर कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के तहत
भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।**

कंपनी अधिनियम 1956 के तहत विहित वित्तीय प्रतिवेदन फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड के वित्तीय विवरण की तैयारी का दायित्व कंपनी प्रबंधन का है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेक्षक अपने व्यावसायिक निकाय भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान द्वारा विहित आडिटिंग एण्ड एस्योरेन्स स्टैन्डर्ड के अनुसार अपने स्वतंत्र अंकेक्षण के आधार पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के तहत वित्तीय विवरण पर अपना विचार देने के लिए उत्तरदायी है। यह दिनांक : 2.7.2007 के उनके अंकेक्षण रिपोर्ट के अनुसार किया, बताया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से मैंने 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लि0 की वित्तीय विवरण का कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (3) (बी) के तहत पूरक अंकेक्षण किया है। यह पूरक अंकेक्षण सांविधिक अंकेक्षकों के कार्यकारी अभिलेख (वर्किंग पेपर) तक पहुँच (एक्सेस) के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है तथा यह प्रथमतः सांविधिक अंकेक्षकों तथा कंपनी के कर्मियों की जांच और कुछ चयनित लेखा अभिलेखों के परीक्षण तक सीमित है। मेरे अंकेक्षण के आधार पर हमारी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया है जिस पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के तहत सांविधिक अंकेक्षण की रिपोर्ट पर टिप्पणी या पूरक दिया जा सके।

स्थान : कोलकाता
दिनांक :

वास्ते एवं की ओर से

(बी. मजुमदार)
व्यावसायिक अंकेक्षण के प्रधान निदेशक
एवं लेखा परीक्षा बोर्ड—।। के पदेन सदस्य
कोलकाता

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

31 मार्च 2007 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

अनुसूची

31 मार्च, 2007
तक

31 मार्च, 2006
तक

(लाख रुपये में)

(लाख रुपये में)

निधि के स्रोत

अंशधारकों की निधि

(अ) शेयर पूंजी	क	1904.00	1904.00
(ब) आवंटन तक लंबित शेयर मनी	ख	0.00	0.00
(स) आरक्षित निधि एवं अधिशेष	ग	4395.83	4182.58

ऋण निधि

(अ) प्रतिभूत ऋण	घ	0.00	0.00
(ब) अप्रतिभूत ऋण	ड.	178.37	177.01

कुल नियोजित निधि

6478.20 6263.59

निधि के उपयोग

अचल परिसम्पत्तियाँ

सकल ब्लॉक	च	12887.41	12562.42
घटाकर : मूल्य ह्रास		7567.00	7276.19
निबल ब्लॉक		5320.41	5286.23
सर्वेड ऑफ परिसम्पत्तियाँ		34.66	29.07
पूँजीगत चालू कार्य	छ	627.61	732.84
निवेश	ज	0.00	0.00
आस्थगित कर (निबल)		1566.13	1141.62

चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम

वस्तुसूची	झ	466.56	362.04
विविध देनदार	ञ	12453.59	11352.96
नकद एवं बैंक शेष	ट	2586.74	2888.02
ऋण एवं अग्रिम	ठ	6250.44	2533.02
अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	ड	436.54	430.87
कुल चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम		22193.87	<u>17566.91</u>
घटाकर : चालू देयताएं एवं प्रावधान	ढ	23348.78	18517.52
निबल चालू परिसम्पत्तियाँ		-1154.91	-950.61
विविध व्यय	ण	0.00	0.00

(उस सीमा तक जो न तो बट्टे खाते में डाला गया और न ही समायोजित किया गया।)

अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति त **84.30** 24.44

6478.20 6263.59

लेखा नीति

16

=====

=====

लेखे पर टिप्पणी

17

उपर्युक्त फार्म में उल्लेखित अनुसूची लेखे का अभिन्न भाग है

(उदयन चक्रवर्ती)

कम्पनी सचिव

(पी.के.साहा)

विभागाध्यक्ष(वित्त)

(एस.आर.घोष)

निदेशक

(एस.चौधुरी)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

उसी तारीख को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

वास्ते यू. नारायण एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेंट

(अवधेश कुमार पाण्डेय)

पार्टनर

कैम्प : राँची

तिथि : 2 जुलाई 2007

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड
31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनुसूची	31 मार्च 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (लाख रुपये में)	31 मार्च 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (लाख रुपये में)
आय		
सेवाओं की बिक्री	1 16032.11	14578.68
अन्य उद्देश्य के लिए जारी किया गया कोयला	2 -	-
भण्डार में वृद्धि/हास(-)	3 -	-
निजी उद्देश्य के लिए वर्कशॉप कार्य	4 -	-
अन्य आय	5 284.04	404.37
कुल आय	16316.15	14983.05
व्यय		
सामानों एवं पार्ट पुर्जों की खपत	6 845.26	737.97
कर्मचारियों के पारिश्रमिक एवं सुविधाएं	7 11451.72	10197.14
सामाजिक ऊपरी खर्च	8 1062.27	1136.81
बिजली एवं इंधन	9 185.45	169.82
मरम्मत	10 306.93	233.27
संविदात्मक व्यय	11 266.77	257.24
विविध व्यय	12 1362.44	1409.09
कुल व्यय	15480.84	14141.34
सकल चालू लाभ (+)/हानि(-)	835.31	841.71
ब्याज	13 28.95	20.58
मूल्य हास	219.62	209.00
प्रावधान	14 126.14	107.71
वर्ष के लिए लाभ (+)/हानि (-)	15 460.60	504.42
पूर्व अवधि समायोजन	13.32	109.90
कर के पूर्व निबल लाभ (+)/हानि (-)	447.28	394.52
कर का प्रावधान	542.20	300.00
फ्रिंज बेनिफिट कर के लिए प्रावधान	71.00	86.00
आस्थगित कर के लिए प्रावधान	-424.51	-133.67
कर के बाद लाभ (+)/हानि (-)	258.59	142.19
जेनरल रिजर्व में अन्तरित	0.00	0.00
जेनरल रिजर्व में अन्तरण के बाद लाभ(+)/हानि(-)	258.59	142.19
जोड़कर : गत वर्ष तक लाभ	2307.89	2165.70
घटाकर : पूर्व वर्षों के लिए आयकर	55.66	0.00
तुलन-पत्र में लाया गया शेष	2510.82	2307.89
लेखा नीति	17	
लेखे पर टिप्पणी	18	
उपर्युक्त फार्म में उल्लेखित अनुसूची लेखे का अभिन्न भाग है		

उद्यम चक्रवर्ती
कम्पनी सचिव

पी.के.साहा
विभागाध्यक्ष(वित्त)

एस.आर.घोष
निदेशक

एस.चौधुरी
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

उसी तारीख को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
वास्ते यू.नारायण एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

कैम्प : रॉची
दिनांक : 2 जुलाई, 2007

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
सदस्य

31 मार्च 2007 के अनुसार तुलन-पत्र की अनुसूची शेयर पूँजी		अनुसूची 'क'	
		चालू वर्ष (लाख रुपये में)	गत वर्ष (लाख रुपये में)
अधिकृत पूँजी			
1000 रुपये प्रति शेयर वाले 5,00,000 इक्विटी शेयर			
	5000.00	5000.00	
	5000.00	5000.00	
निर्गमित अभिगत एवं चुकता पूँजी			
(कोल इण्डिया, नियंत्रक कम्पनी तथा इसके मनोनीती के हैं)			
पूर्ण नकद अदायकृत प्रत्येक 1000 रुपये के 8 इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 1000 रुपये के 8 इक्विटी शेयर)			
	0.08	0.08	
नकदी से भिन्न प्राप्त प्रति मूल्य के लिए पूर्णतः चुकता के रूप में आवंटित प्रत्येक 1000 रुपये के 85392 इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 1000 रुपये के 85392 इक्विटी शेयर)			
	853.92	853.92	
ऋण को इक्विटी शेयर में बदल कर होल्डिंग कम्पनी को पूर्णतः चुकता के रूप में आवंटित प्रत्येक 1000 रुपये के 105000 इक्विटी शेयर			
	1050.00	1050.00	
	1904.00	1904.00	

31 मार्च 2007 के अनुसार तुलन-पत्र की अनुसूची आवंटन तक लंबित शेयर मनी		अनुसूची 'ख'	
		चालू वर्ष (लाख रुपये में)	गत वर्ष (लाख रुपये में)
	शून्य	शून्य	

31 मार्च 2007 के अनुसार तुलन-पत्र की अनुसूची आरक्षित निधि एवं अधिशेष				अनुसूची 'ग'
		चालू वर्ष (लाख रुपये में)	गत वर्ष (लाख रुपये में)	
पूँजीगत भण्डार				
पूँजीगत उपकरण की खरीद के लिए अनुदान				
ऊर्जा कोयला, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुदान				
गत लेखे के अनुसार	1235.07		1300.17	
वर्ष के दौरान वृद्धि	<u>17.70</u>		<u>25.93</u>	
	1252.77		1326.10	
घटाकर : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला गया मूल्य ह्रास	97.53	1155.24	91.03	1235.07
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अनुदान				
गत लेखे के अनुसार	6.87		7.20	
वर्ष के दौरान वृद्धि	0.00		0.00	
	6.87		7.20	
घटाकर : बट्टे खाते डाला गया मूल्य ह्रास	0.32	6.55	0.33	6.87
सी.सी.डी.ए. अनुदान				
गत लेखे के अनुसार	8.26		10.20	
वर्ष के दौरान वृद्धि	0.00		0.00	
	8.26		10.20	
घटाकर : बट्टे खाते डाला गया मूल्य ह्रास	0.25	8.01	1.94	8.26
ई.एम.एस.सी. अनुदान				
गत लेखे के अनुसार	0.47		0.47	
वर्ष के दौरान वृद्धि	0.00		0.00	
	0.47		0.47	
घटाकर : बट्टे खाते डाला गया मूल्य ह्रास	0.00	0.47	0.00	0.47
कोल इण्डिया अनुसंधान एवं विकास अनुदान				
गत लेखे के अनुसार	366.63		375.69	
वर्ष के दौरान वृद्धि	<u>26.25</u>		<u>36.13</u>	
	392.88		411.82	
घटाकर : बट्टे खाते डाला गया मूल्य ह्रास	<u>46.46</u>	<u>346.42</u>	<u>45.19</u>	<u>366.63</u>
पी.आर.ई.अनुदान				
गत लेखे के अनुसार				
वर्ष के दौरान वृद्धि	39.85		0.00	
घटाकर : बट्टे खाते डाला गया मूल्य ह्रास	<u>161.11</u>		<u>44.37</u>	
	200.96		44.37	
	50.18	150.78	4.52	39.85
			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
		1667.47		1657.15
सामान्य रिजर्व				
लाभ एवं हानि लेखे से स्थानांतरित लाभ-शेष		217.54		217.54
कुल		<u>4395.83</u>		<u>4182.58</u>

31 मार्च 2007 के अनुसार तुलन-पत्र की अनुसूची प्रतिभूत ऋण	अनुसूची 'घ'	
	चालू वर्ष (लाख रुपये में)	गत वर्ष (लाख रुपये में)
	शून्य	शून्य

31 मार्च 2007 के अनुसार तुलन-पत्र की अनुसूची अप्रतिभूत ऋण	अनुसूची 'ड.'	
	चालू वर्ष (लाख रुपये में)	गत वर्ष (लाख रुपये में)
कोल इण्डिया लिमिटेड, नियंत्रक कम्पनी को देय	160.57	160.57
प्राप्त एवं बकाया ब्याज	17.80	16.44
कुल	178.37	177.01

31 मार्च 2007 के अनुसार तुलन-पत्र की अनुसूची
अचल परिसम्पत्तियों

अनुसूची 'च'

(लाख रुपये में)

विवरण	विवरण				मूल्यहास				निबल ब्लॉक	
	1.4.2006 तक लागत	वर्ष के दौरान वृद्धि	अचल परिसम्पत्तियों के निपटान/ डिस्कार्डेड के लिए समायोजन	31.3.2007 तक कुल लागत	1.4.2006 तक मूल्य हास	विवेच्य वर्ष के दौरान मूल्य हास	निपटान/ डिस्कार्डेड आदि के लिए समायोजन	31.3.2007 तक कुल मूल्य हास	31.3.2007 तक निबल ब्लॉक	31.3.2006 तक निबल ब्लॉक

(क) अचल परिसम्पत्तियों
(वि० एवं प्रौ०, सी.सी.डी.ए.
, ई.एम.एस.सी., यू.एन.डी.
पी., पी.आर. तथा सी.
आईएल अनु० एवं विकास
परिसम्पत्तियों को
छोड़कर)

जमीन :

पूर्णास्वामित्व	114.71	0.00	0.00	114.71	0.00	0.00	0.00	0.00	114.71	114.71
पट्टेदार	117.98	0.00	0.00	117.98	55.15	3.13	0.00	58.28	59.70	62.83
भवन :								-		
पूर्णास्वामित्व	4143.74	89.04	-370.50	3862.28	1252.71	75.13	-243.92	1083.92	2778.36	2891.03
पट्टेदार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
संयंत्र एवं मशीनरी फर्नीचर, फीटिंग्स तथा कार्यालय उपकरण	3417.29	249.69	265.29	3932.27	2700.28	147.71	149.50	2997.49	934.78	717.01
वाहन	1114.33	19.31	-50.99	1082.65	929.87	31.72	-48.80	912.79	169.86	184.46
	637.96	0.02	-9.28	628.70	536.87	25.87	-8.83	553.91	74.79	101.09
कुल (क)	9546.01	358.06	-165.48	9738.59	5474.88	283.56	-152.05	5606.39	4132.20	4071.13

(ख) वि.एवं प्रौ., सीसीडीए,
ईएमएससी, संराविका,
कोल इण्डिया लिमिटेड
अनु. एवं वि/पीआरई/
परिसम्पत्तियों

भवन	4.79	26.28	0.00	31.07	1.54	0.81	0.00	2.35	28.72	3.25
संयंत्र एवं मशीनरी फर्नीचर, फीटिंग्स तथा कार्यालय उपकरण	2992.56	99.02	0.00	3091.58	1786.90	156.94	0.00	1943.84	1147.74	1205.66
वाहन	15.13	7.11	0.00	22.24	9.15	1.55	0.00	10.70	11.54	5.98
	3.93	0.00	0.00	3.93	3.72	0.00	0.00	3.72	0.21	0.21
कुल (ख)	3016.41	132.41	0.00	3148.82	1801.31	159.30	0.00	1960.61	1188.21	1215.10
सम्पूर्ण (क+ख)	12562.42	490.47	-165.48	12887.41	7276.19	442.86	-152.05	7567.00	5320.41	5286.23

(ग) सर्वे आफ परिसम्पत्तियों

गत वर्ष									34.66	29.07
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------

1. अचल परिसम्पत्तियों
(वि. एवं प्रौ. सीसीडीए,
ईएमएससी तथा संराविका
पी.आर.ई रहित)

	9368.35	268.16	-90.50	9546.01	5163.88	396.91	-85.91	5474.88	4071.13	4204.47
--	---------	--------	--------	---------	---------	--------	--------	---------	---------	---------

2. वि. एवं प्रौ. सीसीडीए,
ईएमएससी तथा
संराविका, पीआरई
परिसम्पत्तियों

	2925.81	90.60	0.00	3016.41	1658.30	143.01	0.00	1801.31	1215.10	1267.51
--	---------	-------	------	---------	---------	--------	------	---------	---------	---------

कुल	12294.16	358.76	-90.50	12562.42	6822.18	539.92	-85.91	7276.19	5286.23	5471.98
------------	-----------------	---------------	---------------	-----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------

(III) सर्वे आफ परिसम्पत्तियों

29.07 24.87

सहायक टिप्पणी अनुसूची च 1 पर

31 मार्च 2007 के अनुसार तुलन-पत्र की अनुसूची
अचल परिसम्पत्तियों

अनुसूची 'च'
परिशिष्ट 'च-1'
(लाख रुपये में)

टिप्पणी-1

मूल्य ह्रास का आवंटन :	चालू वर्ष	गत वर्ष	*अनुदान के मुकाबले खरीदी गयी परिसम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. लाभ एवं हानि लेखा					
(क) 5000/- रुपये से कम लागत वाली परिसम्पत्तियों पर 100 प्रतिशत मूल्य ह्रास	4.68	3.70	ऊर्जा कोयला वि. एवं प्रौ.	97.53	91.03
(ख) अन्य	214.94	205.30	संराविका	0.32	0.33
2. सामाजिक उपरि खर्च	61.15	60.49	सी.सी.डी.ए.	0.25	1.94
3. पूर्व अवधि समायोजन	3.67	128.50	ईएमएससी	0.00	0.00
4. पूंजीगत परिसम्पत्तियों के बदले अनुदान*	159.30	143.01	कोल इण्डिया अनु. एवं वि.	46.46	45.19
			पी.आर.ई. (अचल संपत्ति)	14.74	4.52
			उप-योग	159.30	143.01
			पी.आर.ई. (अप्रत्यक्ष संपत्ति)	35.44	0.00
कुल	443.74	541.00	सकल योग	194.74	143.01

टिप्पणी : 2

फर्नीचर, फीटिंग एवं कार्यालय उपकरण को छोड़कर अनुसूची में सामाजिक उपरिभार परिसम्पत्तियों में निम्नलिखित शामिल हैं-

	लागत 31 मार्च 2007 को	लागत 31 मार्च 2006 को
1. भवन	2755.64	2698.10
2. वाहन	49.69	49.69
कुल	2805.33	2747.79

टिप्पणी - 3 :

अचल परिसम्पत्तियों के निपटान का सामंजस्य

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	45.40	0.00
2. बैंक	1.50	0.00
3. अचल परिसम्पत्तियों का लाभ (+)/हानि (-)	0.89	0.00
अचल परिसम्पत्तियों (सकल लागत) का निपटान	47.79	0.00

टिप्पणी - 4 :

अनुपयोगी अचल परिसम्पत्तियों का सामंजस्य

	31 मार्च 2007 को	31 मार्च 2006 को
सकल लागत	694.68	582.43
मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	660.02	553.36
	34.66	29.07

टिप्पणी - 5 :

मूल्यह्रास निधि का सामंजस्य

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अथशेष	7276.19	6822.18
जोड़कर : वर्ष के दौरान उपलब्ध मूल्यह्रास	442.86	539.92
	7719.05	7362.10

घटाकर : मियाद पूरी हुई/बट्टे खाते डाली गई तथा निपटायी गई परिसम्पत्तियों के लिए निबल निकास निधि

	चालू वर्ष	गत वर्ष
	152.05	79.92
घटाकर : निकास निधि - अन्तर कम्पनी	0.00	5.99
अन्य	0.00	0.00

इतिशेष

	7567.00	7276.19
--	----------------	---------

31 मार्च 2007 के अनुसार तुलन-पत्र की अनुसूची

अनुसूची - छ

चालू पूँजीगत कार्य

(लाख रुपये में)

विवरण	लागत				प्रावधान				निबल परिसम्पत्ति	
	1.4.2006 के अनुसार लागत	वर्ष के दौरान वृद्धि	पूँजीकरण / निपटान / अनुपयोगी के लिए समायोजन	31.3.2007 के अनुसार लागत	1.4.2006 के अनुसार	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान निकासी / समायोजन	31.3.2007 तक कुल योग	31.3.2007 के अनुसार निबल परिसम्पत्तियाँ	31.3.2006 के अनुसार निबल परिसम्पत्तियाँ

(अ) पूँजीगत चालू कार्य (वि. एवं प्रौ./ अनु. एवं विकास परिसम्पत्तियों को छोड़कर)

भवन	84.50	2.65	-19.19	67.96	7.10	1.08		8.18	59.78	77.40
स्टोरो में पूँजीगत भण्डार तथा प्लान्ट एवं मशीनरी	214.26	56.34	-113.65	156.95	0.64	-0.20		0.44	156.51	213.62
योग (अ)	298.76	58.99	-132.84	224.91	7.74	0.88	0.00	8.62	216.29	291.02

(ब) चालू पूँजीगत कार्य (वि. एवं प्रौ के लिए)

स्टोरो में पूँजीगत भण्डार तथा प्लान्ट एवं मशीनरी	281.40	0.00	-14.67	266.73	0.00			0.00	266.73	281.40
(अनु. एवं विकास के लिए) कोल टेलिंग ट्रीटमेंट प्लान्ट	160.42	0.00	-15.83	144.59	0.00			0.00	144.59	160.42
योग (ब)	441.82	0.00	-30.50	411.23	0.00	0.00	0.00	0.00	411.32	441.82
कुल योग (अ+ब)	740.58	58.99	-163.34	636.23	7.74	0.88	0.00	8.62	627.61	732.84

गत वर्ष

अ. पूँजीगत चालू कार्य (वि. एवं प्रौ./ अनु. विकास परिसम्पत्तियों को छोड़कर)

	79.61	231.99	-12.84	298.76	6.72	1.08	-0.06	7.74	291.02	72.89
--	-------	--------	--------	--------	------	------	-------	------	--------	-------

कुल (अ)

	79.61	231.99	-12.84	298.76	6.72	1.08	-0.06	7.74	291.02	72.89
--	--------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

ब. चालू पूँजीगत कर्ज (वि. एवं प्रौ./ अनु. विकास परिसंपत्तियों के लिए)

	425.99	15.83	0.00	441.82	0.00	0.00	0.00	0.00	441.82	425.99
--	--------	-------	------	--------	------	------	------	------	--------	--------

योग (ब)

	425.99	15.83	0.00	441.82	0.00	0.00	0.00	0.00	441.82	425.99
--	---------------	--------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	---------------

कुल योग (अ+ब)

	505.60	247.82	-12.84	740.58	6.72	1.08	-0.06	7.74	32.84	498.88
--	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------	---------------

टिप्पणी : अनुसूची में शामिल सामाजिक उपरि खर्च परिसम्पत्तियाँ इस प्रकार हैं -

	31 मार्च 2007 तक	31 मार्च 2006 तक
1. भवन	67.96	84.50
2. सड़के एवं पुलिया	-	-
3. अन्य (जलापूर्ति)	-	-
कुल	67.96	84.50

31 मार्च 2007 के अनुसार तुलन-पत्र की अनुसूची निवेश (लागत पर)	अनुसूची 'ज'	
	चालू वर्ष (लाख रुपये में)	गत वर्ष (लाख रुपये में)
लागत (अनुधृत) पर ब्यापार निवेश	शून्य	शून्य

31 मार्च 2007 के अनुसार तुलन-पत्र की अनुसूची वस्तु-सूची	अनुसूची 'झ'		
	चालू वर्ष (लाख रुपये में)	गत वर्ष (लाख रुपये में)	
(प्रबंधन द्वारा मूल्यांकन एवं प्रमाणन के अनुसार)			
भारित औसत लागत पर सामान एवं विविध पूजों का स्टॉक	481.25	367.02	
घटाकर : मंद गतिमान/अगतिमान/अप्रचलन हेतु प्रावधान	<u>89.67</u>	<u>89.49</u>	
	391.58	277.53	
क्रय-मूल्य पर स्टेशनरी एवं अन्य भण्डार	57.09	448.67	50.87
जोड़कर : मार्गस्थ/निरीक्षणाधीन	<u> </u>	17.99	33.64
कुल	<u>466.56</u>	<u>362.04</u>	<u> </u>

31 मार्च 2007 के अनुसार तुलन-पत्र की अनुसूची फुटकर देनदार		अनुसूची 'अ'
	चालू वर्ष (लाख रुपये में)	गत वर्ष (लाख रुपये में)
छ: माह से अधिक समय से बकाया ऋण	5821.19	6115.31
अन्य	6891.00	5394.38
कुल	12712.19	11509.69
घटाकर : संदेहपूर्ण ऋण हेतु प्रावधान	258.60	156.73
शेष	12453.59	11352.96
<u>वर्गीकरण</u>		
अप्रतिभूत एवं वसूली योग्य	12453.59	11352.96
अप्रतिभूत एवं संदिग्ध	258.60	156.73
	12712.19	11509.69
<u>एक ही प्रबंधन के अन्तर्गत कम्पनियों का बकाया</u>		
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	1632.53	1678.66
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	1282.84	1152.78
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	2575.62	2307.53
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	1222.22	549.73
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	737.23	667.52
नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड	830.38	861.57
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	1960.47	1946.22
नार्थ ईस्ट कोलफील्ड्स	17.88	50.71
ककरी सी.एच.पी. (एन.सी.एल.)	14.08	14.08
दानकुनी कोल कम्पलेक्स (सीआईएल)	1.87	1.87
भरतपुर सी.एच.पी. (एम.सी.एल.)	0.73	0.73
कुल	10275.85	9231.40

31 मार्च 2007 के अनुसार तुलन-पत्र की अनुसूची नकद एवं बैंक-शेष		अनुसूची 'अ'
	चालू वर्ष (लाख रुपये में)	गत वर्ष (लाख रुपये में)
नकद, चेक, ड्राफ्ट एवं हाथे टिकट	36.27	51.54
मार्गस्थ भेजी गई रकम	937.00	422.00
अनुसूचित बैंक के पास शेष		
चालू खाते में	1551.23	2353.05
जमा खाते में *	62.24	61.43
कुल	2586.74	2888.02
* बैंक गारंटी के निर्गमन के लिए 16.70 लाख रुपये के भारित (गत वर्ष 28.32 लाख रुपये)		

31 मार्च 2007 के अनुसार तुलन-पत्र की अनुसूची ऋण एवं अग्रिम	अनुसूची 'ठ'	
	चालू वर्ष (लाख रुपये में)	गत वर्ष (लाख रुपये में)
नकद वसूली योग्य या प्राप्ति योग्य मूल्य के लिए पेशगी आपूर्तिकर्ता को पेशगियों		
पूँजीगत कार्य के लिए	1.01	1.01
अन्य सामानों के लिए	50.90	66.45
ठेकेदारों को पेशगियों		
पूँजीगत कार्य के लिए	1.85	5.00
अन्य सामानों के लिए	5.81	10.20
कर्मचारियों को पेशगियों		
भवन निर्माण के लिए	141.01	177.46
मोटर-कार एवं अन्य वाहन के लिए	1.84	5.64
अन्य के लिए	104.67	110.37
पी एण्ड टी., बिजली, गैस आदि के लिए जमा	45.94	47.05
संवैधानिक बकाया के लिए अग्रिम भुगतान		
आयकर	1122.24	1594.46
विक्री कर	5.22	5.22
सम्मपति कर	0.30	0.27
पूर्व प्रदत्त व्यय	13.67	12.64
स्रोत पर काटा गया आयकर	861.13	429.08
होलिडिंग कम्पनी एवं इसकी सहायक कम्पनियों, कोल इंडिया लि0, होलिडिंग कम्पनी	3844.78	0.00
अन्य सरकारी एजेन्सियों को अग्रिम	36.76	73.59
बिल पर प्रदत्त सेवा कर	24.66	6.00
कुल	6261.79	2544.44
घटाकर : प्रावधान	11.35	11.42
शेष	6250.44	2533.02
<u>नोट</u>		
1) प्रतिभूत एवं वसूली योग्य	142.85	183.10
अप्रतिभूत एवं वसूली योग्य	6107.59	2349.92
अप्रतिभूत एवं संदिग्ध	11.35	11.42
2) कम्पनी के किसी अधिकारी के पास बकाया राशि 0.00	6261.79	2544.44
(गत वर्ष 0.22 लाख रुपये) विवेच्य वर्ष के दौरान किसी भी समय अधिकतम		
बकाया 0.86 लाख रुपये (गत वर्ष 0.92 लाख रुपये)		
3) कम्पनी के निदेशकों के पास बकाया 0.08 लाख रुपये (गत वर्ष 0.10 लाख रुपये)		
विवेच्य वर्ष के दौरान किसी भी समय अधिकतम बकाया		
0.23 लाख रुपये (गत वर्ष 0.63 लाख रुपये)		
कम्पनी सचिव को उपर्युक्त घोषणा के लिए कम्पनी का अधिकारी माना गया है		

31 मार्च 2007 के अनुसार तुलन-पत्र की अनुसूची अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	अनुसूची 'ड'	
	चालू वर्ष (लाख रुपये में)	गत वर्ष (लाख रुपये में)
प्राप्ति योग्य दावें :		
1) रेलवे	-	-
2) बीमा	-	-
3) अन्य	26.73	22.29
अन्य प्राप्ति योग्य दावें :		
1) कर्मचारी	401.99	401.57
2) अन्य	7.82	7.01
कुल	436.54	430.87

31 मार्च 2007 के अनुसार तुलन-पत्र की अनुसूची चालू देयताएं एवं प्रावधान	अनुसूची 'द'	
	चालू वर्ष (लाख रुपये में)	गत वर्ष (लाख रुपये में)
सामानों के लिए देनदार		
पूँजी	90.08	83.14
राजस्व	165.43	106.55
संविदात्मक व्यय हेतु विविध देनदार		
पूँजी	89.34	97.74
राजस्व	478.55	478.99
कोयला ब्लॉक के लिए देयता	7830.24	622.39
अन्य व्यय के लिए विविध देनदार		
बिजली एवं ईंधन	90.55	63.38
अन्य	664.78	632.49
कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं लाभ		
वेतन, मजदूरी एवं भत्ते (सकल)	1176.68	3135.66
ग्रेच्युटी	4051.34	3424.03
उपरिस्थिति बोनस	35.22	38.57
कृपानुदान	174.83	117.85
बिना भुगतान किया गया वेतन/मजदूरी	72.67	62.63
छुट्टी नकदीकरण	1903.71	1466.47
वैधानिक बकाया		
स्रोत पर काटा गया आयकर		
कर्मचारियों से	47.47	10.26
ठेकेदारों से	1.11	0.81
सेवाकर	1146.13	947.35
अग्रिम एवं जमा		
ग्रहकों	482.51	436.65
कोयला मंत्रालय से (परिशिष्ट-द-4)	927.95	472.76
ठेकेदारों एवं अन्य से*	282.39	279.38
लंबित भुगतान हेतु सरकारी अनुदान		
ऊर्जा कोयला (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) अनुदान (परिशिष्ट 'द'-1)	19.51	194.30
अन्य अनुदान (परिशिष्ट 'द'-2)	2027.66	1898.71
कोल इण्डिया लिमिटेड एवं विकास कोष (परिशिष्ट 'द'-3)	36.25	22.55
-नियंत्रक कम्पनी एवं इसकी अनुषंगी कम्पनियों का चालू खाता शेष		
कोल इण्डिया लिमिटेड, नियंत्रक कम्पनी	0.00	2472.71
सहायक उचन्त खाता	104.08	103.22
अन्य देयताएं		
सेवानिवृत्ति पेंशन निधि बकाया	62.98	80.11
भविष्य निधि बकाया	71.86	36.71
सहकारी/परोपकारी निधि/रिक्रियेशन क्लब	27.78	22.00
प्रावधान :		
कराधान के लिए प्रावधान : आयकर	1105.36	1122.87
फ्रिंज बेनिफिट टैक्स के लिए प्रावधान	157.00	86.00
कराधान के लिए प्रावधान : सम्पत्ति कर	0.40	0.40
परिसम्पत्ति की हानि हेतु प्रावधान	24.92	0.84
कुल	23348.78	18517.52
*स्पष्टीकरण :		
जमा में ऊर्जा कोयला, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुदान की पेशगी एवं जमानत राशि का 0.00 लाख रुपये		
(गत वर्ष 0.00 लाख रुपये) शामिल है।		

31 मार्च 2007 के अनुसार तुलन-पत्र की अनुसूची
ऊर्जा कोयला, (वि. एवं प्रौ.) अनुदान

अनुसूची 'द'
परिशिष्ट 'द'-1

	चालू वर्ष (लाख रूपये में)	गत वर्ष (लाख रूपये में)
1.4.2006 के अनुसार अथशेष	194.30	168.26
ऊर्जा कोयला मंत्रालय (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) अनुदान से प्राप्त राशि	600.00	1484.00
कार्यनिष्पादक एजेंसियों से वापसी	34.66	16.13
	828.96	1668.39
<u>विभिन्न कार्यन्वयन एजेंसियों को अदायगी</u>		
सेन्ट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीच्यूट	45.00	227.10
केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान	171.50	43.19
भारतीय खनि विद्यापीठ	3.00	32.00
अन्नामलाई विश्वविद्यालय, मद्रास	2.50	0.21
आम्ना विश्वविद्यालय	20.00	83.60
कोल बेड मिथेन	100.00	450.00
नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स	105.00	50.00
तमिलनाडू कृषि विश्वविद्यालय	9.00	16.90
टी.एम. भागलपुर विश्वविद्यालय	0.70	0.00
नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन	120.00	151.33
रिजिनल रिसर्च लेबोरेटरी,, जोरहाट	5.00	0.00
रिजिनल रिसर्च लेबोरेटरी, भोपाल	0.00	20.00
स्टील अथारिटी ऑफ इण्डिया लि0 अनुसंधान एवं विकास संगठन	5.00	0.00
आई.आई.टी. दिल्ली	0.70	0.00
आईआईटी, मद्रास	0.00	2.00
आईआईटी, खड़गपुर	4.00	18.00
आई.आई.सी.टी. हैदराबाद	5.72	20.00
सीईटी ओसमानिया विश्वविद्यालय	0.00	15.00
एससीसीएल	7.00	50.00
आरडीसीआईएस	0.00	11.00
आरआरएल, जोरहाट	0.00	5.00
सीएमईआरआई,	30.00	49.00
यादवपुर यूनिवर्सिटी	8.00	50.00
सीएमपीडीआई लिमिटेड	167.33	179.76
कुल वितरण	809.45	1474.09
इति शेष	19.51	194.30

31 मार्च 2007 के अनुसार तुलन-पत्र की अनुसूची
अन्य अनुदान

अनुसूची- 'ढ'
परिशिष्ट- ढ-2
(लाख रुपये में)

सरकारी अनुदान का नाम	अथशेष	हाथे चेक अनुवर्ती अदायगी के लिए	समायोजित अथ शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	कुल योग	वर्ष के दौरान वितरित	31.3.2006 के अनुसार शेष	
	क	ख	ग(क-ख)	घ	ड.(ग+घ)	च	छ (ड.-च)	
खनन इलेक्ट्रॉनिक अनुदान	चालू वर्ष	0.52	0.00	0.52	0.00	0.52	0.00	0.52
	गत वर्ष	0.52	0.00	0.52	0.00	0.52	0.00	0.52
प्रमोशनल क्षेत्रीय गवेषण अनुदान (परिशिष्ट ढ.2.1)	चालू वर्ष	1817.20	0.00	1817.20	4000.00	5817.20	3877.63	1939.57
	गत वर्ष	1919.05	91.70	1827.35	4846.00	6673.35	4856.15	1817.20
पर्यावरणिक उपाय धँसान नियंत्रण एवं पुर्नवास और अग्नि एवं धसान (आरसीएफएस) नियंत्रण अनुदान (परिशिष्ट ढ 2.2)	चालू वर्ष	2.42	0.00	2.42	800.00	802.42	793.65	8.77
	गत वर्ष	10.41	0.00	10.41	2515.00	2525.41	2522.99	2.42
परीक्षण प्रयोगशाला अनुदान	चालू वर्ष	28.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	28.00
	गत वर्ष	28.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	28.00
संराविका अनुदान	चालू वर्ष	26.82	0.00	26.82	0.00	26.82	0.00	26.82
	गत वर्ष	26.82	0.00	26.82	0.00	26.82	0.00	26.82
कोयला संरक्षण विकास सलाहकार अनुदान	चालू वर्ष	23.75	0.00	23.75	244.38	268.13	244.15	23.98
	गत वर्ष	23.75	0.00	23.75	0.00	23.75	0.00	23.75
कुल योग	चालू वर्ष	1898.71	0.00	1898.71	5044.38	6943.09	4915.43	2027.66
	गत वर्ष	2008.55	91.70	1916.85	7361.00	9277.85	7379.14	1898.71

**31 मार्च 2007 के अनुसार तुलन-पत्र की अनुसूची
प्रमोशनल रिजिनल एक्सप्लोरेशन ग्रांट**

अनुसूची - ढ
परिशिष्ट ढ-2.1

	चालू वर्ष (लाख रुपये में)	विगत वर्ष (लाख रुपये में)
अथशेष	1817.20	1919.05
घटाकर : 31.03.06 के अनुसार अनुवर्ती अदायगी के लिए हाथे चेक	0.00	91.70
समायोजित अथ शेष	-----	1827.35
\ कोयला मंत्रालय से प्राप्त राशि	1817.20	4846.00
	4000.00	0.00
	5817.20	6673.35
विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को अदायगी		
मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड	2650.79	3667.99
जियोलाजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया	458.28	528.62
सीएमपीडीआई लिमिटेड	670.56	597.45
नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड	0.00	25.39
एससीसीएल	56.75	36.70
सीएमआरआई	41.25	0.00
कुल अदायगी	3877.63	4856.15
इतिशेष	1939.57	1817.20

**31 मार्च 2007 के अनुसार तुलन-पत्र की अनुसूची
पर्यावरणिक उपाय धंसान नियंत्रण एवं आग तथा धंसान
(आरसीएफएस) के पुर्नवास नियंत्रण अनुदान**

अनुसूची - ढ
परिशिष्ट ढ-2.2

	चालू वर्ष (लाख रुपये में)	विगत वर्ष (लाख रुपये में)
अथशेष	2.42	10.41
मंत्रालय से प्राप्तियाँ	800.00	2515.00
	802.42	2525.41
विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को अदायगी		
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	9.00	1033.00
ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड	745.00	1460.00
सीएमपीडीआई लिमिटेड	39.65	29.99
कुल अदायगी	793.65	2522.99
इतिशेष	8.77	2.42

31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए तुलन-पत्र की अनुसूची कोल इण्डिया लि0. अनुसंधान एवं विकास निधि	अनुसूची 'ढ' परिशिष्ट 'ढ'-3	
	चालू वर्ष (लाख रुपये में)	गत वर्ष (लाख रुपये में)
अथ शेष	22.55	74.46
कोल इण्डिया से प्राप्त रकम	879.82	764.00
कुल प्राप्तियाँ	902.37	838.46
<u>विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को भुगतान :</u>		
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	130.00	81.22
आईआईटी, खड़गपुर	146.34	138.55
सीएमपीडीआई लिमिटेड	386.09	480.34
डब्ल्यू सी एल	0.00	115.80
सेल अनुसंधान एवं विकास संगठन	40.00	0.00
प्रेसिडेन्सी कॉलेज कूलकाता	94.80	0.00
नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी	68.89	0.00
	<u>866.12</u>	<u>815.91</u>
इतिशेष	<u>36.25</u>	22.55

31 मार्च 2007 के अनुसार तुलन-पत्र की अनुसूची
गैर सीआईएल खण्डों में विस्तृत वेधन कार्य हेतु अनुदान

अनुसूची - ढ
परिशिष्ट ढ-4

	चालू वर्ष (लाख रुपये में)	विगत वर्ष (लाख रुपये में)
अथ शेष	472.76	0.00
घटाकर : हाथे चेक	<u>0.69</u>	<u>0.00</u>
समायोजित अथ शेष	<u>472.07</u>	<u>0.00</u>
कोयला मंत्रालय से प्राप्त रकम	2098.00	2276.00
क्लोजिंग डेट को हाथे चेक	0.00	0.69
कुल प्राप्तियाँ	2570.07	2276.69
विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को अदायगी		
सीएमपीडीआई लिमिटेड	1630.20	1338.29
मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड	11.92	465.64
	<u>1642.12</u>	<u>1803.93</u>
इति शेष	927.95	472.76

31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए तुलन-पत्र की अनुसूची
इंटेजिबल एसेट्स (साफ्टवेयर)

अनुसूची-ग

लाख रुपये में

एमोर्टाइजेशन पीरियड - 3 वर्ष

		लागत			एमोर्टाइजेशन			नेट ब्लॉक		
1.4.2006 के अनुसार अथशेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	इंटेजिबल एसेट्स के डिस्पोजल/ डिस्कॉर्ड के लिए समायोजन	31.3.2007 के अनुसार कुल लागत	1.4.2006 के अनुसार अथशेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	डिस्पोजल/ डिस्कॉर्ड आदि के लिए समायोजन	31.3.2007 कुल एमोर्टाइजेशन	31.3.2007 के अनुसार	31.3.2006 के अनुसार	
सीएमपीडीआई साफ्टवेयर कुल(अ)	97.24	31.96	0.00	129.20	72.79	25.16	0.00	97.95	31.25	24.44
प्री (साफ्टवेयर) कुल (ब्र)	0.00	88.49	0.00	88.49	0.00	35.44	0.00	35.44	53.05	0.00
कुल साफ्टवेयर (अ +ब)	97.24	120.45	0.00	217.69	72.79	60.60	0.00	133.39	84.30	24.44

31 मार्च 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा की अनुसूची सेवाओं की बिक्री		अनुसूची-1
	चालू वर्ष (लाख रुपये में)	गत वर्ष (लाख रुपये में)
गवेषण	7787.14	7064.51
आयोजन एवं अभिकल्पन	7482.24	6723.87
प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	762.73	790.30
कुल बिक्री	16032.11	14578.68

31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा की अनुसूची अन्य उद्देश्य के लिए जारी किया गया कोयला		अनुसूची-2
	चालू वर्ष (लाख रुपये में)	गत वर्ष (लाख रुपये में)
कोल इण्डिया की अन्य अनुसंगी कम्पनियों के लिए लागू		

31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा की अनुसूची भण्डार में बृद्धि/ह्रास		अनुसूची-3
	चालू वर्ष (लाख रुपये में)	गत वर्ष (लाख रुपये में)
कोल इण्डिया की अन्य अनुसंगी कम्पनियों के लिए लागू		

31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा की अनुसूची निजी उद्देश्य के लिए वर्कशॉप कार्य		अनुसूची-4
	चालू वर्ष (लाख रुपये में)	गत वर्ष (लाख रुपये में)
कोल इण्डिया की अन्य अनुसंगी कम्पनियों के लिए लागू		

31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा की अनुसूची
अन्य आय

अनुसूची-5

	चालू वर्ष (लाख रुपये में)	गत वर्ष (लाख रुपये में)
प्राप्त ब्याज :		
कर्मचारियों को दिये गये ऋण पर	39.06	21.82
बैंक जमा पर	4.09	3.50
अन्य	13.92	0.00
बाहरी व्यक्तियों से प्राप्त किराया	14.17	15.05
निविदा शुल्क	5.38	5.49
तरलता क्षति	22.09	8.11
वाहन किराया	0.26	0.40
बट्टे खाते डाला गया अधिक प्रावधान	165.71	320.00
अन्य	19.36	30.00
कुल	284.04	404.37

31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा की अनुसूची
सामानों की खपत

अनुसूची '6'

	चालू वर्ष (लाख रुपये में)	गत वर्ष (लाख रुपये में)
पी. ओ. एल.	337.58	288.06
सामान एवं अतिरिक्त पुर्जे	472.96	416.21
अन्य सामान एवं उपभोग्य	34.72	33.70
कुल	845.26	737.97

31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा की अनुसूची
कर्मचारियों के पारिश्रमिक एवं सुविधाएं

अनुसूची '7'

	चालू वर्ष (लाख रुपये में)	गत वर्ष (लाख रुपये में)
वेतन एवं मजदूरी :	7511.97	7166.11
समयोपरि	122.88	94.30
प्रोत्साहन	318.67	287.37
छुट्टी नकदीकरण	729.16	468.83
अन्य भत्ते	339.83	304.76
भविष्य निधि में अंशदान (परिशिष्ट -1)	1020.47	916.62
उपस्थिति बोनस	261.31	242.13
कृपानुदान		
अ) गैर अधिकारी	175.96	86.95
ब) अधिकारी	58.23	29.18
एलटीसी/एलएलटीसी/आरआरएफ	253.66	180.08
पेंशन		
अ) पूर्व एन.सी.डी.सी. कर्मचारी	0.00	0.00
ब) अन्य	5.97	9.78
ग्रेच्युटी	882.24	606.89
कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	2.04	2.04
डी. एल. आई.	21.18	20.38
जीवन रक्षक योजना	8.40	5.10
स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना	32.78	29.30
	-----	-----
कुल	11744.75	10449.82
घटाकर : सामाजिक उपरि खर्च (अनुसूची -8) में स्थानांतरित	293.03	252.68
शेष	11451.72	10197.14

31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा की अनुसूची
भविष्य निधि में अंशदान

अनुसूची '7'
परिशिष्ट-1

	चालू वर्ष (लाख रुपये में)	गत वर्ष (लाख रुपये में)
कोयला खान भविष्य निधि	944.66	848.51
कोयला खान पारिवारिक भविष्य निधि	75.81	68.11
	0.00	0.00
अन्य भविष्य निधियाँ		
कुल	1020.47	916.62

31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा की अनुसूची
सामाजिक उपरि खर्च

अनुसूची '8'

	चालू वर्ष (लाख रुपये में)	गत वर्ष (लाख रुपये में)
वेतन मजदूरी भत्ते (अनुसूची-7 से)	293.03	252.68
कर्मचारियों को कोयला का मुफ्त वितरण	18.92	17.70
चिकित्सा सुविधाएं		
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	225.12	187.10
दवा एवं अस्पताल खर्च	79.63	95.32
निम्नलिखित को अनुदान		
क) विद्यालय	1.00	0.00
ख) खेल-कूद एवं मनोरंजन	8.58	9.95
कैंटीन देख-भाल	7.79	8.23
मकान किराया	0.00	0.08
बिजली (अनुसूची-9 से)	144.68	151.89
मरम्मत एवं रख-रखाव (अनुसूची -10 से स्थानांतरित)		
क) टाउनशिप	67.23	128.82
ख) अन्य कल्याण भवनों का	60.27	143.71
ग) अन्य (स्कूल बस एम्बुलेंस) का रख-रखाव	26.34	25.72
प्रशिक्षण खर्च		
क) कम्पनी के भीतर	12.96	11.03
ख) कम्पनी के बाहर	0.00	0.00
सामाजिक उपरि परिसम्पतियों पर मूल्यहास (संदर्भ : अनुसूची च/च1)	61.15	60.49
परिवार नियोजन खर्च	0.02	0.24
यूनीफार्म/सिलाई शुल्क	19.28	7.58
अन्य सुविधाएं	67.49	66.00
	-----	-----
उप-योग	1093.49	1167.54
	-----	-----
घटाकर : वसूली		
मकान किराया	8.76	9.00
बिजली	20.64	20.22
स्कूल बस शुल्क	1.82	1.51
	-----	-----
	31.22	30.73
	-----	-----
शेष	1062.27	1136.81
	-----	-----

31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा की अनुसूची
बिजली एवं ईंधन

अनुसूची '9'

	चालू वर्ष (लाख रुपये में)	गत वर्ष (लाख रुपये में)
खरीदे गए	330.13	321.71
	-----	-----
उप-योग	330.13	321.71
	-----	-----
घटाकर :		
सामाजिक उपरि खर्च अनुसूची-8 में स्थानांतरित	144.68	151.89
	-----	-----
कुल	185.45	169.82
	-----	-----

31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा की अनुसूची
मरम्मत

अनुसूची '10'

	चालू वर्ष (लाख रुपये में)	गत वर्ष (लाख रुपये में)
कार्यालय भवन	174.15	100.90
टाउनशिप एवं आवासीय भवन की मरम्मत एवं रख-रखाव	127.50	272.52
संयंत्र एवं मशीनरी	77.27	82.40
कार्यालय उपकरण एवं फर्नीचर	37.26	30.08
वाहन (स्कूल बस/एम्बुलेंस के अलावे)	57.26	57.36
स्कूल बस/एम्बुलेंस की मरम्मत एवं रख-रखाव	26.34	25.72
अन्य	1.52	2.49
उप - योग	501.30	571.47
घटाकर : सामाजिक उपरि खर्च अनुसूची -8 में स्थानांतरित	153.84	298.25
घटाकर : विविध व्यय अनुसूची -12 में स्थानांतरित	40.53	39.95
कुल	306.93	233.27

31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा की अनुसूची
संविदात्मक व्यय

अनुसूची '11'

	चालू वर्ष (लाख रुपये में)	गत वर्ष (लाख रुपये में)
संविदात्मक कार्य	27.10	76.87
वेधन - एम.ई.सी.एल.	95.52	73.91
वेधन - अन्य	103.89	101.22
कोयला परीक्षण	40.26	5.24
सुदूर संवेदन आदि		
कुल	266.77	257.24

31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा की अनुसूची
विविध व्यय

अनुसूची '12'

	चालू वर्ष (लाख रुपये में)	गत वर्ष (लाख रुपये में)
यात्रा	333.45	344.51
देश के अन्दर	27.19	22.71
देश के बाहर	80.99	76.51
छपाई एवं स्टेशनरी	2.60	3.85
डाक-खर्च	45.57	44.77
दूरभाष		
विज्ञापन एवं प्रचार		
1) विज्ञापन :	28.51	21.36
क) निविदा के लिए	0.00	0.87
ख) अन्य के लिए	5.02	8.94
2) प्रचार	0.10	0.14
दुलाई भाड़ा	7.79	8.89
चन्दा	196.06	189.58
सुरक्षा व्यय		
किराया शुल्क	32.89	43.06
क) कम्प्यूटर	112.04	100.30
ख) अन्य		
कार एवं जीप का रख-रखाव :	50.56	55.55
क) पेट्रोल एवं डीजल	40.53	39.95
ख) मरम्मत (अनुसूची-10 से)	18.96	17.34
ग) मार्ग कर	7.60	6.89
घ) बीमा	9.42	10.39
वैधानिक खर्च	22.90	15.42
बैंक शुल्क	121.56	226.41
परामर्श शुल्क (कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कम्पनियों एवं अन्य कार्यों के लिए)		
लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक	1.44	0.93
अंकेक्षक के रूप में	1.54	3.92
यात्रा एवं बाहरी जेब खर्च	0.48	0.31
अन्य क्षमता में - टैक्स ऑडिट एवं अन्य	7.48	5.48
आंतरिक अंकेक्षण व्यय	26.59	26.55
दर एवं कर	26.87	28.34
किराया	1.46	1.20
बीमा	0.25	0.25
भूमि/फसल क्षतिपूर्ति		
अन्य	33.68	26.31
साफ्टवेयर लाइसेंस शुल्क का एमोरटाइजेशन	7.35	7.66
सम्मेलन एवं सेमिनार आदि	51.42	25.58
तम्बू एवं बैरक	23.12	23.12
स्थानांतरण एवं व्यवस्था व्यय	0.03	0.04
मनोरंजन	0.00	3.12
अनुसंधान एवं विकास खर्च	2.40	5.50
बागवानी	0.71	0.00
बैंड डेब्ट रिटेन ऑफ	21.89	13.10
अन्य व्यय	0.25	0.16
विनिमय उतार-चढ़ाव	11.74	0.00
प्रवेश शुल्क	0.00	0.08
सम्पत्ति कर		
कुल	1362.44	1409.09

31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा की अनुसूची
ब्याज

अनुसूची '13'

	चालू वर्ष (लाख रुपये में)	गत वर्ष (लाख रुपये में)
कोल इण्डिया लिमिटेड नियंत्रक कम्पनी	17.80	16.44
सेवा-निवृत्ति पेंशन निधि पर ब्याज	3.54	4.12
अन्य पर ब्याज	7.61	0.02
कुल	28.95	20.58

31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा की अनुसूची
प्रावधान/ बट्टे खाते डालना

अनुसूची '14'

	चालू वर्ष (लाख रुपये में)	गत वर्ष (लाख रुपये में)
क) प्रावधान :		
संदिग्ध ऋण	101.88	106.22
संदिग्ध अग्रिम	24.26	1.49
लुप्तप्राय	0.00	0.00
परिसम्पत्तियों के मूल्य में कमी	0.00	0.00
कुल	126.14	107.71

31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए तुलन-पत्र की अनुसूची
अवधिपूर्व समायोजन

अनुसूची '15'

	चालू वर्ष (लाख रुपये में)		गत वर्ष (लाख रुपये में)	
डेबिट				
कर्मचारियों के पारिश्रमिक एवं लाभ				
(क) वेतन, मजदूरी एवं भत्ते	20.08		10.72	
(ख) जीवन सरक्षक योजना	0.00		0.10	
(ग) कृपानुदान	0.00	20.08	1.68	12.50
मरम्मत		1.61		1.27
दर एवं कर		0.15		7.31
किराया		0.00		0.09
मूल्यहास		3.67		128.50
सामानों/रसायनों की खपत		0.07		3.26
कोल इंडिया को ऋण पर ब्याज		0.00		2.81
आयकर पर ब्याज		37.38		0.00
संविदात्मक भुगतान		2.23		2.01
विद्युत एवं ईंधन डिस्पोजन/डिस्काड पर क्षति		7.40		0.00
विविध व्यय		0.89		0.00
		<u>4.09</u>		10.33
कुल डेबिट		77.57		168.08
क्रेडिट :				
कर्मचारियों के पारिश्रमिक एवं लाभ				
(क) वेतन, मजदूरी एवं भत्ते	21.60		15.24	
(ख) जीवन रक्षा योजना	0.00		0.00	
(ग) कृपानुदान	1.02	22.62	0.00	15.24
निदेशकों के यात्रा भत्ते		0.41		0.28
किराया		0.00		8.50
मरम्मत		0.11		6.18
विविध व्यय		0.11		0.52
अन्य प्राप्तियाँ		0.28		0.00
बिजली एवं ईंधन		0.00		11.72
भण्डारों एवं अतिरिक्त पूरों का उपयोग		2.47		1.49
संविदात्मक भुगतान		3.79		2.49
ब्याज :				
(क) आयकर		0.00		0.00
(ख) अन्य		0.34		0.01
सेवाओं की बिक्री		34.12		11.75
कुल क्रेडिट		64.25		58.18
निबल क्रेडिट (-)/डेबिट (+)		13.32		109.90

अनुसूची-16

वर्ष 2006-2007 के लिए लेखा नीति

1.0 लेखागत परिपाटी

यदि कोई अन्यथा उल्लेख हो तो उसको छोड़कर वित्तीय विवरण चालू संस्थागत अवधारणा, लेखा मानकों तथा सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों एवं व्यवहार के अनुसरण में ऐतिहासिक लागत पर आधारित संभूति आधार पर तैयार किया जाता है।

2.0 लेखे का आधार

2.1 सभी आय एवं व्यय, यदि वे भौतिक हों, लेखे के स्वभाविक शीर्ष के अन्तर्गत रखे जाते हैं और बाद में जहाँ आवश्यक होता है, इसे कार्यकारी शीर्ष के अन्तर्गत स्थानांतरित कर दिया जाता है।

3.0 सरकार से आर्थिक सहायता/अनुदान

3.1 पूंजीगत लेखे पर आर्थिक सहायता/अनुदान को उस संबंधित परिसंपत्ति की लागत से काट लिया जाता है जिससे वे संबंधित हैं। वर्ष के अंत में अप्रयुक्त रकम, यदि कोई हो, को चालू देयता के रूप में दिखाया गया है।

3.2 राजस्व लेखे पर आर्थिक सहायता/अनुदान को अन्य प्राप्तियाँ शीर्ष के तहत लाभ एवं हानि लेखा में क्रेडिट किया गया है तथा व्यय को संबंधित शीर्ष के तहत डेबिट किया गया है।

3.3 कार्यान्वयक एजेंसी के रूप में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पीआरई, ईएमएस सी, सीसीडीए आदि के तहत प्राप्त तथा परिसंपत्तियों के सृजन के लिए प्रयुक्त आर्थिक सहायता/अनुदान को पूंजीगत भंडार के रूप में माना जाता है तथा इस पर मूल्य हास को पूंजीगत भंडार लेखे में डेबिट किया गया है। अनुदान के जरिए सृजित परिसंपत्ती का स्वामित्व उस प्राधिकारी के पास रहता है, जिससे अनुदान प्राप्त किया गया है।

3.4 नोडल/कार्यान्वयक एजेंसी के रूप में सीधे अथवा कोल इंडिया के माध्यम से प्राप्त अनुदान/फंड, प्राप्ति एवं अदायगी के आधार पर लेखे में ले लिया जाता है/गणना की जाती है।

4. अचल संपत्तियाँ :

4.1 भूमि में अधीग्रहण की लागत सहित उस पर किए गये आनुषांगिक खर्च शामिल है।

4.2 भवन :

भवन में लिफ्ट, इलेक्ट्रीकल्स फीटिंग्स, जलापूर्ति व्यवस्था तथा सेनेटरी फीटिंग्स आदि की लागत शामिल है जो निर्माण ठेके का एक अंग था तथा इसे पृथक नहीं किया जा सका। पार्टिशन एवं रूपांतरण तथा टाउनशीप में क्षेत्र विकास जैसे कार्यों पर किए गये खर्च को मरम्मत एवं रख-रखाव (अनुरक्षण) खर्च के रूप में राजस्व खर्च में डाल दिया जाता है।

4.3 संयंत्र एवं मशीनरी :

4.3.1 संयंत्र एवं मशीनरी में इसके निर्माण/संस्थापन तथा उनके अभीष्ट इस्तेमाल के लिए ठीक ढंग से काम करने हेतु किए गये अन्य खर्च शामिल हैं। मशीन के साथ आपूर्त विमित पूजों को मशीन के साथ पूंजीकृत किया जाता है।

4.3.2 साफ्टवेयर को तीन वर्ष में परिशोधित किया जाता है।

5. निवेश

दीर्घकालीन निवेश, यदि कोई हो, तो उसे लागत पर आँका जाता है।

6. वस्तु-सूची

- 6.1 सेन्ट्रल ड्रिलिंग स्टोर (सीडीएस), बड़काकाना स्थित समानों का स्टॉक तथा पाट-पुर्जों को भारत औसत लागत प्रणाली के आधार पर गणना की गई लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। ड्रिलिंग कैम्पों/कार्य स्थलों को निर्गत भण्डार को प्रभार रहित (चार्ज्ड ऑफ) किया जाता है। ड्रिलिंग कैम्पों/कार्य स्थलों /उप-भंडारों पर पड़े स्टोरों तथा पार्ट- पुर्जों की वस्तु-सूची, जिसे प्रारंभिक तौर पर प्रभार रहित कर दिया गया था – को निर्गत मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है। उपभोग लायक सामानों को क्रय मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है।
- 6.2 समानों एवं अतिरिक्त पुर्जों में खुले औजार भी शामिल हैं ।
- 6.3 अप्रयोज्य, क्षतिग्रस्त तथा अनुपयोगी स्टोरों के लिए 100 प्रतिशत की दर पर तथा बीमित मदों को छोड़कर जिन अतिरिक्त पुर्जों को 5 वर्षों से संचालित नहीं किया गया है, के लिए 50 प्रतिशत की दर से प्रावधान किया गया है।
- 6.4 लेखन सामग्री तथा दवा के भंडार को वस्तु सूची के लिए विचार नहीं किया जाता है।

7.0 मूल्य ह्रास

- 7.1 कुछ विशिष्ट मामलों को छोड़कर, अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान कम्पनी अधिनियम 1956 (यथा संशोधित) की अनुसूची XVI में उल्लेखित दर पर सरल रेखा प्रणाली (एसएलएम) पर किया जाता है। विवेच्य वर्ष के दौरान बढ़ाई /निपटान की गई परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास वृद्धि/निपटान के माह के संबंध में यथा आनुपातिक आधार पर उपलब्ध कराया जाता है।
 - 7.2 पट्टेधारी जमीन का मूल्य पट्टे की अवधि के अंतर्गत परिशोधित किया जाता है।
 - 7.3 वैसी परिसम्पत्तियों, जिनका वास्तविक मूल्य 5000/- रु०. से अधिक नहीं है, का मूल्यह्रास इस तरह की प्रत्येक परिसम्पत्तियों के लिए 1 रुपया टोकन मूल्य छोड़कर 100 प्रतिशत पर किया जाता है।
- 8. कोल इंडिया लिमिटेड (नियंत्रक कंपनी) के पास बकाया :**
समय-समय पर इक्वीटी के परिवर्तन के लिए समायोजन के बाद ऋण या इसके विपरीत के कारण कोल इंडिया लि० के पास बकाया रकम को अप्रतिभूत ऋण के रूप में दर्शाया गया है। चालू खाते में राजस्व की प्रकृति की लेन-देन के लिए बकाया /प्राप्ति योग्य रकम को चालू देयताएं /चालू परिसंपत्ति दिखाया जाता है।

9. नियंत्रक कम्पनी को ब्याज

- सी आई एल यानि कोल इंडिया लिमिटेड (नियंत्रक कम्पनी) के लिए ऋण पर ब्याज की गणना उनके द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार की जाती है।
10. **सेवा-निवृत्ति पर कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभ :**
 - 10.1 सेवा-निवृत्ति पर कर्मचारियों को दिए जाने वाले उपदान (ग्रेच्युटी) तथा छुट्टी नकदीकरण लाभ के कारण देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित एवं उपलब्ध कराया जाता है।
 - 10.2 भविष्य निधि तथा सेवा-निवृत्ति पेंशन योजना की देयताओं की गणना वास्तविक आधार पर की जाती है तथा उचित मामले में इसे प्राधिकारियों के पास स्थानांतरित किया जाता है।
 11. **राजस्व की पहचान :**
 - 11.1 नीचे 11.4 के मद में शामिल मामलों को छोड़ कर आयोजना एवं डिजाइन तथा गवेषण के लिए कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों को दी गयी सेवाओं का बिल लागत योग के आधार पर तैयार किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए लागत की इकाई इस प्रकार है :
 1. गवेषण सेवाओं के लिए ----- ड्रिलिंग मिटरैज

2. आयोजन एवं डिजाइन सेवाओं के लिए ----- अभियंत्रण दिवस
- 11.2 अंकेक्षण समिति/निदेशक मंडल के समक्ष लेखे को पेश किए जाने के बाद यदि विवेच्य वर्ष के लिए व्यय/आय का 0.2 प्रतिशत तक भूलचूक, का पता लगता है तो विवेच्य वर्ष के लिए इसके प्रभाव की गणना बिक्री दर को संशोधित किए बिना की जाएगी।
- 11.3 विवेच्य वर्ष के दौरान कोल इंडिया लि० की सहायक कंपनियों पर बिलिंग बजट दर पर किया जाता है। विभेदक (डिफरेंशियल) रकम का अंतिम बिल लेखे को अंतिम रूप दिये जाने पर उसी वर्ष के लिए रेज किया जाता है।
- 11.4 अन्य विविध कार्यों का बिल लागत /लागत योग या आपसी सहमति के दर, जैसी स्थिति हो, पर तैयार किया जाता है।
- 11.5 लेखे में दर्शायी गयी बिक्री में सेवाकर शामिल नहीं है।
- 11.6 कोल इंडिया लि० से बाहर की पार्टियों के मामले में राजस्व की पहचान किए गये कार्य की प्रतिशतता या वसूली योग्य रकम, जो भी कम हो, के आधार पर अनुपातिक संविदा मूल्य पर की जाती है।
- 11.7 निरीक्षण शुल्क की गणना रिसिट के आधार पर की जाती है।
- 12.0 **विदेशी मुद्रा में विनिमय :**
- 12.1 विवेच्य वर्ष के दौरान, विदेशी मुद्रा में किए गए खर्च को प्रचलित दर पर परिवर्तित/रूपान्तरित कर दिया जाता है तथा बिक्री को बिल तैयार करने के समय प्रचलित दर पर दर्ज (बुक) कर दिया जाता है। विवेच्य वर्ष के अन्त में बकाये मद को दरों में परिवर्तित कर दिया जाता है।
- 12.2 विदेशी मुद्रा में चालू परिसम्पत्तियों तथा देयताओं को वर्षान्त के विनिमय दर पर बदल / स्थानांतरित कर दिया जाता है तथा इस बदलाव/ स्थानांतरण के कारण लाभ/हानि, यदि कोई हो, की पहचान विवेच्य वर्ष में की जाती है।
- 13.0 **लेखा नीति में परिवर्तन :**
- लेखा नीति में किसी प्रकार का ऐसा परिवर्तन, जिससे चालू वर्ष के वित्तीय विवरण पर भौतिक प्रभाव पड़ता हो, को लेखे पर टिप्पणी (अनूसूची - 17) में दिखाया जाता है।

अनुसूची – 17

वर्ष 2006–2007 के लेखे पर टिप्पणियाँ

1.0 अचल परिसम्पत्तियाँ एवं मूल्य ह्रास :

1.1 अचल परिसम्पत्तियाँ

- 1.1.1 1.11.75 को कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) का पुनर्गठन होने पर नियंत्रक कम्पनी से प्राप्त परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का कानूनी हस्तांतरण होना अभी बाकी है।
- 1.1.2 तत्कालीन एन.सी.डी.सी./कोल बोर्ड से कुछ परिसम्पत्तियाँ अधिग्रहित की गई हैं, जिसका मूल्य नहीं जोड़ा जा सका। तत्कालीन एन.सी.डी.सी./कोल बोर्ड से प्राप्त पुरानी परिसम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त 4.80 लाख रुपये की रकम अधिग्रहण मूल्य के साथ नहीं जोड़ी जा सकी। समायोजन तक उक्त रकम तथा परिसम्पत्तियों की बिक्री को उच्चतम खाते में दर्ज कर दिया गया है।
- 1.1.3 कम्पनी ने बी.सी.सी.एल., टाउनशिप धनबाद (444.31 लाख रुपये); एन.सी.एल., टाउनशिप सिंगरौली (391.83 लाख रुपये) तथा सी.सी.एल. रजरप्पा (214.44 लाख रुपये) में वैसी जमीन पर मकान एवं कार्यालय बनवाए हैं, जो नियंत्रक कम्पनी कोल इंडिया लिमिटेड की अन्य अनुषंगी कम्पनियों के हैं।
- 1.1.4 लेखा मानक 28 के अनुपालन में परिसंत्तियों की क्षति की जांच कर ली गयी है तथा आकलित भावी नकद प्रवाह (बजटीय आकलन) के आधार पर उपयोग में लाये जा रहे प्राक्कलित मूल्य एवं कोल इंडिया के दिशा-निर्देशों के अनुसार 7 प्रतिशत की छूट दर का आकलन कर लिया गया है तथा यह पाया गया है कि कोई क्षति/हानि नहीं हुई है।
- 1.1.5 वर्तमान में अप्रयुक्त रजरप्पा स्थित सीपीटीआई भवन को भविष्य में लाभकारी उपयोग में लाये जाने की संभावना है।

1.2 मूल्य-ह्रास :

- 1.2.1 विशेष दर :
- 1.2.2 भूविज्ञान संग्राहलय – 5.15 प्रतिशत
- 1.2.3 वेधन-स्थल पर स्थित सभी संयंत्र एवं उपकरण, प्रयोगशाला में विश्लेषण कार्य में उपयोग में लाये गये स्कैनर उपकरण तथा औजार एवं सभी तरह के मॉडल के फोटोकॉपियर – 11.31 प्रतिशत
- 1.2.4 बड़े आकार के सैम्पलर तथा रेसिपिरैटॉरी डस्ट
- | | |
|-----------------|---------------|
| सेमप्लर्स ————— | 33.33 प्रतिशत |
| दूरसंचार ————— | 15.83 प्रतिशत |
- 1.2.5 पट्टे वाली भूमि तथा कोल इंडिया लि. की अन्य अनुषंगी कंपनियों की जमीन पर बने भवन : पूर्ण स्वामित्व/माफीनामी वाली जमीन पर बने भवन के लिए लागू दर पर ।

2. सामानों एवं अतिरिक्त पुर्जों का भंडार

- 2.1 मशीन विशिष्ट के पुर्जों को मशीन के साथ पूजीकृत किया जाता है। न तो कोई पुर्जा मशीन विशेष का है और न ही अनियमित उपयोग वाले जिन्हें ए एस 10 के साथ पठित लेखा मानक (एएस) 2 के रूप में पूजीकृत किया जाए।
- 2.2 अचल मद भंडार से निर्गम होने के कारण अचल मदों के लिए प्रावधान 40.16 लाख रुपये से 0.18 लाख रुपये बढ़ा कर 40.34 लाख रुपये कर दिया गया है।

3. ऋण एवं अग्रिम/देनदार

- 3.1 **कोल इंडिया (सीआईएल) की सहायक कंपनियों के पास चालू लेखा एवं फुटकर देनदार :**
कोल इंडिया लिमिटेड की अन्य अनुषंगियों के साथ चालू खातों में अंतर-कंपनी लेन-देन का सामंजस्य 31.3.07 तक किया जा चुका है। 31.3.07 तक कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों के पास समस्त चालू लेखा जमा अप्रैल, 07 में कोल इंडिया को स्थानांतरित कर दी गई है — तदुपरांत अंकेक्षण के दौरान अथवा अन्यथा पाये/जमा, यदि कोई हो, तो 31.3.07 तक की अवधि के संबंध में अनुषंगी कंपनियों से/को प्राप्त / भेजी गई क्रेडिट/डेबिट को सहायक कंपनियों के उच्चतम खाते में प्रभारित कर दिया जाता है।
- 3.1.2 कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों के पास बकाया राशि 10275.85 लाख रुपये फुटकर देनदार में शामिल है। कोल इंडिया लिमिटेड के साथ लेखे के समायोजन के लिए 1.4.93 से कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों द्वारा बिलों को स्वीकार करने की पद्धति लागू की गई। 1.4.1993 तक की शेष राशि कुल 69.11 लाख रुपये सामंजस्य के अंतर्गत है। बिल की स्वीकृति का मॉनीटर नियमित ढंग से किया जा रहा है। कुछ विशिष्ट मामलों को छोड़कर, एक ही प्रबंधन के अधीन कंपनियों के पास बकाया के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है।
- 3.1.3 बकाए की सम्पुष्टि प्राप्त करने के लिए कोल इंडिया की सहायक कंपनियों सहित अन्य देनदारों को पत्र निर्गत किए गए हैं जिसके जवाब की प्रतीक्षा है। 31.3.07 के अनुसार फुटकर देनदार, विभिन्न ऋण एवं अग्रिमों, जमा इत्यादि शेष (बैंलेंसों) की संपुष्टि प्राप्त नहीं की गयी है।

3.2 अन्य

- 3.2.1 1122.24 लाख रुपये के आयकर अग्रिम में मूल्यांकन वर्ष 2004-05 तक के लिए 162.47 लाख रुपये का फ्रिंज बेनीफिट टैक्स तथा कर निर्धारण के एवज में प्रतिवाद के तहत अदायगी शामिल है। 1105.36 लाख रुपये के आयकर प्रावधान में मूल्यांकन वर्ष 2007-2008 से संबंधित मूल्यांकन के लिए प्रावधान शामिल है।

4.0 चालू देयताएं एवं प्रावधान :

4.1 कोल इंडिया तथा इनके कार्यालयों के पास चालू लेखा

- 4.1.1 कोल इंडिया लि0 तथा इसके कार्यालय के पास चालू लेखा तथा सीआईएल ऋण लेखा का सामंजस्य नियमित रूप से किया जा रहा है लेकिन यह जानकारी नहीं है कि विवेच्य वर्ष में कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा सामंजस्य विवरण में दर्शाये गये सभी मदों को परिकलित किया गया है या नहीं। 31.3.2007 तक ऋण लेखा तथा चालू लेखा शेषों का सामंजस्य किया जा चुका है।

4.2 कोयला खान पेंशन योजना के अन्तर्गत देयताएं :

- 4.2.1 चालू देयताओं में 38.37 लाख रुपये की कटौती शामिल है जिसे मार्च, 2007 में भेजी नहीं जा सकी, क्योंकि कुछ कर्मचारी गैर-सीएमपीएफ तथा मृत सीएमपीएफ सदस्य हैं, जिन्होंने कटौती के लिए तथा पेंशन के लिए अब तक विकल्प नहीं दिया था। लेकिन अप्रैल, 2007 में इसे भेज दिया गया।
- 4.2.2 1.7.1995 से कंपनी द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त वेतन वृद्धि के लिए 24.61 लाख रुपये की भी देयता है।
- 4.2.3 देयताओं की उपरोक्त रकम में सीएमपीएफ के लिए लागू दर पर व्याज भी शामिल है।
- 4.2.4 इन देयताओं के मुकाबले बैंक के सावधि जमा खाते में 54.28 लाख रुपये हैं।

4.3 अन्य

- 4.3.1 विवेच्य वर्ष के दौरान संविदात्मक ड्रिलिंग का प्रावधान ड्रिल किए गये मिटररेज के मूल्य के 100प्रतिशत में से इस ड्रिलिंग के लिए किए गये भुगतान को घटाकर किया गया है।
- 4.3.2 एनसीडब्ल्यूए-VII के तहत 01.07.2001 से 30.6.2005 तक मजदूरी/वेतन पुनरीक्षण के कारण गैर- अधिकारियों को देय बकाया वेतन के संबंध में 367.00 लाख रुपये(गत वर्ष 2530.81 लाख रुपये) के लिए गये प्रावधान को वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान के तहत कर्मचारियों के पारिश्रमिक एवं लाभ में शामिल किया गया है।
- 4.3.3 वर्ष के लिए ग्रेच्यूटी का बीमांकिक (एक्युअरी) की अनुशंसा के अनुसार वास्तविक रूप से उपार्जित ग्रेच्यूटी को मिलाकर वृद्धियोन्मुखी देयता पर विचार किया गया है।
- 4.3.4 फुटकर देनदार में लघु उद्योग उपक्रमों के पास बकाया राशि शामिल है। उन उपक्रमों के नाम निम्नलिखित हैं, जहां ऐसा बकाया 1.00 लाख रुपये से अधिक हो गया है तथा 30 दिनों से अधिक के लिए बकाया है :

	(लाख रुपये में)	
	चालू वर्ष	गत वर्ष
(1) मेसर्स श्रीनाथ इंजीनियरिंग कंपनी	—	5.29
(2) मेसर्स डाइमेट इंटरप्राजेज (इंडिया) प्रा0 लि0	—	7.37
(3) मेसर्स सर्राफ रबर इंडस्ट्रीज	—	3.54
(4) मेसर्स भारत वायर रोप्स	—	2.95

लघु उद्योग उपक्रम से संबंधित जानकारी सुनिश्चित की गई है। ऐसी पार्टियों की पहचान कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर की गई है। अंकक्षकों ने इस पर विश्वास जताया है।

- 4.3.5 सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम- 2006, जो 2 अक्टूबर, 2006 से लागू हुआ है, के तहत सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम से संबंधित कुछ स्पष्टीकरण (डिसक्लोजर) अपेक्षित है। यह कंपनी अपने आपूर्तिकर्ताओं से इस अधिनियम के तहत उनके कवरेज के बारे में सम्बद्ध सूचनाएँ संकलित कर रही है। चूँकि संबद्ध सूचनाएँ तत्काल उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए लेखे में इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

5. चोरी एवं छिनतई के मामले :

विवेच्य वर्ष के दौरान 1.73 लाख रुपये (गत वर्ष 2.59 लाख रुपये) मूल्य के सामानों की चोरी के मामले की रिपोर्ट कराई गई है। चोरी के लिए प्रतिवेदित अधिकांश मद प्रभार रहित है तथा ऐसे नुकसान के लिए लेखे में प्रावधान नहीं किया गया है।

6. निदेशकों का पारिश्रमिक :

	(लाख रुपये)	
	चालू वर्ष 2005-2006	गत वर्ष 2004-2005
1. एल.टी.सी/छुट्टी नकदीकरण — सहित वेतन एवं भत्ते	30.54	21.07
2. भविष्य निधि	3.56	2.20
3. चिकित्सा व्यय	0.58	1.47
4. पूर्वापेक्षा (प्रीक्यूजिट) का मूल्य	0.00	0.04
5. प्रदत्त उपदान	4.19	7.00

7 विदेशी मुद्रा में आय, खर्च आदि :

7.1 विदेशी मुद्रा में खर्च

	लाख रुपये में	
	चालू वर्ष 2006-2007	गत वर्ष 2005-2006
1) विदेशी प्रशिक्षण/ दौरा, पुस्तके एवं अन्य	11.51	11.93
2) परामर्श शुल्क	0.00	0.00
कुल	11.51	11.93

7.2 सी.आई.एफ. के आधार पर परिकलित आयात मूल्य

	लाख रुपये में	
	चालू वर्ष 2006-2007	गत वर्ष 2005-2006
1) पूँजीगत सामान	15.67	202.11
2) अतिरिक्त पुर्जे एवं संघटक	5.28	0.00
कुल	20.95	202.11

7.3 विदेशी मुद्रा में आय :

	लाख रुपये में	
	चालू वर्ष 2006-2007	गत वर्ष 2005-2006
व्यावसायिक शुल्क	0.00	15.48

7.4 उपयोग में लाये गये आयातित एवं देशी सामानों तथा अतिरिक्त पूजों का मूल्य और कुल खपत में उनका प्रतिशत

	लाख रुपये में			
	चालू वर्ष 2006-2007		गत वर्ष 2005-2006	
	मूल्य	प्रतिशत	मूल्य	प्रतिशत
1) आयातित	0.68	0.08	0.06	0.01
2) देशी	844.58	99.92	737.91	99.99
कुल	845.26	100.00	737.97	100.00

8. राज्य सरकार को सुपुर्द कार्यालय भवन (भाग)

रॉची स्थित कार्यालय भवन का एक भाग 4.12.2000 से झारखण्ड सरकार द्वारा अधिकार में लिया गया है। 31.3.2007 के अनुसार प्राप्ति योग्य किराये का दावा 20.75 लाख रू0 गत वर्ष 16.17 लाख रुपये है।

9. आकस्मिक देयता

9.1 कम्पनी के विरुद्ध दावे को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया।

9.1.1 आयकर के मामले

अपील में लंबित संपूरित कर निर्धारण के संबंध में 280.61 लाख रुपये (गत वर्ष 234.45 लाख रुपये)

9.1.2 सेवा कर के मामले

अपील में लंबित संपूरित कर निर्धारण के संबंध में 40.24 लाख रुपये (गत वर्ष 40.24 लाख रुपये)

9.1.3 न्यायालय में लंबित अन्य विवादास्पद मामले, जिसका प्रावधान नहीं किया गया है, की राशि 788.87 लाख रुपये (गत वर्ष 695.94 लाख रुपये)

9.1.4 विविच्य वर्ष के दौरान 95.08 लाख रुपये (गत वर्ष 5.73 लाख रुपये) के एलसी खोले गये।

9.2 अन्य मामले

9.2.1 औद्योगिक तथा अन्य विवादों के कारण कुछ मुकदमें न्यायालय में लंबित हैं। इस संबंध में आकस्मिक देयता की मात्रा सुनिश्चित नहीं की जा सकी है।

9.2.2 कम्पनी की ओर से बैंक गारन्टी जारी करने के लिए बैंक के पक्ष में कम्पनी द्वारा 16.70 लाख रुपये (गत वर्ष 28.32 लाख रुपये) की प्रति-गारंटी निर्गत की गयी है।

10. पूँजीगत प्रतिबद्धता

ठेके की प्राक्कलित राशि जिन्हें पूँजीगत लेखे में कार्यान्वित की जानी है और 382.04 लाख रुपये की राशि के लिए प्रावधान नहीं किया गया है (विगत वर्ष 94.98 लाख रुपये)।

11.0 आस्थगित कर

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आय पर कर के लिए लेखे की गणना पर एकाउन्टिंग स्टैंडर्ड (ए.एस-22) के अनुसार, 31.3.2007 तक आस्थगित कर परिसम्पत्तियों और देयताओं के लिए प्रावधान क्रमशः 2163.55 लाख रुपये और 597.42 लाख रुपये परिकलित की गई है। 31.3.2007 के अनुसार निबल आस्थगित कर में निम्नलिखित शामिल है :

(लाख रुपये में)

अ. आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ

	2006-07	2005-06
वीआरएस	29.65	30.25
अप्रयुक्त / अचल के लिए प्रावधान	30.18	30.12
संदेहपूर्ण ऋण के लिए प्रावधान	87.04	52.76
छुट्टी नकदीकरण, ग्रेच्यूटि, वीआरएस के लिए प्रावधान	2016.68	1650.27
कुल (अ)	2163.55	1763.40

ब. आस्थगित कर देयता

परिसम्पतियों के डब्ल्यूडीवी में अन्तर	596.34	620.96
साफ्टवेयर के डब्ल्यूडीवी में अंतर	<u>1.08</u>	<u>0.82</u>
कुल (ब)	597.42	621.78
स. आस्थगित कर परिसम्पति (निबल) के लिए प्रावधान	1566.13	1141.62

12.0 वापसी (राइट बैक)

- 12.1 वित्तीय वर्ष के अंत में तीन वर्षों से अधिक की पुराने स्टेल चेक को, कुछ मामलों को छोड़कर वापस लाया गया है।
- 12.2 न्यायालय के मामलों सहित कुछ मामलों को छोड़कर वित्तीय वर्ष के अंत में अग्रधन और सुरक्षा जमा, जो पांच वर्ष से ज्यादा के पुराने हैं, को वापस लाया गया है

13.0 प्राइवेट कम्पनी

यह कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के रूप में निगमित की गई और अधिसूचना संख्या जीएसआर 1234 दिनांक 30 दिसम्बर, 1958 के द्वारा प्राइवेट शब्द को हटा दिया गया।

14.0 गत वर्ष के आंकड़े

जहाँ कहीं भी आवश्यक हुआ है, चालू वर्षों के साथ उसकी तुलना करने के लिए विगत वर्ष के आँकड़े पुनर्व्यवस्थित/पुनर्वर्गीकृत/समूहित किये गये हैं।

तुलन-पत्र के लिए अनुसूची "क" से "ण" लाभ तथा हानि लेखा के लिए अनुसूची 1 से 15 तथा लेखा नीति एवं लेखे पर टिप्पणी के लिए अनुसूची 16 एवं 17 तक के लिए हस्ताक्षरित :

उदयन चक्रवर्ती
कम्पनी सचिव

पी.के.साहा
विभागाध्यक्ष (वित्त)

एस.आर.घोष
निदेशक

एस.चौधुरी
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

उस तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संबंध में

वास्ते यूनारायण एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट

स्थान : राँची
दिनांक : 2 जुलाई, 2007

अवधेश कुमार पाण्डेय
(पार्टनर)

**31 मार्च 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
लाभ एवं हानि लेखे के परिशिष्ट के रूप में खण्ड-वार लाभ/हानि**

लाख रूपये में

क्रम सं०	विवरण	पी.एण्ड डी.	गवेषण	पर्यावरण	सामान्य	कुल
	<u>खण्डवार आय :</u>					0
1	खण्डवार सेवाओं की बिक्री	7482.23	7787.14	762.73		16032.10
						0.00
2	खण्डवार विविध आय	257.08	25.02	1.93		284.03
						0.00
3	खण्डवार कुल आय (1+2)	7739.31	7812.16	764.66	0.00	16316.13
	<u>खण्डवार व्यय :</u>					
4	पारिश्रमिक एवं मजदूरी	4326.76	4170.70	415.01	2539.25	11451.72
5	अन्य व्यय	1255.60	1889.72	158.24	944.45	4248.01
6	कुल व्यय (मूल्य ह्रास सहित लेकिन ब्याज, पी. पी.समायोजन और प्रावधान को छोड़कर) (4+5)	5582.36	6060.42	573.25	3483.70	15699.73
						0.00
7	सामान्य लागत शेयर	1673.85	1648.83	161.02	-3483.70	0.00
						0.00
8	सामान्य लागत शेयर सहित कुल व्यय (6+7)	7256.21	7709.25	734.27	0.00	15699.73
						0.00
9	ब्याज, पी.पी.समायोजन एवं कर से पूर्व खण्डवार लाभ (+)/हानि (-) (3-8)	483.10	102.91	30.39	0.00	616.40
						0.00
10	ब्याज	20.56	7.68	0.71	0.00	28.95
						0.00
11	पी.पी.समायोजन क्रेडिट (-)/डेबिट (+)	21.18	-8.57	0.71	0.00	13.32
12	कर एवं प्रावधान के पूर्व खण्डवार लाभ (+)/हानि (-) (9-10-11)	441.36	103.80	28.97		574.13
						0.00
13	प्रावधान					126.14
	डूबंत ऋण (बैंड डेव्ट)					0.71
14	कर पूर्व निबल लाभ (+)/हानि (-) (12-13)					447.28
15	कराधान के लिए प्रावधान					542.20
16	काराधान के लिए प्रावधान (फ्रिंज बेनिफिट)					71.00
17	आस्थगित कर के लिए प्रावधान					-424.51
18	कर के पश्चात् निबल लाभ (+)/हानि (-) (14-15-16-17)					258.59

**31 मार्च 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
कैश फ्लो स्टेटमेंट (विवरण)**

विवरण	लाख रूपये में	
	2006-07	2005-06
परिचालन क्रिया कलापों से कैश फ्लो		
कर के पहले निबल लाभ तथा असाधारण मद	460.60	504.42
पूर्व अवधि समायोजन (डिआर)	- 13.32	109.90
पूर्व अवधि समायोजन (सीआर)	+ 0.00	0.00
संपत्ति कर प्रावधान	+ 0.00	0.08
विविध व्यय में वृद्धि जो बट्टे खाते में नहीं डाला गया	- 0.00	0.00
विविध व्यय में कमी जो बट्टे खाते में नहीं डाला गया	+ 0.00	0.00
समायोजित निबल लाभ	447.28	394.60
निम्नलिखित के लिए समायोजन :-		
मूल्य ह्रास	+ 442.86	540.94
परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ	- 0.00	0.00
परिसंपत्तियों की बिक्री से हानि	+ 0.89	0.00
अप्रत्यक्ष(इनटेनिजेबुल)परिसंपत्तियों का परिशोधन	+ 60.60	22.58
विदेशी विनिमय फलक्शन लाभ	- 0.00	0.00
विदेशी विनिमय फलक्शन हानि	+ 0.25	0.16
ब्याज से आय	- 57.07	25.32
ब्याज व्यय	+ 28.95	20.58
कार्यशील पूँजी में परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ	923.76	953.54
फुटकर देनदार में वृद्धि	- 1100.63	0.00
फुटकर देनदार में कमी	+ 0.00	403.34
ऋण एवं अग्रिम में वृद्धि	- 3757.56	0.00
(आयकर एवं सम्पत्ति कर को छोड़कर)		
ऋण एवं अग्रिम में कमी	+ 0.00	28.93
(आयकर एवं सम्पत्ति कर को छोड़कर)	- 5.67	0.00
अन्य चालू परिसम्पत्तियों में वृद्धि	+ 0.00	74.75
अन्य चालू परिसम्पत्तियों में कमी	- 104.52	0.00
वस्तु-सूची में वृद्धि	+ 0.00	4.32
वस्तु-सूची में कमी	+ 4777.77	173.84
फुटकर लेनदार में वृद्धि		
(आयकर एवं सम्पत्ति कर सहित वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान)		
फुटकर लेनदार में कमी	- 0.00	0.00
(आयकर एवं सम्पत्ति कर सहित वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान)		
परिचालन क्रिया-कलापों से उत्पन्न कैश	733.15	1638.72
जारी		

31 मार्च 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट (विवरण)

लाख रूपये में

	2006-07	2005-06
परिचालन क्रिया—कलापों से उत्पन्न कैश	733.15	1638.72
चुकता आयकर	- 575.20	538.68
चुकता सम्पत्ति कर	- 0.03	0.08
असाधारण मद के पहले नकद प्रवाह कैश फ्लो	157.92	1099.96
भूकम्प आपदा निपटारा से प्राप्ति		
परिचालन क्रिया—कलापों से निबल कैश	157.92	1099.96
निवेशी क्रिया—कलापों से कैश फ्लो (नकद प्रवाह)		
अचल परिसंपत्तियों की खरीद (डब्ल्यूआईपी सहित)	- 500.25	623.30
उपकरणों की बिक्री से प्राप्ति	+ 1.50	0.00
प्राप्त ब्याज	+ 57.07	25.32
निवेशी क्रिया—कलापों से निबल कैश	-441.68	-597.98
वित्त क्रिया—कलापों से कैश फ्लो (नकद प्रवाह)		
दीर्घ कालीन उधारी से प्राप्त	+ 1.36	2.79
दीर्घ कालीन उधारी में कमी	- 0.00	0.00
सरकारी अनुदान	+ 10.32	-36.58
विदेशी विनिमय फ्लक्शन लाभ	+ 0.00	0.00
विदेशी विनिमय फ्लक्शन हानि	- 0.25	0.16
चुकता ब्याज	- 28.95	20.58
चुकता लाभांश	-	
वित्त क्रिया—कलापों से निबल कैश	-17.52	-54.53
कैश वित्तीय एवं समतुल्य कैश में निबल वृद्धि/कमी	-301.28	447.45
वृद्धि : अवधि की शुरुआत में कैश एवं समतुल्य कैश	2888.02	2440.57
अवधि के अंत पर कैश एवं समतुल्य कैश	2586.74	2888.02

कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची VI भाग IV के द्वारा यथा वांछित सूचनाएं

तुलन-पत्र का सार और कम्पनी का सामान्य व्यापार प्रोफाइल
03 झारखण्ड (राज्य कोड)

I. पंजीयन विवरण

पंजीयन संख्या

0 0 1 2 2 3

राज्य कोड

0 3

तुलन - पत्र
तिथि

3 1

दिनांक

0 3

महीना

2 0 0 7

वर्ष

II. विवेच्य वर्ष में उगाही गई पूँजी (राशि हजार रुपये में)

पब्लिक इश्यू

शू ं य

राइट इश्यू

शू ं य

बोनस इश्यू

शू ं य

निजी स्थापन

शू ं य

III. निधियों का संग्रहण एवं विस्तार की स्थिति

(राशि हजार रुपये में)

कुल देयताएं

6 4 7 8 2 0

कुल परिसंपत्तियां

6 4 7 8 2 0

निधि के स्रोत

प्रदत्त पूँजी

1 9 0 4 0 0

आरक्षित एवं अधिशेष

4 3 9 5 8 3

प्रतिभूत ऋण

शू ं य

अप्रतिभूत ऋण

1 7 8 3 7

निधि के उपयोग

निबल अचल परिसंपत्तियाँ

5 9 8 2 6 8

निवेश

शू ं य

निबल चालू परिसंपत्तियाँ

(-) 1 1 5 4 9 1

विविध व्यय

शू ं य

संचित हानि

शू ं य

आस्थगित कर

1 5 6 6 1 3

इंटेन्जिबुल एसेट्स

8 4 3 0

IV. कम्पनी का कार्य निष्पादन (हजार रुपये में)

टर्न ओवर						
1	6	0	3	2	1	1

कुल व्यय						
1	5	5	8	4	8	3

+ / -		कर के पूर्व लाभ / हानि					
+			4	4	7	2	8

+ / -		कर के बाद लाभ/हानि					
+			1	6	5	9	2

(लाभ के लिए +, हानि के लिए -)

प्रति शेयर उपार्जन (रुपये में)					
			शू	=	य

लाभांश	
एन	ए

V. कम्पनी के तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं के सामान्य नाम
(वित्तीय शर्तों के अनुसार)

मद कोड संख्या (आईटीसी कोड)	उ	प	ल	ब्ध	न	हीं						
-------------------------------	---	---	---	-----	---	-----	--	--	--	--	--	--

उत्पाद विवरण	माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन
-----------------	---------------------------

मद कोड संख्या (आईटीसी कोड)	उपलब्ध नहीं
-------------------------------	-------------

उत्पाद विवरण	भू-विज्ञान एवं वेधन
-----------------	---------------------

मद कोड संख्या (आईटीसी कोड)	उपलब्ध नहीं
-------------------------------	-------------

उत्पाद विवरण	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तथा क्षेत्र सेवाएं
-----------------	---

अनुसूची 'क से ण' तक और 1 से 17 तक के लिए हस्ताक्षरित

उदयन चक्रवर्ती
कम्पनी सचिव

पी.के.साहा
विभागाध्यक्ष (वित्त)

एस.आर.घोष
निदेशक

एस. चौधुरी
अध्यक्ष- सह-प्रबंध निदेशक

**अनुबन्ध जो कि 31.3.2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
निदेशकों के रिपोर्ट का एक भाग है।**

कम्पनी कर्मचारियों का विवरण नियमावली,, 1988 के साथ पठित
कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2 ए) के अनुसार सूचना

क्रमांक	नाम	पदनाम/ कार्य की प्रकृति	वर्ष के दौरान पारिश्रमिक (रूपये)	नियुक्ति की प्रकृति स्थायी/ अस्थायी	योग्यता	अनुभव (वर्ष)	नियुक्ति की तिथि	31.3.2007 को उम्र (वर्ष)	अन्तिम नियोजन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(क) समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान नियुक्त और वित्त वर्ष में प्राप्त सकल पारिश्रमिक जो 24,00,000/- रूपये से कम नहीं था।

..... शून्य

(ख) समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के किसी भाग के लिए नियुक्त एवं वित्तीय वर्ष के लिए सम्पूर्ण योग के दर पर प्राप्त पारिश्रमिक जो 2,00,000/- रूपये प्रतिमाह से कम नहीं था।

..... शून्य